Done(?)
One copy in file

30/9

# झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

CIN U40108 JH2013 SGC 001603

निगम कार्यालय : *अभियंत्रण भवन, एच०ई०सी०, धुर्वा, राँची–4*

पत्रांक ....................................../ निगम मुख्यालय, राँची  दिनांक ...................................

File No. - II/JUVNL/कार्मिक/विविध–925/2023

प्रेषकः

शैलेश कुमार सिंह झा०प्र०से०,

महाप्रबन्धक (कार्मिक–सह–सामान्य प्रशासन)।

सेवा में,

महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियंता

सभी विद्युत आपूर्ति क्षेत्र/

महाप्रबन्धक, सभी संचरण प्रक्षेत्र

विद्युत अधीक्षण अभियंता

सभी विद्युत आपूर्ति अंचल/

उप महाप्रबन्धक सभी संचरण अंचल

परियोजना प्रबन्धक, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना, सिकिदिरी

उप महाप्रबन्धक (मा0 सं0/प्र0)

झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड

उप महाप्रबन्धक (मानव संसाधन)

झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड/

झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड /

झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड।

ई–मेल

झा०बि०वि०नि०लि०, राँची

नि० सं० 1981

दिनांक 30/09/86

विषयः समिति की अनुशंसा के आलोक में हितधारकों से आपत्ति प्राप्त करने के संबंध में।

प्रसंगः

1. निगम के अधिसूचना संख्या 1723 दिनांक 07.08.2018,
2. निगम का अधिसूचना संख्या 625 दिनांक 30.05.2022
3. निगम का पत्रांक 18 दिनांक 10.01.2023
4. निगम का ज्ञापांक 17 दिनांक 10.01.2023.
5. निगम का कार्यालय आदेश संख्या 383 दिनांक 10.04.2023 एवं कार्यालय आदेश संख्या 974 दिनांक 12.10.2023.

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का अधिसूचना संख्या 1723 दिनांक 07.08.2018 एवं अधिसूचना संख्या 625 दिनांक 30.05.2022 के द्वारा अधिसूचित नये Designation Mapping, Organization Structure, Manpower Planning के संबंध में निर्गत आदेश संसूचित है।

उल्लेखनीय है कि झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के कार्यालय आदेश संख्या 383 दिनांक 10.04.2023 एवं कार्यालय आदेश संख्या 974 दिनांक 12.10.2023 के द्वारा Organization Structure के संदर्भ में संसूचित आदेश में शेष बचे हुए पूर्व पदनाम को नये सृजित पदनाम में समाहित करने तथा हितधारकों से प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु नये समिति

कृपया पृष्ठ उलटें

का गठन किया गया। मद संख्या 56—10 के द्वारा निदेशक मंडल द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन समर्पित है।

अतः समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन/अनुशंसा की छायाप्रति संलग्न कर अनुरोध है कि झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का अधिसूचना संख्या 1723 दिनांक 07.08.2018 एवं अधिसूचना संख्या 625 दिनांक 30.05.2022 के द्वारा झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं अनुषंगी कम्पनियों हेतु नये Designation Mapping, Organization Structure, Manpower Planning के संबंध में निर्गत आदेश में समाहित नहीं हो सके पूर्व का पदनाम/वेतनमान एवं नव सृजित पदनाम/वेतनमान के संबंध में कर्मी अपना पक्ष के साथ आवेदन संबंधित अभिलेखों सहित अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से **15 दिनों** के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे ताकि, उक्त आवेदन पर नियमानुसार सम्यक समीक्षोपरांत सम्पूर्ण मामला संलेख प्रस्ताव सहित निदेशक मंडल की बैठक में उपस्थापित किया जा सके। इस पत्र को अपने क्षेत्राधिकार में कार्यरत कार्यालयों / कर्मियों में प्रचारित किया जाय।

अनुलग्नक : यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह0/—

(शैलेश कुमार सिंह)

महाप्रबन्धक (कार्मिक—सह—सामान्य प्रशासन)

ज्ञापांक ................................../ निगम मुख्यालय, राँची दिनांक ................................

प्रतिलिपिः विशेष पदाधिकारी, अध्यक्ष—सह—प्रबन्ध निदेशक प्रकोष्ठ/कम्पनी सचिव, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड/ प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के तकनीकी सचिव/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के तकनीकी सचिव/ प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निजी सहायक/ निदेशक (वित्त), झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड/ निदेशक (प्रोजेक्ट), झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड/सभी कार्यकारी निदेशक/ अपर पुलिस महानिरीक्षक (निगरानी एवं सुरक्षा) के निजी सहायक/ राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/—

(शैलेश कुमार सिंह)

महाप्रबन्धक (कार्मिक—सह—सामान्य प्रशासन)

ज्ञापांक ......370......../ निगम मुख्यालय, राँची दिनांक ...30/09/2026......

प्रतिलिपिः महाप्रबन्धक (आई0टी0), झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे विभाग के website पर upload करने का कष्ट किया जाय।

अनुलग्नकः यथोपरि।

(शैलेश कुमार सिंह)

महाप्रबन्धक (कार्मिक—सह—सामान्य प्रशासन)

<u>एक प्रति सूचना पट पर</u>

D:\PRAVEEN\JUVNL Section-V\01.01.2026\GM (P cum GA) letter.docx/ 87

# झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड

(CIN : U40108JH2013SGC001702)

अभियंत्रण भवन, एच.ई.सी., धुर्वा, राँची – 834004

पत्रांक 357 दिनांक 30.04.26

प्रेषक,

सुयश कुमार,
उपमहाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
–सह–सदस्य सचिव।

प्रेषित,

**महाप्रबंधक (कार्मिक–सह–सामान्य प्रशासन)**
झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड,
निगम मुख्यालय, धुर्वा, राँची।

विषय :– झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की अधिसूचना संख्या 1723 दिनांक 07.08.2018 एवं अधिसूचना संख्या 625 दिनांक 30.05.2022 के द्वारा झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं अनुषंगी कम्पनियों हेतु नये Designation mapping, organization structure, Man power planning के संबंध में निर्गत आदेश से शेष बचे पूर्व का पदनाम का नवसृजित पदनाम के साथ उल्लेख करने के संबंध में।

प्रसंग :– 1. कार्यालय आदेश संख्या 383 दिनांक 10.04.2023 एवं कार्यालय आदेश संख्या [illegible] दिनांक 12.10.2023
2. इस कार्यालय का पत्रांक 01 दिनांक 27.01.2025
3. आपका पत्रांक 211 दिनांक 18.07.2025
4. आपका पत्रांक 262 दिनांक 18.08.2025
5. आपका पत्रांक 308 दिनांक 23.09.2025
6. आपका पत्रांक 17 दिनांक 19.01.2026

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक कार्यालय आदेश से गठित समिति का प्रतिवेदन अनुशंसा के साथ मूल रूप से सभी अनुसूचियों के साथ आपके आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया!

अनु० -- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(सुयश कुमार)
उपमहाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
-- सह -- सदस्य सचिव।

# समिति का प्रतिवेदन

संचिका संख्या–Dir(Tech)/21/Designation Mapping/JUUNL/2025-26

**I समिति का गठन** :– झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की अधिसूचना संख्या 1723 दिनांक 07.08.2018 एवं अधिसूचना संख्या 625 दिनांक 30.05.2022 के द्वारा झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं अनुषंगी कम्पनियों हेतु नये Designation mapping, Organization structure, Man power Planning के संबंध में निर्गत आदेश में शेष बचे पूर्व का पदनाम को नवसृजित पदनाम के साथ उल्लेख करने हेतु पत्रांक संख्या 211 दिनांक 18.07.2025 से निर्गत किया गया है।

**II समिति के कार्य का दायरा** :–

निम्न निर्णय के साथ समिति का प्रतिवेदन अनुशंसा यथाशीध्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है :–

"झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की अधिसूचना संख्या 1723 दिनांक 07.08.2018 एवं अधिसूचना संख्या 625 दिनांक 30.05.2022 के द्वारा झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं अनुषंगी कम्पनियों हेतु नए Designation mapping, Organization structure, Man power Planning के संबंध में निर्गत आदेश में शेष बचे पूर्व का पदनाम को नवसृजित पदनाम के साथ उल्लेख हेतु समिति के अनुशंसा के क्रियान्वयन में हो रही कठिनाई के मद्देजर पूर्व में समिति के पत्रांक 546 दिनांक 18.11.2022 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पूर्व में के आलोक में उसी Structure में छुटे हुए पदनाम एवं प्रोन्नति सोपान इत्यादि का निर्धारण करते हुए वर्तमान समिति से मामले को पुनर्विचार कर प्रतिवेदन समर्पित किये जाने हेतु अनुरोध किया जाय।"

**III कागजात जिनका अध्ययन किया गया है:–**

1) अधिसूचना संख्या 1723 दिनांक 07.08.2018 से JUVNL,JUUNL,JUSNL, & JBVNL. हेतु निर्गत Organization structure एवं Designation mapping.
2) अधिसूचना संख्या 625 दिनांक 30.05.2022
3) झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड की विभिन्न कैडर संरचना से संबंधित अधिसूचना
4) बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा निर्गत विभिन्न कैडर संरचना से संबंधित अधिसूचना/संकल्प यथा 1385 दिनांक 07.12.2016, 986 दिनांक 16.08.2016, 621, दिनांक 20.12.2019 कार्मिक सेवा संवर्ग नियमावली, 2015 एवं 2150 दिनांक 28.01.2018 आदि।

**IV अधिसूचना संख्या 1723 दिनांक 07.08.2018 से निर्गत नए Organization structure की विवेचना एवं समिति का Observation :-**

**क) पूर्ववर्ती झा०रा०वि०बोर्ड के कार्यकाल एवं नए Organization structure की विवेचना एवं तुलनात्मक विवरणी।**

| क्र० सं० | विवरण | पूर्ववर्ती झा०रा०वि०बोर्ड / झा०ऊ०वि०नि०लि० (दिनांक 07.08.18 के पूर्व) | नए Organization structure |
|---|---|---|---|
| 01 | कैडर | प्रमुख रूप से विद्युत इंजीनियरिंग डिग्री, विद्युत इंजीनियरिंग डिप्लोमा, असैनिक इंजीनियरिंग डिग्री, असैनिक इंजीनियरिंग डिप्लोमा, वित्त एवं लेखा पदाधिकारी, वित्त एवं लेखा कर्मचारी, तकनीकी कर्मचारी, कार्मिक पदाधिकारी, सचिवालय कर्मी, क्षेत्रीय कर्मचारी, आशुलिपिक एवं टंकक, विधिक संवर्ग, केमिस्ट, सुरक्षा, चिकित्सा पदाधिकारी, कम्पनी सचिव, चिकित्सा कर्मी, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी, टेलीकॉम, स्टोर कर्मचारी आदि। | 5, जिनका स्पष्ट रुप से उल्लेख है। तकनीकी, असैनिक, प्रशासन,मानव संसाधन, विधि तथा लेखा। परन्तु इन कैडर के अन्दर कर्मचारी एवं पदाधिकारी अथवा अभियंता का कैडर अलग–अलग नहीं दर्शाया गया है। बिजली वितरण निगम में प्रशासन एवं विधि को एक कैडर के रूप में दर्शाया गया है। |
| 02 | पदाधिकारियों का कैडर | डिग्री विद्युत अभियंता (सामान्य), डिग्री विद्युत अभियंता (जी०टी०ओ०), कनीय विद्युत अभियंता (जी०टी०ओ०), कनीय | 5, जिनका स्पष्ट रुप से उल्लेख है। तकनीकी, असैनिक, प्रशासन, विधि तथा |

696

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | विद्युत अभियंता (सामान्य), लेखा पदाधिकारी, कार्मिक पदाधिकारी, आई०टी० अभियंता, कम्पनी सचिव, चिकित्सा पदाधिकारी, आदि। | लेखा (कम्पनी सचिव के पद स्वीकृत है, परन्तु कैडर का उल्लेख नहीं है) परन्तु इन कैडर के अन्दर कर्मचारी एवं पदाधिकारी अथवा अभियंता का कैडर अलग–अलग नहीं दर्शाया गया है। बिजली वितरण निगम में प्रशासन एवं विधि को एक कैडर के रूप में दर्शाया गया है। |
| 03 | कर्मचारियों का कैडर | सचिवालय कर्मी, फील्ड कैडर, लेखा कर्मी कैडर, विधि कर्मी कैडर, तकनीकी कर्मी (जी०टी०ओ०) कैडर, तकनीकी कर्मी (आपूर्ति) कैडर, सुरक्षा, आशुलिपिक एवं टंकक, केमिस्ट, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी, टेलीकॉम, स्टोर कर्मचारी, आदि। | 3, जिनका स्पष्ट रुप से उल्लेख है। तकनीकी, मानव संसाधन, प्रशासन तथा लेखा परन्तु इन कैडर के अन्दर कर्मचारी एवं पदाधिकारी अथवा अभियंता का कैडर अलग–अलग नहीं दर्शाया गया है। बिजली वितरण निगम में प्रशासन एवं विधि को एक कैडर के रूप में दर्शाया गया है। |
| 04 | चुर्तथ वर्गीय कर्मी का कैडर / पदनाम | मैसेन्जर, अकुशल श्रमिक, सुरक्षा कर्मी, कुशल श्रमिक, रसोइया, ड्राईवर, आदि। | **3**, Support Staff – I, Support Staff - II एवं Support Staff –III |
| 05 | कुल वेतनमान | 24 (छठा वेतन पुनरीक्षण के आधार पर) | 11, अधिसूचना संख्या 625 दिनांक 30.05.2022 |

1. निगम के द्वारा अधिसूचित Organization structure में यह देखा जा सकता है कि स्पष्ट रुप से वर्णित कैडर की संख्या काफी कम (छः) है, तथा जिन कैडर का वर्णन/Designation mapping किया गया है, केवल उन्ही कैडर के पदनाम के संदर्भ में पद का सृजन किया गया है। कुछ पूर्ववर्ती कैडर जैसे सचिवालय, फिल्ड कैडर एवं कार्मिक जो पूर्व में अलग–अलग थे, उनका एक साथ HR and Admin कैडर में आमेलन कर दिया गया है, क्योंकि उनका पद सृजन एक साथ किया गया है। कम्पनी सचिव के कैडर का भी नए Organization structure में उल्लेख नहीं है, परन्तु कम्पनी सचिव का पदनाम सृजन किया गया है। पूर्ववर्ती झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यकाल से चले आ रहे ऐसे भी कैडर हैं, जिनका उल्लेख Organization structure में नहीं है तथा उनके लिए पद सृजन एवं Designation mapping नहीं किया गया है। साथ ही, नए Organization structure में सभी कर्मियों, पदाधिकारी एवं कर्मचारी के लिए एक समान पदनाम देते हुए नियुक्ति एवं प्रोन्नति की व्यवस्था की गई है जो पूर्ववर्ती झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यकाल से बिल्कुल भिन्न है। पूर्व में सभी संवर्गों में प्रायः नियुक्ति एवं प्रोन्नति के पदनाम अलग–अलग थे। जहाँ पदनाम एक समान थे, वहां वेतनमान भी एक समान थे। पूर्ववर्ती बोर्ड के कार्यकाल के ऐसे भी संवर्ग है, जिन्हे नए Organization structure में अनुमोदित पदनाम में किसी अन्य संवर्ग के साथ इस प्रकार से adjust नहीं किया जा सकता है कि उनके नियुक्ति एवं प्रोन्नति पद को हूबहू आमेलित किया जा सके, यथा– तकनीकी कर्मी (ITI), टंकक एवं आशुलिपिक, सुरक्षा, स्टोर आदि संवर्ग। ऐसे संवर्ग का न तो नए Organization structure में वर्णन है और ना ही उनके लिए पद का सृजन किया गया है। **संवर्ग के आमेलन हेतु समान शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान तथा कार्यभार का होना अनिवार्य शर्त है।** अतः ऐसे कैडर के लिए पृथक रूप से कैडर एवं पद की संख्या का सृजन करना नए Organization structure में आवश्यक है, ताकि पूर्ववर्ती झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यकाल से कार्यरत सभी कर्मियों का समायोजन नए Organization structure में नए Designation के साथ पदस्थापन करते हुए उनका वेतनमान एवं कार्यभार का निर्धारण किया जा सके। साथ ही, कालान्तर में प्रोन्नति/पेंशन पुनरीक्षण आदि प्रदान करने की प्रक्रिया की जा सके।

2. **Ideally दिनांक 07.08.2018 को पूर्ववर्ती झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड/झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं अनुषंगी कम्पनियों में कार्यरत सभी कर्मियों एवं पेंशनधारी का समायोजन नए Organization structure में हो जाना अपेक्षित था जो संभवतः नही हो पाया है।**

छुटे हुए अथवा अस्पष्ट रूप से अंकित पदनाम को नए Organization structure में शामिल करने के लिए समिति का गठन किया गया है। वस्तुतः, जिन कैडर के कर्मियों के संबंध में स्पष्ट रूप से नए Organization structure में वर्णन नहीं है, उनके पदस्थापन एवं प्रोन्नति आदि में उत्पन्न हो रहे कठिनाईयों के संदर्भ में संबंधित मानव संसाधन एवं लेखा स्थापना शाखा के द्वारा महाप्रबंधक (कार्मिक–सह–सामान्य प्रशासन), झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के संज्ञान में यथाशीघ्र लाना चाहिए था ताकि पूर्व के नियमावली आदि के साथ तुलना कर आवश्यक कार्रवाई किया जा सके। समिति के समक्ष इस प्रकार का कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं होने के कारण समस्या के समाधान में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न हुई।

3. नए Organization structure में अधिकारियों एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मियों के मामले में पदोन्नति/पदसोपान की संख्या में वृद्धि की गई है जबकि तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के पदोन्नति/पदसोपान की संख्या अपेक्षाकृत काफी कम (दो) कर दिया गया है।

4. चतुर्थ वर्ग के श्रेणी में Support Staff –I, Support Staff -II एवं Support Staff –III का पद सृजन किया गया है जबकि पूर्व में केवल unskilled एवं skilled श्रेणी के चतुर्थ वर्गीय कर्मी होते थे। चतुर्थ वर्ग की श्रेणी में तीन स्तर के पद के सृजन से तीन स्तर के वेतनमान का सृजन आवश्यक है, जिसके फलस्वरुप तृतीय श्रेणी के कर्मी का वेतनमान का निर्धारण न्यूनतम तीन वेतनमान के स्तर से उपर किये जाने की बाध्यता उत्पन्न हो रही है। साथ ही, इन कारणों से कुछ तृतीय श्रेणी के कर्मी के वेतनमान पूर्ववर्ती झा०रा०वि०बोर्ड द्वारा अनुमान्य वेतनमान से ज्यादा वेतनमान अनुमानित करने की बाध्यता उत्पन्न हो रही है। अतः निगम इस मामले पर पुनर्विचार कर सकती है।

**5.** इसके विपरीत पूर्ववती झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यकाल में तृतीय वर्ग/श्रेणी के कर्मी, कर्मचारी के पद पर नियुक्त होते थे तथा सामान्यतः, तीन अथवा चार चरणों में अधिकारी श्रेणी के नियुक्ति अथवा अधिकारी श्रेणी के प्रथम प्रोन्नति पद तक प्रोन्नति के लिए योग्य होते थे। **नए Organization structure में तृतीय श्रेणी के कर्मी हेतु कर्मचारी श्रेणी में केवल दो पदनाम होने के कारण पूर्व के सभी पदनामों को नए Organization structure के साथ अधिसूचित पदनामों में Designation mapping में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।**

6. अधिकारी श्रेणी में पूर्ववर्ती अभियंता प्रमुख के पदनाम को नए Organization structure में कार्यकारी निदेशक के पदनाम से पुनर्नामित किया गया है। वित्त एवं लेखा संकाय में उक्त पदनाम के साथ पद का सृजन किया गया है। पूर्ववर्ती असैनिक संवर्ग में अतिरिक्त मुख्य अभियंता तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग में वित्त नियंत्रक–I एवं वित्त नियंत्रक–II के पद को एक साथ आमेलन करते हुए पूर्ववर्ती मुख्य अभियंता के पद के समकक्ष करते हुए नए Organization structure में महाप्रबंधक के पदनाम से पुनर्नामित किया गया है। पूर्ववर्ती सचिवालय संवर्ग के संयुक्त सचिव के पद को पूर्ववर्ती कार्मिक निदेशक के पदनाम के साथ आमेलन करते हुए नए Organization structure में पूर्ववर्ती अधीक्षण अभियंता के समकक्ष करते हुए उपमहाप्रबंधक के पदनाम से पुनर्नामित किया गया है।

7. इसी प्रकार से पूर्ववर्ती कार्मिक संवर्ग के उप कार्मिक निदेशक एवं सचिवालय संवर्ग के अवर सचिव के पदनाम का आमेलन किया गया है एवं उपनिदेशक (विधि) तथा उपनिदेशक (लेखा) को पूर्ववर्ती कार्यपालक अभियंता के पदनाम के समकक्ष करते हुए नए Organization structure में वरीय प्रबंधक के पदनाम से पुनर्नामित किया गया है।

8. पूर्ववर्ती कार्मिक संवर्ग के कार्मिक पदाधिकारी तथा सचिवालय संवर्ग में प्रशासकीय पदाधिकारी, विधि संवर्ग में विधि पदाधिकारी एवं पूर्ववर्ती लेखा पदाधिकारी के पदनाम को सहायक अभियंता के समकक्ष करते हुए नए Organization structure में प्रबंधक के पदनाम से पुनर्नामित किया गया है।

9. इसी प्रकार पूर्ववर्ती कार्मिक संवर्ग के श्रम कल्याण पदाधिकारी, फिल्ड कैडर में प्रशाखा पदाधिकारी एवं कार्यालय अधीक्षक तथा सचिवालय संवर्ग में प्रशाखा पदाधिकारी तीनों कैडर के पदों का आमेलन किया गया है एवं वित्त एवं लेखा संवर्ग में लेखापाल के पदनाम, इन सभी को कनीय अभियंता के समकक्ष करते

694

हुए नए Organization structure में कनीय प्रबंधक के पदनाम से पुनर्नामित किया गया है। **पूर्ववर्ती झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यकाल से कनीय अभियंता, श्रम कल्याण पदाधिकारी, तथा प्रशाखा पदाधिकारी अधिकारी श्रेणी का पद है जबकि कार्यालय अधीक्षक एवं लेखापाल कर्मचारी श्रेणी का पद है।** साथ ही, कार्यालय अधीक्षक एवं लेखापाल के स्तर (श्रेणी एवं वेतनमान) के पद अन्य संवर्ग में भी है, जिनका स्पष्ट रुप से नए Organization structure में उल्लेख नही किया गया है। **झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के नए Organization structure में SRHP, Sikidiri के मामले में स्वीकृत पद को पूर्ववत यथावत रखा गया है। इस कारण लेखापाल एवं समकक्ष सहायक नियंत्रक आदि कार्यालय आदेश संख्या 4843 दिनांक 08.09.1987 (अनुसूची–I) से तृतीय श्रेणी के कर्मचारी के रूप में कार्यरत हो रहे हैं, जबकि मुख्यालय स्तर पर लेखापाल का पद कनीय प्रबंधक के रूप में पुनर्नामित है। (अनुसूची–II) यह परस्पर विरोधाभाष उत्पन्न कर रहा है। अतः निगम स्तर पर इस मामले में विरोधाभाष को दूर करना आवश्यक है।** इसके साथ ही, कार्यालय अधीक्षक एवं लेखापाल के पद को उत्क्रमित करने से अन्य संवर्ग के समकक्ष पद को भी उत्क्रमित करने की बाध्यता उत्पन्न हो रही है। अतः निगम इस मामले में पुनर्विचार कर सकती है।

**10.** तकनीकी संवर्ग में कर्मी हेतु आहर्ता ITI है जबकि तकनीकी संवर्ग के अधिकारी पद की आहर्ता इंजीनियरिंग में डिप्लोमा एवं डिग्री है। इस कारण से अन्य कैडर से भिन्न तकनीकी संवर्ग में तृतीय श्रेणी के कर्मी (शैक्षणिक योग्यता– ITI) को तकनीकी संवर्ग के पदाधिकारी ( इंजीनियरिंग में डिप्लोमा एवं डिग्री) के पद के साथ आमेलन नही किया जा सकता है क्योंकि यह केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित दिशा–निर्देश का उल्लंघन होगा। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दिनांक 08.06.2023 को अधिसूचित दिशा–निर्देश **(अनुसूची–III)** के अनुसार पावर हाउस, ग्रिड–सबस्टेशन, पावर सबस्टेशन एवं अन्य विद्युत संरचनाएं के कार्यों के पर्यवेक्षण (Super vision) हेतु इंजीनियरिंग में डिग्री एवं डिप्लोमा अनिवार्य है जबकि उक्त कार्यों में सहायक के कार्य के लिए दो वर्ष का ITI Certificate course अनिवार्य है। ऐसी परिस्थिति में पूर्ववर्ती झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यकाल में तकनीकी कर्मी, जिन्हे नियुक्ति के पश्चात् सामान्यतः तीन–चार प्रोन्नति प्रदान किया जाता रहा है, उन्हे इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अभियंता के समकक्ष कनीय प्रबंधक तथा इंजीनियरिंग में डिग्री अभियंता के समकक्ष प्रबंधक के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने की बाध्यता उत्पन्न हो रही है जो कि आमेलन के सिद्धांत के भी प्रतिकूल है। इसके अतिरिक्त झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम, संचरण निगम तथा बिजली वितरण निगम में नए Organization structure में कनीय प्रबंधक एवं प्रबंधक के पद पर Recruitment Plan दिया हुआ है, जो नियुक्ति पद के लिए लागू होता है, जबकि तकनीकी संवर्ग में अधिकारी श्रेणी में केवल कनीय विद्युत अभियंता (डिप्लोमा अभियंता) तथा सहायक अभियंता (डिग्री अभियंता) के पद पर नियुक्ति होती है। तकनीकी कर्मी के मामले में समकक्ष स्तर के पद प्रोन्नति के पद है जिस पर नियुक्ति नही किया जा सकता है। अतः नए Organization structure में तृतीय श्रेणी के तकनीकी कर्मी (ITI) को कनीय प्रबंधक एवं प्रबंधक के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए क्रमशः डिप्लोमा एवं डिग्री अभियंता के साथ आमेलन नहीं किया जा सकता है। अर्थात सहायक नियंत्रक एवं अग्रजन तथा समकक्ष पद को कनीय प्रबंधक एवं नियंत्रक एवं प्रधान अग्रजन तथा समकक्ष पद को प्रबंधक के साथ आमेलन नहीं किया जा सकता है। **चूँकि पूर्ववर्ती झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड में तृतीय श्रेणी के तकनीकी कर्मी (ITI) को दो से ज्यादा प्रोन्नति प्रदान किया जाता रहा है एवं अधिकारी स्तर पर कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता से भिन्न पदनाम पर भी प्रोन्नति प्रदान किया जाता रहा है, अतः यह आवश्यक है कि नए Organization structure में उनके लिए पृथक रूप से कैडर एवं पद का सृजन किया जाए ताकि पूर्व से कार्यरत उक्त कैडर के सभी कर्मियों का समायोजन, वेतन निर्धारण, कार्य आवंटन तथा प्रोन्नति प्रदान करने का कार्य किया जा सके।**

11. चूँकि पूर्ववर्ती झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के एक ही श्रेणी (तृतीय) में स्थित तकनीकी एवं गैर–तकनीकी संवर्ग के कर्मचारी जिनका वेतनमान समान रहा है, उनका समायोजन नए Organization

(693

structure में अलग–अलग पदनाम एवं वेतनमान के साथ करना उचित नहीं होगा, अतः ऐसी परिस्थिति में नए Organization structure में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित विभिन्न स्तर के पद (कुल 11) के अतिरिक्त अन्य स्तर (Level) के पद (पदनाम एवं वेतनमान) का सृजन ही एक मात्र विकल्प है।

12. विधि एवं मानव संसाधन/प्रशासन के मामले में नए Organization structure में पूर्ववर्ती झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यकाल से अलग प्रबंधक स्तर पर नियुक्ति का पद का सृजन किया गया है। अतः इन दोनों संकायों के लिए दिनांक 07.08.2018 के पश्चात् नियुक्त किये जाने वाले प्रबंधक स्तर के पदाधिकारी के लिए प्रबंधक स्तर के समकक्ष तकनीकी एवं वित्त एवं लेखा संकाय के तर्ज पर नए नियमावली का निर्माण कर सकती है।

**दिनांक 07.08.2018 के पूर्व नियुक्त सचिवालय, फिल्ड कैडर एवं कार्मिक कैडर के कर्मचारी एवं पदाधिकारी के मामले में कैडर आमेलन की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, यदि निगम चाहें तो पूर्व से स्वीकृत पद के विरुद्ध अलग–अलग कैडर के कर्मियों का पदस्थापन/समायोजन नए Organization structure में स्वीकृत पदनाम के अनुरूप करते हुए उनसे संबंधित existing नियमावली के आधार पर उनकी प्रोन्नति आदि प्रदान करने पर विचार कर सकती है ताकि किसी भी कर्मी के प्रोन्नति आदि पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े एवं साथ ही साथ, कोई भी कर्मी अपने समकक्ष अन्य संवर्ग के कर्मी की तुलना में प्रोन्नति पद एवं वेतनमान के मामले में अपेक्षाकृत अत्यधिक रूप से लाभांवित न हो।**

13. चूँकि पूर्ववर्ती झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यकाल में तृतीय श्रेणी में तकनीकी कर्मी की प्रोन्नति अधिकारी संवर्ग ( इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्री से अलग पदनाम) पर प्रदान किया जाता रहा है, अतः "ऊर्जा विभाग के द्वारा पूर्ववर्ती झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन हेतु निर्गत अधिसूचना, जिसके आधार पर विद्युत बोर्ड के किसी भी कर्मी की सेवा शर्ते तत्कालीन सेवा शर्ते से Inferior नहीं होगी" के सिद्धांत के आधार पर तकनीकी कर्मियों हेतु पृथक रुप से एक संवर्ग का सृजन करना ही विकल्प है। साथ ही, तृतीय श्रेणी में तकनीकी कर्मी की नियुक्ति एवं प्रोन्नति पूर्व की भाँति अपने संवर्ग में ही दिया जाना एक मात्र विकल्प है।

14. इसी प्रकार से अन्य संवर्ग के लिए भी पृथक रूप से कैडर का सृजन करना अपरिहार्य है।

**V <u>छुटे हुए पदनाम को नए Organization structure में शामिल करने के सिद्धांत</u> :–**

1) ऊर्जा विभाग के द्वारा पूर्ववर्ती झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन हेतु निर्गत अधिसूचना संख्या 2917 दिनांक 20.11.2015 की कंडिका 6.6 (ii),

"The terms and conditions of the services applicable to personnel on the Effective Date of Transfer (06.01.2014) shall be intact or more favorable than those applicable to them immediately before the said effective date, Accordingly the salary, allowances and other pecuniary benefits including terminal benefits applicable on the effective date shall be protected and shall not be any way changed."

जिसके आधार पर विद्युत बोर्ड के किसी भी कर्मी की सेवा शर्ते तत्कालीन सेवा शर्ते से Inferior नहीं होगी। (अनुसूची–IV)

2) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दिनांक 08.06.2023 को अधिसूचित दिशा–निर्देश के अनुपालन में विद्युत उत्पादन, संचरण एवं वितरण से संबंधित संरचनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण। (अनुसूची–III)

692

3) नये संगठनात्मक संरचना में पूर्ववर्ती बोर्ड के कार्यकाल के बहुत सारे कैडर एवं पदनाम का उल्लेख स्पष्ट रुप से नहीं है। साथ ही, कुछ कैडर (कार्मिक, सचिवालय एवं फिल्ड कैडर) एवं पद का आमेलन किया गया हैं। अतः आमेलन के संबंध में केन्द्र एवं राज्य सरकार का दिशा–निर्देश, जिसके अन्तर्गत समान शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान, कार्य क्षेत्र आदि के आधार पर क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रुप से पदो का आमेलन किया जाना है।

4) क्रमांक संख्या 01, समिति का Observation के आधार पर जिन कैडर का आमेलन संभव नहीं हो सका, उनके लिए नए Organization structure में पृथक रुप से कैडर का सृजन करने का प्रयास किया गया है। कैडर के सृजन में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी (पूर्ववर्ती झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड जिसके अंग रहे है) द्वारा निर्गत कैडर रुल (अधिसूचना संख्या 621, दिनांक 20.02.2019, कार्मिक सेवा संवर्ग नियमावली 2015, संकल्प संख्या 1385, दिनांक 07.12.2016, कार्यालय आदेश संख्या– 2150, दिनांक 28.11.2018 एवं संकल्प संख्या 986, दिनांक 16.08.2016) (अनुसूची–V) की सहायता लिया गया है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में जिस कैडर (यथा तकनीकी कामगार) के पदनामों का आमेलन किया गया है, नए Organization structure में उन पदनामों एवं वेतनमान का आमेलन किया गया है। जिस कैडर में नियुक्ति सहायक विद्युत अभियंता के स्तर पर किया जाता है उनकी प्रोन्नति का प्रावधान महाप्रबंधक स्तर तक के पद के लिए किया गया है। शेष के संबंध में झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के सुसंगत अधिसूचनाओं का संदर्भ लिया गया है।

(क) प्रोन्नति हेतु कालावधि के निर्धारण में यथा संभव पूर्व के अधिसूचना 1194 दिनांक 07.07.2012 का संदर्भ लिया गया है ताकि अनावश्यक हस्तक्षेप ना हो। (अनुसूची–VI)

(ख) वेतनमान के निर्धारण में पूर्व में निर्गत सुसंगत अधिसूचनाओं का संदर्भ लिया गया है। चूँकि यह Exercise (नए Organization structure) वेतन पुनरीक्षण नहीं है, अतः प्रशासन के समक्ष वेतनमान में वृद्धि की बाध्यता का मामला नहीं है। समिति के द्वारा वेतनमान निर्धारण में अधिसूचना संख्या 625 दिनांक 30.05.2022 (अनुसूची– VII), जिसमें यह अंकित है,

"संलेख मद संख्या 52–09 पर निदेशक मंडल, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की 52वी बैठक में दिनांक 04.05.2022 को लिये गये सर्वसम्मति से निर्णय के आलोक में झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की अधिसूचना संख्या 1723 ज्ञापांक 1724 दिनांक 07.08.2018 के द्वारा निर्गत आदेश में उल्लेखित नवसृजित पदनाम का वेतनमान दिनांक 07.08.2018 के प्रभाव से निम्नवत अधिसूचित किया जाता है एवं उक्त खर्च का वहन निगम अपने निधि के द्वारा करेगी।"

को भी संज्ञान में रख कर किया गया है।

(ग) चूँकि छुटे हुए कैडर में स्थित विभिन्न पदनाम हेतु पद का सृजन आवश्यक है ताकि उन पद के विरुद्ध कार्यरत विभिन्न स्तर के कर्मियों की पदस्थापना/समायोजन किया जा सके, अतः समिति न्यूनतम

बोर्ड के कार्यकाल से स्वीकृत पद को ही वर्त्तमान में स्वीकृत करने की अनुशंसा करती है एवं कालान्तर में आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन करने की अनुशंसा करती है ताकि जिन पदनामों के विरुद्ध नए Organization structure में पद स्वीकृत नही है, उनकी प्रोन्नति आदि पूर्ववर्ती झा०रा०वि०बोर्ड के कार्यकाल में सृजित पद के आधार पर प्रदान किया जा सके एवं व्यक्तिगत रुप से कोई भी कर्मी प्रतिकूल रुप से प्रभावित न हो।

5) निगम के कर्मी का समकक्ष पद पर नए Organization structure में placement करने के पश्चात् उनकी प्रोन्नति आदि Existing/ prevailing कैडर नियमावली के आधार पर दिया जा सकता है। आमेलन की स्थिति में यथाशीध्र आवश्यक संशोधन कर अग्रतर कार्रवाई किया जा सकता है।

6) झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम के द्वारा अधिसूचना संख्या 1723 दिनांक 07.08.2018 से अंगीकृत नए Organization structure में Group IV को Support Staff-I, Support Staff-II एवं Support Staff-III में वर्गीकृत किया गया है। अतः तृतीय श्रेणी के कर्मी का वेतनमान रुपया 3000/– से प्रारम्भ किया गया है।

7) निगम द्वारा नए Organization structure के दिनांक 07.08.2018 से अंगीकृत होने के पश्चात् बहुत सारे कैडर/पदनाम का स्पष्ट रुप से उल्लेख नही होने के कारण उक्त कैडर के कर्मी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो गए है। इस कारण नैसर्गिक न्याय, समानता के अधिकार एवं न्यायालय वाद की स्थिति उत्पन्न न हो, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति वैसे सभी कर्मी जो अधिसूचना निर्गत होने की तिथि दिनांक 07.08.2018 के बाद सेवानिवृत्त हुए है या कार्यरत है, उन्हे भी, यदि कोई लाभ/प्रोन्नति आदि देय हो, उन्हे काल्पनिक रुप से लाभ प्रदान करने/पेंशन निर्धारण करने की अनुशंसा करती है।

8) समिति के द्वारा HR/Admin कैडर के कार्यालय सहायक के द्वारा समर्पित वेतनमान निर्धारण संबंधी प्रतिवदेन की समीक्षा की गई। वर्तमान में स्वीकृत वेतनमान नियुक्ति अधिसूचना के अनुरूप पाया गया, जो सही है।

9) अधिसूचना संख्या 1723 दिनांक 07.08.2018 से अंगीकृत नए Organization structure में झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के structure के संबंध में समिति Admin/ Legal (अनुसूची– VIII) कैडर को संशोधित करते हुए HR/Admin कैडर तथा झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के मामले में GM (HR/Admin/Law) (अनुसूची– IX) के पदनाम को संशोधित करते हुए GM (HR/Admin) करने की अनुशंसा करती है। (HR/Admin) तथा Legal कैडर के कर्मी की योग्यता एवं कार्य का दायरा बिल्कुल भिन्न है।

इसके अतिरिक्त विकास निगम के structure में तकनीकी संकाय में DGM/CMD Office के पद से F&A (अनुसूची– X) कैडर को हटाने की अनुशंसा करती है। इंजीनियरिंग कैडर में F&A का पद स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

10) Consultant के द्वारा नए Organization structure वर्ष 2018 में समर्पित किया गया तथा निदेशक मंडल के द्वारा इसे अंगीकृत किया गया। structure के बहुत सारे पहलू कागजात के अध्ययन से स्पष्ट नही हो पाता है तथा उनके बारे में ससमय टिप्पणी करना भी एक बड़ी चुनौती होती है। कागजात में

690

निहित अस्पष्टताएं तथा कमियाँ कालांतर में प्रतिवेदन के अनुरूप क्रियान्वयन (Implementaion) के क्रम में उभर कर आती है। अतः समिति यह अनुशंसा करती है कि भविष्य में इस प्रकार के वृहत् Transformation के मामले में Consultant के Scope of work में प्रतिवेदन समर्पित करने के साथ–साथ उसके सफल क्रियान्वयन की भी कंडिका सम्मिलित किया जाए एवं कम से कम 20% राशि का भुगतान सफल क्रियान्वयन (Implementation) के पश्चात् किया जाए।

**VI समिति की अनुशंसा :– अनुसूची – क**

1) संबंधित कंपनियों के प्रशानिक विभाग द्वारा स्वीकृत पदो की संख्या दर्शाया जा सकता है।

2) समिति की अनुशंसा पर निदेशक मण्डल के अनुमोदन के पश्चात् झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की अधिसूचना संख्या 1723 दिनांक 07.08.2018 एवं अधिसूचना संख्या 625 दिनांक 30.05.2022 अनुसूचि–क के अनुरूप संशोधित हो जाऐंगे।

**3) समिति यह भी अनुशंसा करती है कि यदि निगम चाहें तो समिति की अनुशंसा सक्षम प्रधिकार से अनुमोदित कराने के पूर्व सभी हितधारकों से आपत्ति प्राप्त कर ले।**

सुयश 27/4/26

( सुयश कुमार )
उपमहाप्रबंधक
(वि०एवं ले०)
झा०बि०वि०नि०लि०

27/4/26

(अभिषेक कुमार)
उपमहाप्रबंधक
(मा०सं०)
झा०बि०वि०नि०लि०

27/04/26

(कुमार संभव)
उपमहाप्रबंधक
(मा०सं०)
झा०ऊ०वि०नि०लि०

(प्रदीप कुमार शर्मा)
उपमहाप्रबंधक
(मा०सं०)
झा०ऊ०उ०नि०लि०

आदित्य कुमार 27/4/26

(आदित्य कुमार)
महाप्रबंधक
(मा०सं०प्र०)
झा०ऊ०सं०नि०लि०

जयन्त प्रसाद

(ज्यन्त प्रसाद)
महाप्रबंधक
(वि०एवं ले०)
झा०बि०वि०नि०लि०

(राकेश रौशन)
निदेशक (तकनीकी)
झा०ऊ०उ०नि०लि०

अनुसूची-(क) 689 1/21

## Engineering Cader (General) JBVNL (Degree holder)

| Sl. no. | Engineering (General) | Old Grade Pay | Old kalawdhi (As per O/O 1194) | New Designation for all Cadre | Corresponding Grade Pay | Recommended Kalawdhi | Sanction Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engineer-in-Chief | Rs. 10000/- | x | Executive Director (Tech.) | Rs. 10000/- | x | |
| 2 | General Manager, General Manager -cum-Chief Engineer (General)/ Chief Engineer (General) | Rs. 9000/- | 9000-10000=2yr | *General Manager (Tech.)/Chief Engineer-cum- General Manager** | Rs. 9000/- | 9000-10000=2yr | |
| 3 | ESE(General) | Rs. 8700/- | 8700-9000=2yr | *Dy. General Manager (Tech.)/ Electrical Superitending Engineer** | Rs. 8700/- | 8700-9000=2yr | |
| 4 | EEE(General) | Rs. 6600/- | 6600-8700=10yr | *Sr. Manager (Tech.)/Electrical Executive Engineer** | Rs. 6600/- | 6600-8700=10yr | |
| 5 | AE(General) | Rs. 5500/- | 5500-6600=5yr | *Manager(Tech.)/Asst. Electrical Engineer* #* | Rs. 5600/- | 5600-6600=5yr | |
| 6 | x | x | x | x | Rs. 5500/- | x | x |
| 7 | x | x | x | x | Rs. 4600/- | x | x |
| 8 | x | x | x | x | Rs. 4300/- | x | x |
| 9 | x | x | x | x | Rs. 4200/- | x | x |
| 10 | x | x | x | x | Rs. 3300/- | x | x |
| 11 | x | x | x | x | Rs. 3000/- | x | x |
| 12 | x | x | x | x | Rs. 2700/- | x | x |
| 13 | x | x | x | x | Rs. 2400/- | x | x |
| 14 | x | x | x | x | Rs. 2100/- | x | x |

# Recruitment Post(Direct+Internal+Diploma Engineer who acquire Degree)

* For field Offices only in accordance with the notification No. 120 dated 23-01-2025

688 2/21

## Engineering Cader (General) JBVNL (Diploma Holder)

| Sl. no. | Engineering (General) | Old Grade Pay | Old kalawdhi (As per O/O 1194) | New Designation for all Cadre | Corresponding Grade Pay | Recommended Kalawdhi | Sanction Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | Rs. 10000/- | x | x | Rs. 10000/- | x | |
| 2 | x | Rs. 9000/- | x | x | Rs. 9000/- | x | |
| 3 | x | Rs. 8700/- | x | x | Rs. 8700/- | x | |
| 4 | EEE(General) | Rs. 6600/- | x | *Sr. Manager (Tech.)/Electrical Executive Engineer** | Rs. 6600/- | x | |
| 5 | AEE(General) | Rs. 5500/- | 5500-6600=5yr | *Manager(Tech.)/Asst. Electrical Engineer** | Rs. 5600/- | 5600-6600=5yr | Fixed percent of Mgr |
| 6 | x | x | x | x | Rs. 5500/- | x | x |
| 7 | JE (General) | Rs. 4500/- | 4500-5500=8yr | *Junior Manager (Tech.)/ Junior Engineer*#* | Rs. 4600/- | 4600-5600=8yr (Proposed) | |
| 8 | x | x | x | x | Rs. 4300/- | x | x |
| 9 | x | x | x | x | Rs. 4200/- | x | x |
| 10 | x | x | x | x | Rs. 3300/- | x | x |
| 11 | x | x | x | x | Rs. 3000/- | x | x |
| 12 | x | x | x | x | Rs. 2700/- | x | x |
| 13 | x | x | x | x | Rs. 2400/- | x | x |
| 14 | x | x | x | x | Rs. 2100/- | x | x |

# Recruitment Post(Direct+ ITI holder who acquires Diploma in Engineering as per cadre rule)

* For field Offices only in accordance with the notification No.120 dated 23-01-2025

## Engineering Cader (GTO) JUSNL/JUUNL (Degree holder)

| Sl. no. | Engineering (GTO) | Old Grade Pay | Old kalawdhi (As per O/O 1194) | New Designation for all Cadre | Corresponding Grade Pay | Recommended Kalawdhi | Sanction Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engineer -in-Chief(GTO) | Rs. 10000/- | x | Executive Director (Tech.) | Rs. 10000/- | x | |
| 2 | General Manager/ Chief Engineer(GTO)/, General manager-cum-Chief Enginner(GTO) | Rs. 9000/- | 9000-10000=2yr | General Manager (Tech.) | Rs. 9000/- | 9000-10000=2yr | |
| 3 | ESE(GTO) | Rs. 8700/- | 8700-9000=2yr | Dy. General Manager (Tech.) | Rs. 8700/- | 8700-9000=2yr | |
| 4 | EEE(GTO) | Rs. 6600/- | 6600-8700=10yr | Sr. Manager (Tech.) | Rs. 6600/- | 6600-8700=10yr | |
| 5 | AEE(GTO) | Rs. 5600/- | 5600-6600=5yr | Manager(Tech.)# | Rs. 5600/- | 5600-6600=5yr | |
| 6 | x | x | x | x | Rs. 5500/- | x | x |
| 7 | x | x | x | x | Rs. 4600/- | x | x |
| 8 | x | x | x | x | Rs. 4300/- | x | x |
| 9 | x | x | x | x | Rs. 4200/- | x | x |
| 10 | x | x | x | x | Rs. 3300/- | x | x |
| 11 | x | x | x | x | Rs. 3000/- | x | x |
| 12 | x | x | x | x | Rs. 2700/- | x | x |
| 13 | x | x | x | x | Rs. 2400/- | x | x |
| 14 | x | x | x | x | Rs. 2100/- | x | x |

# Recruitment Post(Direct+Internal+Diploma Engineer who acquire Degree as per cadre rule)

## Engineering Cader (GTO) JUSNL/JUUNL (Diploma Holder)

| Sl. no. | Engineering (GTO) | Old Grade Pay | Old kalawdhi (As per O/O 1194) | New Designation for all Cadre | Corresponding Grade Pay | Recommended Kalawdhi | Sanction Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | X | X | X | Rs. 10000/- | X | |
| 2 | X | X | X | X | Rs. 9000/- | X | |
| 3 | X | X | X | X | Rs. 8700/- | X | |
| 4 | EEE(GTO) | Rs. 6600/- | x | Sr. Manager (Tech.) | Rs. 6600/- | x | |
| 5 | AEE(GTO) | Rs. 5600/- | 5600-6600=5yr | Manager(Tech.) | Rs. 5600/- | 5600-6600=5yr | Fixed percent of Mgr |
| 6 | X | X | X | X | Rs. 5500/- | X | X |
| 7 | JE (GTO) | Rs. 4500/- | 4500-5600=8yr | Junior Manager (Tech.)# | Rs. 4600/- | 4600-5600=8yr (Proposed) | |
| 8 | x | x | x | x | Rs. 4300/- | x | x |
| 9 | x | x | x | x | Rs. 4200/- | x | x |
| 10 | x | x | x | x | Rs. 3300/- | x | x |
| 11 | x | x | x | x | Rs. 3000/- | x | x |
| 12 | x | x | x | x | Rs. 2700/- | x | x |
| 13 | x | x | x | x | Rs. 2400/- | x | x |
| 14 | x | x | x | x | Rs. 2100/- | x | x |

# Recruitment-Post(Direct+ ITI holder who acquires Diploma in Engineering as per cadre rule)

## Engineering Cader (Civil) (Degree holder)

| Sl. no. | Engineering (Common Cadre) | Old Grade Pay | Old kalawdhi (As per O/O 1194) | New Designation for all Cadre | Corresponding Grade Pay | Recommended Kalawdhi | Sanction Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | x | x | x | Rs. 10000/- | x | x |
| 2 | Chief Engineer (Civil) | Rs. 9000/- | | General Manager (Civil) | Rs. 9000/- | x | |
| 3 | ACE (Civil) | Rs. 8900/- | 8900-9000=2yr | | | | |
| 4 | SE(Civil) | Rs. 8700/- | 8700-8900=2yr | Dy. General Manager (Civil) | Rs. 8700/- | 8700-9000=2yr | |
| 5 | EE(Civil) | Rs. 6600/- | 6600-8700=10yr | Sr. Manager (Civil) | Rs. 6600/- | 6600-8700=10yr | |
| 6 | AE(Civil) | Rs. 5500/- | 5600-6600=5yr | Manager (Civil)# | Rs. 5600/- | 5600-6600=5yr | |
| 7 | x | x | x | x | Rs. 5500/- | x | x |
| 8 | x | x | x | x | Rs. 4600/- | x | x |
| 9 | x | x | x | x | Rs. 4300/- | x | x |
| 10 | x | x | x | x | Rs. 4200/- | x | x |
| 11 | x | x | x | x | Rs. 3300/- | x | x |
| 12 | x | x | x | x | Rs. 3000/- | x | x |
| 13 | x | x | x | x | Rs. 2700/- | x | x |
| 14 | x | x | x | x | Rs. 2400/- | x | x |
| 15 | x | x | x | x | Rs. 2100/- | x | x |

# Recruitment Post(Direct+Internal+Diploma Engineer who acquire Degree as per cadre rule)

(654 6/21

## Engineering Cader (Civil) (Diploma Holder)

| Sl. no. | Engineering (Common Cadre) | Old Grade Pay | Old kalawdhi (As per O/O 1194) | New Designation for all Cadre | Corresponding Grade Pay | Recommended Kalawdhi | Sanction Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | x | x | x | Rs. 10000/- | x | x |
| 2 | x | x | x | x | Rs. 9000/- | x | x |
| 3 | x | x | x | x | Rs. 8700/- | x | x |
| 4 | EE(Civil) | Rs. 6600/- | x | Sr. Manager (Civil) | Rs. 6600/- | | |
| 5 | AE(Civil) | Rs. 5500/- | 5500-6600=5yr | Manager (Civil) | Rs. 5600/- | 5600-6600=5yr | Fixed % age of Mgr |
| 6 | x | x | x | x | Rs. 5500/- | x | x |
| 7 | JE (Civil) | Rs. 4500/- | 4500-5500=8yr | Junior Manager (Civil)# | Rs. 4600/- | 4600-5600=8yr (Proposed) | |
| 8 | x | x | x | x | Rs. 4300/- | x | x |
| 9 | x | x | x | x | Rs. 4200/- | x | x |
| 10 | x | x | x | x | Rs. 3300/- | x | x |
| 11 | x | x | x | x | Rs. 3000/- | x | x |
| 12 | x | x | x | x | Rs. 2700/- | x | x |
| 13 | x | x | x | x | Rs. 2400/- | x | x |
| 14 | x | x | x | x | Rs. 2100/- | x | x |

# Recruitment Post

683 7/21

## Engineering Cader (IT)

| Sl. no. | Engineering (Common Cadre) | Old Grade Pay | Old kalawdhi (As per O/O 1194) | New Designation for all Cadre | Corresponding Grade Pay | Recommended Kalawdhi | Sanction Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | x | x | x | Rs. 10000/- | x | x |
| 2 | Chief Engineer (IT)/ | Rs. 9000/- | x | General Manager (IT) | Rs. 9000/- | x | |
| 3 | SE(IT) | Rs. 8700/- | 8700-9000=2yr | Dy. General Manager (IT) | Rs. 8700/- | 8700-9000=2yr | |
| 4 | EE (IT) | Rs. 6600/- | 6600-8700=10yr | Sr. Manager (IT) | Rs. 6600/- | 6600-8700=10yr | |
| 5 | AE(IT) | Rs. 5500/- | 5500-6600=5yr | Manager (IT)# | Rs. 5600/- | 5600-6600=5yr | |
| 6 | x | x | x | x | Rs. 5500/- | x | x |
| 7 | x | x | x | x | Rs. 4600/- | x | x |
| 8 | x | x | x | x | Rs. 4300/- | x | x |
| 9 | x | x | x | x | Rs. 4200/- | x | x |
| 10 | x | x | x | x | Rs. 3300/- | x | x |
| 11 | x | x | x | x | Rs. 3000/- | x | x |
| 12 | x | x | x | x | Rs. 2700/- | x | x |
| 13 | x | x | x | x | Rs. 2400/- | x | x |
| 14 | x | x | x | x | Rs. 2100/- | x | x |

# Recruitment Post

## CS Cadre (Officer Cadre)

| Sl. no. | Accounts (Common Cadre) | Old Grade Pay | Old kalawdhi (As per O/O 1194) | New Designation for all Cadre | Corresponding Grade Pay | Recommended Kalawdhi | Sanction Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | x | x | x | Rs. 10000/- | x | |
| 2 | Company Secretory | Rs. 9000/- | x | General Manager (CS) | Rs. 9000/- | x | |
| 3 | Company Secretory | Rs. 8700/- | 8700-9000=2yr | Dy. General Manager (CS) | Rs. 8700/- | 8700-9000=2yr | |
| 4 | Company Secretory | Rs. 6600/- | 6600-8700=10yr | Sr. Manager (CS) | Rs. 6600/- | 6600-8700=10yr | |
| 5 | Company Secretory | Rs. 5500/- | 5500-6600=5yr | Manager (CS)# | Rs. 5600/- | 5500-6600=5yr | |
| 6 | x | x | x | x | Rs. 5500/- | x | x |
| 7 | x | x | x | x | Rs. 4600/- | x | x |
| 8 | x | x | x | x | Rs. 4300/- | x | x |
| 9 | x | x | x | x | Rs. 4200/- | x | x |
| 10 | x | x | x | x | Rs. 3300/- | x | x |
| 11 | x | x | x | x | Rs. 3000/- | x | x |
| 12 | x | x | x | x | Rs. 2700/- | x | x |
| 13 | x | x | x | x | Rs. 2400/- | x | x |
| 14 | x | x | x | x | Rs. 2100/- | x | x |

# Recruitment Post

## Accounts Cadre (Officer Cadre)

| Sl. no. | Accounts (Common Cadre) | Old Grade Pay | Old kalawdhi (As per O/O 1194) | New Designation for all Cadre | Corresponding Grade Pay | Recommended Kalawdhi | Sanction Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | x | x | Executive Director (F&A) (New creation of post vide notification no. 1723 dated 07.08.2018) | Rs. 10000/- | x | |
| 2 | Finance Controller-I | Rs. 9000/- | 9000-10000=2yr | General Manager (F&A) | Rs. 9000/- | 9000-10000=2yr | |
| 3 | Finance Controller-II | Rs. 8900/- | 8900-9000=2yr | | | | |
| 4 | Directors of Accounts/ Director (Finance) | Rs. 8700/- | 8700-9000=2yr | Dy. General Manager (F&A) | Rs. 8700/- | 8700-9000=2yr | |
| 5 | Dy. Directors of Accounts | Rs. 6600/- | 6600-8700=10yr | Sr. Manager (F&A) | Rs. 6600/- | 6600-8700=10yr | |
| 6 | Accounts Officer | Rs. 5500/- | 5500-6600=5yr | Manager (F&A)# | Rs. 5600/- | 5600-6600=5yr | |
| 7 | x | x | x | x | Rs. 5500/- | x | x |
| 8 | x | x | x | x | Rs. 4600/- | x | x |
| 9 | x | x | x | x | Rs. 4300/- | x | x |
| 10 | x | x | x | x | Rs. 4200/- | x | x |
| 11 | x | x | x | x | Rs. 3300/- | x | x |
| 12 | x | x | x | x | Rs. 3000/- | x | x |
| 13 | x | x | x | x | Rs. 2700/- | x | x |
| 14 | x | x | x | x | Rs. 2400/- | x | x |
| 15 | x | x | x | x | Rs. 2100/- | x | x |

# Recruitment Post(Direct+Internal+ Acconutant who acquires qualification as per cadre rule)

## Accounts Cadre (Staff Cader)

| Sl. no. | Accounts (Common Cadre) | Old Grade Pay | Old kalawdhi (As per O/O 1194) | New Designation for all Cadre | Corresponding Grade Pay | Recommended Kalawdhi | Sanction Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | x | x | x | Rs. 10000/- | x | x |
| 2 | x | x | x | x | Rs. 9000/- | x | x |
| 3 | x | x | x | x | Rs. 8700/- | x | x |
| 4 | x | x | x | x | Rs. 6600/- | x | x |
| 5 | x | x | x | x | Rs. 5600/- | x | x |
| 6 | x | x | x | x | Rs. 5500/- | x | x |
| 7 | x | x | x | x | Rs. 4600/- | x | x |
| 8 | Accountant/ Sr. Auditor/ Sr. Accountant | Rs. 4300/- | x | *Accounts Superintendent* | Rs. 4300/- | x | |
| 9 | Accounts Assistant | Rs. 4200/- | 4200-4300=2yr | Head Clerk (Accounts) | Rs. 4200/- | 4200-4300=2yr | |
| 10 | x | x | x | x | Rs. 3300/- | x | x |
| 11 | Jr. Accounts Clerk/ Bill Clerk. | Rs. 3000/- | 3000-4200=6yr | Accounts Assistant # | Rs. 3000/- | 3000-4200=6yr | |
| 12 | x | x | x | x | Rs. 2700/- | x | x |
| 13 | x | x | x | x | Rs. 2400/- | x | x |
| 14 | x | x | x | x | Rs. 2100/- | x | x |

# Recruitment Post,

## Admin/HR Cadre

| Sl. no. | Field Cadre (Common Cadre) | Field Cadre Old Grade Pay | Field Cadre Old kalawdhi (As per O/O 1194) | Sectt Cadre (Common Cadre) | Sectt Cadre Old Grade Pay | Sectt Cadre Old kalawdhi (As per O/O 1194) | Personnel cadre (Common Cadre) | Personnel cadre Old Grade Pay | Personnel cadre Old kalawdhi (As per O/O 1194) | New Designation for all Cadre | Corresponding Grade Pay | Recommended Kalawdhi | Sanction Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Rs. 10000/- | x | x |
| 2 | x | x | x | x | | | x | x | x | General Manager (P.& GA.)/ General Manager (HR) (New creation of post vide notification no. 1723 dated 07.08.2018) | Rs. 9000/- | x | |
| 3 | x | x | x | x | x | x | Director of Personnel | Rs. 8700/- | x | Dy. General Manager (Personnel)/(HR) | Rs. 8700/- | 8700-9000=2yr | |
| 4 | x | x | x | Joint Secretary | Rs. 7750/- | x | x | x | x | | | | |
| 5 | x | x | x | Under Secretary | Rs. 6600/- | 6600-7750=5yr | Dy. Directors (Personnel) | Rs. 6600/- | 6600-8700=10yr | Sr. Manager (HR) | Rs. 6600/- | 6600-8700=10yr | |
| 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Rs. 5600/- | x | x |
| 7 | x | x | x | x | x | x | Personnel Officer | Rs. 5500/- | 5500-6600=5yr | Manager(HR) # @ | Rs. 5600/- | 5600-6600=5yr | |
| 8 | Administrative Officer | Rs. 5300/- | x | Administrative Officer | Rs. 5300/- | 5300-6600=6yr | x | x | x | | | | |
| 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Rs. 5500/- | x | x |
| 10 | Section Officer | Rs. 4600/- | 4600-5300=3yr | Section Officer | Rs. 4600/- | 4600-5300=3yr | LWO | Rs. 4600/- | 4600-5500=4yr | Junior Manager (HR) | Rs. 4600/- | 4600-5600=8yr (Proposed) | |
| 11 | Office Superintendents | Rs. 4300/- | 4300-4600=4yr | x | x | x | x | x | x | *Superintendent (Admin)* | Rs. 4300/- | 4300-4600=4yr | |
| 12 | Head Clerk | Rs. 4200/- | 4200-4300=2yr | Upper Divisional Asstt. | 4200 | 4200-4600=5yr | x | x | x | Head Clerk (Admin.) | Rs. 4200/- | 4200-4300=2yr | |
| 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Rs. 3300/- | x | x |
| 14 | x | x | x | LDA | 3300 | 3300-4200=5yr | x | x | x | Office Assistant # @ | Rs. 3000/-* | 3000-4200=6yr | |
| 15 | Correspondance Clerk/including despatcher/diarist / sectional Clerk/S.D.C | 3000 | 3000-4200=6yr | Routine Clerk | 3000 | 3000-3300=4yr | x | x | x | | | | |
| 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Rs. 2700/- | x | x |
| 17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Rs. 2400/- | x | x |
| 18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Rs. 2100/- | x | x |

Note: * Pay of existing employee who falls under pay matrix table no-5 (G.P. 3300/-) will be protected till the date of his retirement/next promotion.

@ Appointment post for officer cadre & staff cadre for HR/Admin wing must be framed seperatly i.e New cadre rule for Staff cadre and Office cadre to be framed on the pattern of Technical/Engineering & Accounts cadre rule.

# Recruitment Post

## Store Cadre(Officer Cadre)

| Sl. no. | Store (Common Cadre) | Old Grade Pay | Old kalawdhi (As per O/O 1194) | New Designation for all Cadre | Corresponding Grade Pay | Recommended Kalawdhi | Sanction Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | x | x | x | Rs. 10000/- | x | x |
| 2 | x | x | x | x | Rs. 9000/- | x | x |
| 3 | Controller of Store | Rs. 8700/- | x | Dy. General Manager (Store) | Rs. 8700/- | x | |
| 4 | Dy. Controller of Store | Rs. 6600/- | 6600-8700=10yr | Sr. Manager (Store) | Rs. 6600/- | 6600-8700=10yr | |
| 5 | x | x | x | x | Rs. 5600/- | x | x |
| 6 | x | x | x | x | Rs. 5500/- | x | x |
| 7 | x | x | x | x | Rs. 4600/- | x | x |
| 8 | x | x | x | x | Rs. 4300/- | x | x |
| 9 | x | x | x | x | Rs. 4200/- | x | x |
| 10 | x | x | x | x | Rs. 3300/- | x | x |
| 11 | x | x | x | x | Rs. 3000/- | x | x |
| 12 | x | x | x | x | Rs. 2700/- | x | x |
| 13 | x | x | x | x | Rs. 2400/- | x | x |
| 14 | x | x | x | x | Rs. 2100/- | x | x |

Note:- Posting on above post has to be done from the panel of electrical engneers only.

677 13/21

## Store Cadre(staff Cadre)

| Sl. no. | Store (Common Cadre) | Old Grade Pay | Old kalawdhi (As per O/O 1194) | New Designation for all Cadre | Corresponding Grade Pay | Recommended Kalawdhi | Sanction Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | x | x | x | Rs. 10000/- | x | x |
| 2 | x | x | x | x | Rs. 9000/- | x | x |
| 3 | x | x | x | x | Rs. 8700/- | x | x |
| 4 | x | x | x | x | Rs. 6600/- | x | x |
| 5 | x | x | x | x | Rs. 5600/- | x | x |
| 6 | Assistant Controller of Store | Rs. 5500/- | x | Assistant Manager (Store) | Rs. 5500/- | x | |
| 7 | x | x | x | x | Rs. 4600/- | x | x |
| 8 | Sr. Strorekeeper | Rs. 4300/- | 4300-5500=8yr | *Superintendent (Store)* | Rs. 4300/- | 4300-5500=8yr | |
| 9 | Assistant Storekeeper | Rs. 4200/- | 4200-4300=2yr | Head Clerk (Store) | Rs. 4200/- | 4200-4300=2yr | |
| 10 | x | x | x | x | Rs. 3300/- | x | x |
| 11 | Store Assistant / Jr. StoreKeeper/Asst. Store Keeper/ Store clerk | Rs. 3000/- | 3000-4200=6yr | Office Assistant (Store)# | Rs. 3000/- | 3000-4200=6yr | |
| 12 | x | x | x | x | Rs. 2700/- | x | x |
| 13 | x | x | x | x | Rs. 2400/- | x | x |
| 14 | x | x | x | x | Rs. 2100/- | x | x |

Note:- Posting on above post has to be done from the panel of electrical engineers only.

# Recruitment Post

(676 14/24

## Legal Cadre

| Sl. no. | Law (Common Cadre) | Old Grade Pay | Old kalawdhi (As per O/O 1194) | New Designation for all Cadre | Corresponding Grade Pay | Recommended Kalawdhi | Sanctioi Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | x | x | x | Rs. 10000/- | x | x |
| 2 | x | x | x | Sr. Law Advidsior-cum-additional secretary | - | x | |
| 3 | x | x | x | Dy. General Manager (Law) (New creation of post vide notification no. 1723 dated 07.08.2018) | Rs. 8700/- | x | |
| 4 | Dy. Secretary (Law)/ Dy. Law Advisor/Under secretary Law | Rs. 6600/- | x | Sr. Manager (Law) | Rs. 6600/- | 6600-8700=10yr | |
| 5 | Law Officer | Rs. 5300/- | 5300-6600=6yr | Manager (Law)# | Rs. 5600/- | 5600-6600=5yr | |
| 6 | x | x | x | x | Rs. 5500/- | x | x |
| 7 | Legal Supervisor-I | Rs. 4450/- | 4450-5300=6yr | Junior Manager (Law) | Rs. 4600/- | 4600-5600=8yr (Proposed) | |
| 8 | Legal Supervisor-II* | Rs. 4300/- | 4300-4450=2yr | *Superintendent (Legal)* | Rs. 4300/- | 4300-4600=4yr | |
| 9 | x | x | x | x | Rs. 4200/- | x | x |
| 10 | x | x | x | x | Rs. 3300/- | x | x |
| 11 | x | x | x | x | Rs. 3000/- | x | x |
| 12 | x | x | x | x | Rs. 2700/- | x | x |
| 13 | x | x | x | x | Rs. 2400/- | x | x |
| 14 | x | x | x | x | Rs. 2100/- | x | x |

# Recruitment Post

*The posts of Legal Supervisor–I and Legal Supervisor–II are retained in the list solely for the purpose of calculation of terminal benefits and other future financial implications, as no incumbent is presently available against these posts.

(675) 15/21

Technical Staff Cadre

| Sl. no. | | Technical cadre | Old Grade Pay | Old kalawdhi (As per O/O 1194) | New Designation for all Cadre | Corresponding Grade Pay | Recommended Kalawdhi | Sanction Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | x | x | x | x | Rs. 10000/- | x | x |
| 2 | x | x | x | x | x | Rs. 9000/- | x | x |
| 3 | x | x | x | x | x | Rs. 8700/- | x | x |
| 4 | x | Fule Technologist/ Chief Chemist | Rs. 6600/- | x | Sr. Manager (Tech.)* | Rs. 6600/- | x | x |
| 5 | x | Unit Control Engineer (Power House) | Rs. 5600/- | 5600-6600=5yr | Manager (Tech.)* | Rs. 5600/- | x | x |
| 6 | x | Controller (Power House)/ Head Foreman (Power House)/ Head Foreman (Telecom.)/ Sr. Chemist | Rs. 5500/- | 5500-6600=5yr | *Asst. Manager (Controller)/Asst Manager (Foreman)* | Rs. 5500/- | x | |
| 7 | x | Erection & Maintenance Superintendent/ Welding Foreman/ General Foreman/ Chemist/ | RS. 4450/- | 4450-5500=NA | JM(Erection & Maintenance Superintendent) * | Rs. 4600/- | x | x |
| 8 | All NON-EXE. TECH POSTS | Assistant Controller/Foreman Gr.-1/ Foreman-1/ Welding Foreman/ Sr. Instrument Machenic/ Cable Jointer (Sr.)/ Laboratory Assistant/ Foreman Gr.-I (Civil), Power House, Survey/ Const. Welding/Chemical Assistant Gr.-I/ Jr. Matron/ Sr. Welder (HP)/Survey Superintendent/ Chief Stock Verifier/ Chief Store Inspector/ | Rs. 4300/- | 4300-4450=2yr | *Superintendent (Tech.)* | Rs. 4300/- | 4300-5500=8yr | |
| 9 | All NON-EXE. TECH POSTS | Head Electrician/ /Foreman Gr.-II/ Line Inspector/ Head Meter Tester/Meter Tester cum Motor Mechanic (ITI)/ Inspector (Line Sanitory Embankmount)/Sarang/ Instrument Mechanic-I/ Welder-I/ Technician-I/ Mechanic-I/ Operator/cable jointer/Transformer winder/Operator (Crane, Pusher, Trailor,Scrupe, Heavy Earth Moving, Overhead Crane,Over Bridge Crane Tractor, Dozer)/ H.E. M. Machanic Gr-I/overhead Crane Operator//Refractory Mason Gr.-I/ chargehand/Steel Fabricator/ Auto Machanic Gr-1/Auto Electrician Gr-I/operator(power House Leath)/Head Auto Mechanic/Electrician Gr-I//Loco shunting Driver Gr-I/ Senior Pipe Fitter/Auto Diesel Machanic/Driller(diamon)/senior welder/Telephone Operator cum Mechanic/ Technisian (Tele. Commu.)/ Jr. Research Assistant/ Supervisor (Garden, Eecl. Masor Civil, Roneo, Telecom.)/ Chemical Assistant Gr.-II/ X-Ray Technician/ Laboratory Technician/ Operation Theater Assistant/Translator Gr.-III/ Loco- Shunting Driver Gr..-I/ Wagon Tripeller/ Blade Feeder Operator/ cable Jointer Gr-1/Mechanist Gr-I/Laboratory Asst(Electrician)/Sr. Draftsman/ Head Draftsman/Statistical Supervisor Head Draftsman/ Asstt. Surveyor/ Kanungo/ | Rs. 4200/- | 4200-4300=2yr | Electrician (Head Clerk ) | Rs. 4200/- | 4200-4300=2yr | |
| 10 | All NON-EXE. TECH POSTS | Electrician/ Head Lineman/ Meter Mechanic/ Meter Tester/ Meter Mechanic Gr.-II/ Meter Inspector/Instrument Mechanic-II/ Technician-II/ Mechanic-II/ Electrician/ Head Fitter/ Pump Mechanic/ Auto Mechanic-II/ Rigger/ Scientific Assistant/ Electrician-II/ Electric Fitter-II/Weigh Bridge Attendent/Machanist Gr.-II/H.E.M. Operator-II /Railway Mistri/crane Operator-II/Locoshunting Driver-II/Telephone Operator/Driver-cum-Mechanic Gr-II | Rs. 3300/- | 3300-4200=5yr | *Sr. Technical Assistant* | Rs. 3300/- | 3300-4200=5yr | |
| 11 | All NON-EXE. TECH POSTS | SBO-I/ Lineman/Meter reader/Instrument Mechanic-III/ Technician-III/ Fitter-I/ Assistant Operator(Power house)/Welder-II/ Gas Welder/ Structure Welder/ Gas Cutter/ Turbine Welder/ Drilling Operator/ Driller / Compressor Operator/ Yard Supervisor/ E.H.T Fuseman cum Petrolman / Tindellar/ Black Smith/ Patrolman/Fitter-I/ Electric Fitter Gr.-I/ Turner-I/ Wireman-I/Service man/ Armature winder/ Pump Operator/Welder Helper/ Jr. Welder/ Auto Electrician-III/ Mechanic Gr.-III/ Mechanic /Gauge Reader/ Pipe Fitter/ Plumber/ Field Asstt./ Research Asstt./ Power Board Operator/Instrument Mechanic Grade-III/Duplicator Operator-cum-Daftary/Jr. Surveyor/ | Rs. 3000/- | 3000-3300=4yr | Technical Assistant # | Rs. 3000/- | 3000-3300=4yr | |
| 12 | All NON-EXE. TECH POSTS | SBO-II/ Jr. Lineman/Fitter-II// Fuseman/ Fitter-II/ Wireman-II/ Turner-II | Rs. 2700/- | 2700-3000=5yr | | | | |
| 13 | | x | x | x | Supporting Staff-I | Rs. 2700/- | 2700-3000=5Yr | |
| 14 | Group IV Posts | Skilled Khalasi/ Winch Operator/ | Rs. 2400/- | 2400-2700=5yr | Supporting Staff-II | Rs. 2400/- | 2400-2700=5Yr | |
| 15 | | Unskilled Khalasi/oilman/ Lifman/ Lift Operator / Boat Operator/ | Rs. 2100/- | 2100-2400=5yr | Supporting Staff-III | Rs. 2100/- | 2100-2400=5yr | |

# Recruitment Post

*These posts are retained in the list solely for the purpose of calculation of terminal benefits and other future financial implications, as no incumbent is presently available against these posts.

674 16/21

## Non-Technical Cadre

| Sl. no. | | Old Grade Pay | Old kalawdhi (As per O/O 1194) | New Designation for all Cadre | Corresponding Grade Pay | Recommended Kalawdhi | Sanction Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | x | x | x | Rs. 10000/- | x | x |
| 2 | x | x | x | x | Rs. 9000/- | x | x |
| 3 | x | x | x | x | Rs. 8700/- | x | x |
| 4 | x | x | x | x | Rs. 6600/- | x | x |
| 5 | x | x | x | x | Rs. 5600/- | x | x |
| 6 | Head Master (High School) | Rs. 5500/- | x | *Asst. Manager(Headmaster (HS))** | Rs. 5500/- | x | x |
| 7 | Head Master (High School) | RS. 4450/- | 4450-5500=NA | JM(Headmaster (HS))* | Rs. 4600/- | x | x |
| 8 | Head Master(Middle School)/ Head Mistress (Middle School)/Transletter-II/ Stock Verifier/ Store Inspector/ Claim Inspector/ Asstt. Teacher (High School)/ Superintendent Issue Branch/ | Rs. 4300/- | 4300-4450=2yr | *Superintendent* | Rs. 4300/- | x | |
| 9 | Instructor/ Chemixst/ Shift Incharge/ Rota Print Operator/Daftsman Gr.-I/ Estimator/ Statical Assistant/ Head Timekeeper/ Care Taker/ Canteen Manager/ Asstt. Stock verifire / Exhibition Supervisor/ Teacher (Intermediate Trained) / Head Typist/ Librarian/ Asst Store Verifire | Rs. 4200/- | 4200-4300=2yr | Head Clerk | Rs. 4200/- | 4200-4300=2yr | |
| 10 | Draftsman-II/ Jr. Draftsman/ A.I.O. (Typist)/ Labour Supervisor/ Economic Investigator/ Co-operative Manager /Liabrary Asst/Typist Cl.I/Refractory Mason-II/Tractor Operator-II// Motor mech.II | Rs. 3300/- | 3300-4200=5yr | *Sr. Assistant* | Rs. 3300/- | 3300-4200=5yr | |
| 11 | Vehicle Driver/ Crane Driver/ Carpentor/ Carpentor Fitter/ Dressor Tractor/ Road Roller Operator/ Disel Engineer Driver/ Work Sarka/ Time Keeper/ Typist/ Recore Keeper/ Typist 2/Typist -cum- correspondence clerk / Teacher(Matric)/ Sub-Overseer/ Mason-I/ Addrama Machine Operator | Rs. 3000/- | 3000-3300=4yr | Assistant # | Rs. 3000/- | 3000-3300=4yr | |
| 12 | Tracer/painer/ Library Attendent/ Trade Apprentrics/ Addressographer/ Blue Printer/ Ferro Printer/ Amin/ Khansama/ Cook/ Record Supplier/ Teacher (Non matric Trained) / Leading Fireman/ Telephone Attendent// Mason-II/ Asstt. Addrama Operator-II/Pump Operator-II/ Asstt. Pump Operator/ Pump Attendent// Mixer Operator// Gastentner Operator/ Sanitary Mechanic/ Jack Hammer Operator/ | Rs. 2700/- | 2700-3000=5yr | Supporting Staff-I | Rs. 2700/- | 2700-3000=5yr | |
| 13 | Sample Collector/ Daftari/ Winch helper/ Mali/ Skilled Mali/ Sample Preparer/ Treasure Guard/ Treasure Sircar/ Hazam (Barber)/ Washerman/ Library Attendent/ Fireman/ Watcher Constable/ Halwai/ | Rs. 2400/- | 2400-2700=5yr | Supporting Staff-II | Rs. 2400/- | 2400-2700=5yr | |
| 14 | Masalchi/Sweeper/ Peon/ Choukidar/ Darban/ Watchman/ Helper/ Hammerman/Kitchen Servant/ Kitchen Helper/ Dishwasher/ Bearer/ Beara/ Car Cleaner/ Erand Boy/ Maid Servant/ Garden Mazdoor/ Ward Attendent/ Saleman/ saleman cum Fary bou/ Sales Boy/ Fary Boy/ Farash/ Night Guard/ Shorter/ Packer/Counter Supplier-cum-Packer/ Pani Pande-cum-Mazdoor/ Chainman/Tea Maker/ Carpenter helper Messenger/Jamadar/ | Rs. 2100/- | 2100-2400=5yr | Supporting Staff-III | Rs. 2100/- | 2100-2400=5yr | |

# Recruitment Post

*These posts are retained in the list solely for the purpose of calculation of terminal benefits and other future financial implications, as no incumbent is presently available against these posts.

21/2/21

## Stenographer Cadre

| | Sectt. Cadre | | | Field Cadre | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl. no. | Stenographer (Sectt Cadre) | Old Grade Pay | Old kalawdhi (As per O/O 1194) | Stenographer (Field Cadre) | Old Grade Pay | Old kalawdhi (As per O/O 1194) | New Designation for all Cadre | Corresponding Grade Pay | Recommended Kalawdhi | Sanction Post |
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | **Rs. 10000/-** | x | x |
| 2 | x | x | x | x | x | x | x | **Rs. 9000/-** | x | x |
| 3 | x | x | x | x | x | x | x | **Rs. 8700/-** | x | x |
| 4 | Under Secretary | Rs. 6600/- | | x | x | x | Sr. Manager (Steno) | **Rs. 6600/-** | x | |
| 5 | Private Secretary | Rs. 5300/- | 5300-6600=6yr | x | x | x | Manager (Steno) | **Rs. 5600/-** | 5600-6600=5yr | |
| 6 | x | x | x | x | x | x | x | **Rs. 5500/-** | x | x |
| 7 | Sr. Personal Assistant | Rs. 4600/- | 4600-5300=3yr | x | x | x | Junior Manager (Steno) | **Rs. 4600/-** | 4600-5600=8yr | |
| 8 | Stenographer Class-I/ P.A | Rs. 4300/- | 4300-4600=4yr | Stenographer Class-I | Rs. 4300/- | 4300-5600=NA | ***Superintendent (Steno/PA)*** | **Rs. 4300/-** | 4300-4600=4yr | |
| 9 | Stenographer Class-II | Rs. 4200/- | 4200-4300=2yr | Stenographer Class-II | Rs. 4200/- | 4200-4300=2yr | **Head Clerk (Steno)** | **Rs. 4200/-** | 4200-4300=2yr | |
| 10 | x | x | x | x | x | x | x | **Rs. 3300/-** | x | x |
| 11 | x | x | x | Steno Typist/Steno Clerk/Stenographer | Rs. 3000/- | 3000-4200=6yr | **Steno Assistant #** | **Rs. 3000/-** | 3000-4200=6yr | |
| 12 | x | x | x | x | x | x | x | **Rs. 2700/-** | x | x |
| 13 | x | x | x | x | x | x | x | **Rs. 2400/-** | x | x |
| 14 | x | x | x | x | x | x | x | **Rs. 2100/-** | x | x |

# Recruitment Post

(672 18/21

## Security Cadre

| Sl. no. | Security (Common Cadre) | Old Grade Pay | Old kalawdhi (As per O/O 1194) | New Designation for all Cadre | Corresponding Grade Pay | Recommended Kalawdhi | Sanction Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | x | x | x | Rs. 10000/- | x | x |
| 2 | x | x | x | x | Rs. 9000/- | x | x |
| 3 | x | x | x | x | Rs. 8700/- | x | x |
| 4 | x | x | x | x | Rs. 6600/- | x | x |
| 5 | x | x | x | x | Rs. 5600/- | x | x |
| 6 | x | x | x | x | Rs. 5500/- | x | x |
| 7 | x | x | x | x | Rs. 4600/- | x | x |
| 8 | Security Officer | Rs. 4300/- | x | *Superintendent (Security Officer)* | Rs. 4300/- | x | |
| 9 | x | x | x | x | Rs. 4200/- | x | x |
| 10 | Security Jamadar | Rs. 3300/- | 3300-4300=NA | *Sr. Assistant (Security Jamadar)* | Rs. 3300/- | 3300-4300=6yr Proposed | |
| 11 | x | x | x | x | Rs. 3000/- | x | x |
| 12 | Security Hawaldar | Rs. 2700/- | 2700-3300=6yr | SS-I (Security Hawaldar ) | Rs. 2700/- | 2700-3300=6yr | |
| 13 | Security Guard/ Watcher Constable | Rs. 2400/- | 2400-2700=5yr | SS-II (Security Guard) # | Rs. 2400/- | 2400-2700=5yr | |
| 14 | x | x | x | x | Rs. 2100/- | x | x |

# Recruitment Post

(671) 19/21

## Intellegence Cadre

| Sl. no. | Security (Common Cadre) | Old Grade Pay | Old kalawdhi (As per O/O 1194) | New Designation for all Cadre | Corresponding Grade Pay | Recommended Kalawdhi | Sanction Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | x | x | x | **Rs. 10000/-** | x | x |
| 2 | x | x | x | x | **Rs. 9000/-** | x | x |
| 3 | x | x | x | x | **Rs. 8700/-** | x | x |
| 4 | x | x | x | x | **Rs. 6600/-** | x | x |
| 5 | x | x | x | x | **Rs. 5600/-** | x | x |
| 6 | x | x | x | x | **Rs. 5500/-** | x | x |
| 7 | x | x | x | x | **Rs. 4600/-** | x | x |
| 8 | Intelligence Officer/ Vigilance Officer | Rs. 4300/- | x | ***Superintendent (IO)*** | **Rs. 4300/-** | x | |
| 9 | Asstt. Intellegence Officer Gr. -I | Rs. 4200/- | 4200-4300=2yr | **Head Clerk (IO)** | **Rs. 4200/-** | 4200-4300=2yr | |
| 10 | Asstt. Intellegence Officer | Rs. 3300/- | 3300-4200=5yr | ***Sr. Assistant (IO) #*** | **Rs. 3300/-** | 3300-4200=5yr | |
| 11 | x | x | x | x | **Rs. 3000/-** | x | x |
| 12 | x | x | x | x | **Rs. 2700/-** | x | x |
| 13 | x | x | x | x | **Rs. 2400/-** | x | x |
| 14 | x | x | x | x | **Rs. 2100/-** | x | x |

# Recruitment Post

2123

670 20/2

## Medical Cadre

| Sl. | Medical Common Cadre | Old Grade Pay | Old kalawdhi (As per O/O 1194) | New Designation for all Cadre | Corresponding Grade Pay | Recommended Kalawdhi | Sanction Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | x | x | x | Rs. 10000/- | x | x |
| 2 | x | x | x . | x | Rs. 9000/- | x | x |
| 3 | Medical Superintendent (Surgeon/ Physician) | Rs. 8700/- | x | DGM(Medical Supritendent) | Rs. 8700/- | x | |
| 4 | Sr. Medical Officer | Rs. 6600/- | 6600-8700=10yr | SRM (Sr. Medical Officer) | Rs. 6600/- | 6600-8700=10yr | |
| 5 | Medical Officer (Direct Recruitment) | Rs. 5500/- | 5500-6600=5yr | Manager (Medical Officer) # | Rs. 5600/- | 5500-6600=5yr | |
| 6 | x | x | x | x | Rs. 5500/- | x | x |
| 7 | x | x | x | x | Rs. 4600/- | x | x |
| 8 | x | x | x | x | Rs. 4300/- | x | x |
| 9 | x | x | x | x | Rs. 4200/- | x | x |
| 10 | x | x | x | x | Rs. 3300/- | x | x |
| 11 | x | x | x | x | Rs. 3000/- | x | x |
| 12 | x | x | x | x | Rs. 2700/- | x | x |
| 13 | x | x | x | x | Rs. 2400/- | x | x |
| 14 | x | x | x | x | Rs. 2100/- | x | x |

# Recruitment Post

1669 21/1/21

## Medical Cadre Staff

| Sl. no. | Medical Common Cadre | Old Grade Pay | Old kalawdhi (As per O/O 1194) | New Designation for all Cadre | Corresponding Grade Pay | Recommended Kalawdhi | Sanction Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | x | x | x | **Rs. 10000/-** | x | x |
| 2 | x | x | x | x | **Rs. 9000/-** | x | x |
| 3 | x | x | x | x | **Rs. 8700/-** | x | x |
| 4 | x | x | x | x | **Rs. 6600/-** | x | x |
| 5 | x | x | x | x | **Rs. 5600/-** | x | x |
| 6 | x | x | x | x | **Rs. 5500/-** | x | x |
| 7 | x | x | x | x | **Rs. 4600/-** | x | x |
| 8 | x | x | x | x | **Rs. 4300/-** | x | x |
| 9 | Compounder/ Nurse | Rs. 4200/- | x | Head Clerk (Compounder/ Nurse) | **Rs. 4200/-** | x | |
| 10 | Lady Health Visitor | Rs. 3300/- | 3300-4200=5yr | *Sr Assistant (Medical)#* | **Rs. 3300/-** | 3300-4200=5yr | |
| 11 | x | x | x | x | **Rs. 3000/-** | x | x |
| 12 | ANM Auxillary Nurse cum Mid wife | Rs. 2700/- | 2700-3300=6yr | **Supporting Staff-I** | **Rs. 2700/-** | 2700-3000=5yr | |
| 13 | Midwife | Rs. 2400/- | 2400-2700=5yr | **Supporting Staff-II** | **Rs. 2400/-** | 2400-2700=5yr | |
| 14 | Dai/ Ayah | Rs. 2100/- | 2100-2400=5yr | **Supporting Staff-III** | **Rs. 2100/-** | 2100-2400=5yr | |

# Recruitment Post

21/2/21

अनुसूची - I

(668

23

BIHAR STATE ELECTRICITY BOARD, PATNA.
DEPARTMENT OF GENERAL ADMINISTRATION.

O.O.No. 4843/
XIII/CP-2019/87

Patna, dated, the 8/9/87

In pursuance of Board's Resolution No.8577 dated 20/24.7.87 the following 16.. temporary posts created earlier during the phase of construction of Hydel Power Station, Sikidari, Ranchi, are to continued upto 29.2.88 for the operation and maintenance of the Power Station.

| Sl. No. | Designation of the Posts. | No. of Posts. | Scale of Pay. |
|---|---|---|---|
| | (A) Technical (24 Nos.) | | |
| 1. | Elecl. Superintending Engineer/ P.M. | 1 | Rs. 2300-90-2750-100-2850/-. |
| 2. | Elecl. Executive Engr. | 2 | Rs. 1700-70-2400/-. |
| 3. | Asstt. Executive Engr. | 10 | Rs. 1255-55-1530-EB-1700-60-2000/-. |
| 4. | Executive Engineer (Civil) | 1 | Rs. 1700-70-2400/-. |
| 5. | Asstt. Engineer (Civil) | 2 | Rs. 1200-55-1530-EB-1700-60-2000/-. |
| 6. | J. Engineer (Civil) | 3 | Rs. 915-30-1005-35-1145-EB-1250-40-1650/-. |
| 7. | Head Foreman | 1 | Rs. 1200-55-1530-EB-1700-60-2000/-. |
| 8. | Junior Engineer (Elecl./ Mech.). | 4 | Rs. 915-30-1005-35-1145-EB-1250-40-1650/-. |
| | (B. Non-Technical (2 nos.) | | |
| 1. | Accounts Officer | 1 | Rs. 1200-55-1530-EB-1700-60-2000/-. |
| 2. | Medical Officer. | 1 | Rs. 1200-55-1530-EB-1700-60-2000/-. |
| | Workmen | | |
| | (A) Technical (71 Nos.) | | |
| 1. | Asstt. Controller | 3 | Rs. 900-30-1110-35-1285-40-1445/-. |
| 2. | Operator. | 5 | Rs. 795-19-985-20-1125-21-1230/-. |
| 3. | E.O.T. Crane Operator. | 1 | Rs. 795-19-985-20-1125-21-1230/-. |
| 4. | Telephone Operator. | 2 | Rs. 725-18-905-20-1005-22-1115/-. |
| 5. | Pump Operator. | 1 | Rs. 615-14-755-15-830-16-878/-. |
| 6. | Diesel Engineer Operator. | 1 | Rs. 665-16-777-18-867-20-967/-. |
| 7. | Heavy Vehicle Operator. | 4 | 665-16-777-18-867-20-967/-. |
| 8. | Vehicle Driver. | 10 | 665-16-777-18-867-20-967/-. |
| 9. | Sr. Store Keeper. | 1 | Rs. 900-30-1110-35-1285-40-1445/-. |
| 10. | Asstt. Store Keeper. | 1 | Rs. 795-19-985-20-1125-21-1230/-. |
| 11. | Technician Gr. I | 4 | Rs. 795-19-985-20-1125-21-1230/-. |
| 12. | Technician Gr. II. | 4 | Rs. 725-18-905-20-1005-22-1115/-. |
| 13. | Welder Gr. I. | 1 | Rs. 795-19-985-20-1125-21-1230/-. |
| 14. | Auto. Mechanic Gr. II. | 1 | Rs. 725-18-905-20-1005-22-1115/-. |
| 15. | Draftsman Gr. II. | 1 | Rs. 725-18-905-20-1005-22-1115/-. |
| 16. | Tracer. | 1 | Rs. 615-14-755-15-830-16-878/-. |
| 17. | Blue Printer. | 1 | Rs. 615-14-755-15-830-16-878/-. |
| 18. | Carpenter. | 1 | Rs. 665-16-777-18-867-20-967/-. |
| 19. | Fuseman | 3 | Rs. 615-14-755-15-830-16-878/-. |
| 20. | Rigger. | 2 | Rs. 725-18-905-20-1005-22-1115/-. |
| 21. | Sarang. | 1 | Rs. 795-19-985-20-1125-21-1230/-. |

Scanned with OKEN Scanner

(22) (667

| [illegible] Posts. | | Scale. |
|---|---|---|
| 22. Plumber. | 1 | Rs. 665-16-777-18-867-20-96[illegible] |
| 23. Mali | 1 | Rs. 615-14-755-15-830-1[illegible]-878/- |
| 24. Meter Reader. | 1 | Rs. 665-16-777-18-867-20-9[illegible]7/- |
| 25. Lineman | 1 | Rs. 665-16-777-18-867-20-967/-. |
| 26. Jr. Lineman | 2 | Rs. 615-14-755-15-830-16-878/-. |
| 27. Un-Skilled Khalasi | 16 | Rs. 550-7-620-8-684-9-720/-. |
| (d) Non-Technical. (69 No.) | | |
| 1. Head Clerk. | 2 | Rs. 795-19-985-20-1125-21-1230/-. |
| 2. Correspondence Clerk. | 3 | Rs. 665-16-777-18-867-20-967/-. |
| 3. Dispatcher. | 1 | Rs. 665-16-777-18-867-20-967/-. |
| 4. [illegible] | 1 | Rs. 665-16-777-18-867-20-967/-. |
| 5. Stenographer Gr.I. | 1 | Rs. 900-30-1110-35-1285-10-1445/-. |
| 6. Typist. | 4 | Rs. 665-16-777-18-867-20-967/-. |
| 7. Accountant. | 1 | Rs. 900-30-1110-35-1285-10-1445/-. |
| 8. Accts. Asstt. | 4 | Rs. 795-19-985-20-1125-21-1230/-. |
| 9. Jr. Acctt. Clerk. | 2 | Rs. 665-16-777-18-867-20-967/-. |
| 10. Head Master. | 1 | Rs. 900-30-1110-35-1285-10-1445/-. |
| 11. Asstt. Teacher. | 5 | Rs. 795-19-985-20-1125-21-1230/-. |
| 12. Darban. | 1 | Rs. 575-10-675-12-795/-. |
| 13. Treasure Guard. | 1 | Rs. 575-10-675-12-795/-. |
| 14. Peon. | 10 | Rs. 550-7-620-8-684-9-720/-. |
| 15. Chowkidar. | 13 | Rs. 550-7-620-8-684-9-720/-. |
| 16. [illegible] | 1 | Rs. 550-7-620-8-[illegible] |
| 17. Compounder. | 1 | Rs. 795-19-985-20-1[illegible]-21-1230/-. |
| 18. [illegible] | 1 | Rs. 665-16-777-18-867-[illegible]-967/-. |
| 19. [illegible] | 1 | Rs. 795-19-985-20-1125-21-1230/-. |
| 20. [illegible] | 1 | Rs. 575-10-675-12-795/-. |
| 21. Caretaker. | 1 | Rs. 795-19-985-20-1125-21-1230/-. |
| 22. Khansama | 2 | Rs. 615-14-755-15-830-16-878/-. |
| 23. Dafra | 1 | Rs. 550-7-620-8-684-9-720/-. |
| 24. Mali | 3 | Rs. 575-10-675-12-795/-. |

BY ORDER OF THE BIHAR STATE ELECTRICITY BOARD,

(H. K. Pandey)
p/o SECRETARY.

Memo No. 4110 / Patna, dated, the 8/9/87

Copy forwarded to All Member of the Board/ T.S. to the Chairman, Bihar State Electricity Board, Patna for information.

(H. K. Pandey)
Secretary.

Memo No. 4110 / Patna, dated, the 8/9/87

Copy forwarded to the All G.M.-cum-Chief Engineer/ All Chief Engineer/ I.G./ Sr. Legal Adviser/ All Joints Secretary/ All Under Secy./ Director of Personnel/ All Financial Controller/ Director of Finance/ Director of Accounts/ Project Manager, Hydel Power Station, Sikidari, [illegible]/ Accounts Officer, Hydel Power Station, Sikidari, Ranchi/ A.O. [illegible] [illegible] Electricity Board, Patna for information.

(H. K. Pandey)
p/o Secretary.

अनुसूची - II

(666

# Jharkhand Urja Utpadan Nigam Limited

## Appendix – I

### Revised Designation Mapping

| # | As-Is Cadre Structure | | | | Proposed Designation Mapping | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | General | Civil | Admin/Legal | Accounts | New Designation for all cadre | | |
| 1 | Engineer-in-Chief | | | | Executive Director (ED)* | | |
| 2 | CE | CE | Secretary | Financial Controller I | General Manager (GM)* | | |
| 3 | | ACE | | Financial Controller II | | | |
| 4 | SE | SE | Director (Personnel) | Director (Accounts) | Deputy General Manager (DGM)* | | |
| 5 | | | Joint Secretary | | | | |
| 6 | EE | EE | Deputy Director (Personnel)/ Under Secretary/ Deputy Director (Law) | Deputy Director (Accounts) | Senior Manager (SM)* | | |
| 7 | AE | AE | Personnel Officer | Accounts Officer | Manager* | | |
| 8 | | | Administrative Officer/ Law Officer | | | | |
| 9 | | | Section Officer/ Labour Welfare Officer | | Junior Manager (JM) | | |
| 10 | JE | JE | | | | | |
| 11 | | | Office Superintendent | Accountant | | | |
| 12 | All Non-Executive Technical Posts | | All Non-Executive Non-Technical Posts | | Head Clerk (Admin) | Head Clerk (Accounts) | Electrician |
| 13 | | | | | Office Assistant(OA) | Accounts Assistant(AA) | Technical Assistant(TA) |
| 14 | Group IV Posts | | | | Supporting Staff I | | |
| 15 | | | | | Supporting Staff II | | |
| 16 | | | | | Supporting Staff III | | |

अनुसूची-II
1665

## SRHP Manpower

The Field Manpower in Sikidiri power plant will remain unchanged. (Similar to Sanctioned Post)

| Designation | SRHP | Total |
|---|---|---|
| ED | - | - |
| GM | 0 | 0 |
| DGM | 1 | 1 |
| SM | 4 | 4 |
| Manager | 15 | 15 |
| Junior Manager | 6 | 6 |
| Non-Executive | 196 | 196 |
| Total | 222 | 222 |

## Overall Manpower

The summary table for overall manpower is mentioned below

| Positions | Sanctioned Post | Total Corporate Manpower | Total Field Manpower | Overall Manpower | Additional Post including outsourced post |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=C+D | F=E-B |
| ED | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GM | 10 | 6 | 0 | 6 | -4 |
| DGM | 37 | 15 | 1 | 16 | -21 |
| SM | 88 | 23 | 4 | 27 | -61 |
| Manager | 305 | 22 | 15 | 37 | -268 |
| JM | 56 | 17 | 6 | 23 | -33 |
| Total Executives | 497 | 84 | 26 | 110 | -387 |
| Total Non-Executive | 1197 | 95 | 196 | 291 | -906 |
| Grand Total | 1694 | 179 | 222 | 401 | -1293 |

अनुसूची-III
(664)

# CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

## NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2023

No. CEA-PS-16/1/2021-CEI Division.—Whereas the draft of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2022 was published in six newspaper dailies, as required by sub- section (3) of section 177 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with sub-rule (2) of rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty-five days, from the date on which the copies of the newspaper containing the said draft regulations were made available to the public;

And whereas copies of the said newspapers containing the public notices and the said draft regulations on the website of the Central Electricity Authority were made available to the public on 14th June, 2022;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft regulations were considered by the Central Electricity Authority;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 177 and read with section 53 of the Electricity Act, 2003, and in suppression of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such suppressions, the Central Electricity Authority hereby makes the following regulations, namely: –

## Chapter I

## Preliminary

1. **Short title and Commencement.** – (1) These regulations may be called the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2023.

   (2) These regulations shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

   (3) **Scope and extent of application.** – These regulations shall be applicable to electrical installation including electrical plant and electric line, and the person engaged in the generation or transmission or distribution or trading or supply or use of electricity.

2. **Definitions.** – (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,

   (a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

   (b) "accessible" means within physical reach without the use of any appliance or special effort;

   (c) "aerial bunched cable" means polyethylene or cross linked polyethylene insulated cable having three or four cores with aluminium conductors twisted over a central bare or insulated aluminium alloy or steel messenger wire;

   (d) "apparatus" means electrical apparatus and includes all machines, fittings, accessories and appliances in which conductors are used;

   (e) "bare" means not covered with insulating materials;

   (f) "bonding conductor" means the inter connecting conductors for the purpose of

Engineer, on the web portal of the Government or the Department dealing with matters of inspection of electrical installations for the information of the owner or supplier or consumer.

7. **Safety measures for operation and maintenance of generating station.** – (1) The Engineers and Supervisors engaged or appointed to operate or undertake maintenance of any part or whole of a generating station shall hold degree or diploma in Engineering relevant to the electrical installations from a recognised institute or university.

(2) The Engineers and Supervisors engaged or appointed for operation and maintenance of generating station shall have successfully undergone the type of training as specified by the Authority in its guidelines issued under sub-regulation (4) from time to time, within two years from the date of engagement or appointment.

(3) The Technicians to assist Engineers or Supervisors shall possess a certificate in appropriate trade, preferably with a two years course from an Industrial Training Institute recognised by the Central Government or the State Government and shall have successfully undergone the type of training as specified in sub-regulation (4), within two years from the date of engagement or appointment:

Provided that the existing employees, as on the date of notification of these regulations, who are extending technical assistance to Engineers or Supervisors and do not have requisite qualification as mentioned in this regulation, shall have to undergo the training either from Power Sector Skill Council or from training institute recognised by the Authority for carrying out trade specific course as per the guidelines issued by the Authority and get certificate as mentioned above within two years from the date of notification of these regulations.

(4) The Authority shall issue guidelines for the training for operation and maintenance of generating station within six months of the notification of these regulations:

Provided that the duration and content of the training course shall be as specified in the guidelines.

(5) The owner of every generating station shall arrange for training of personnel engaged or appointed to operate and undertake maintenance of the generating station from its own institute or any other institute recognised by the Authority or State Government as per the guidelines and shall maintain records of the assessment of these personnel issued by the training institute in the format prescribed in guidelines and such records shall be made available to the Electrical Inspector, as and when required.

(6) The certificate of recognition of the training institute under these regulations shall be displayed by the Institute on its website at home page.

(7) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (4), the training syllabus may be customised by the owner of the generating station of capacity below 100 MW owning the training institute for the purpose of imparting training to its employees under intimation to the Authority.

8. **Safety measures for operation and maintenance of transmission and distribution systems.** – (1) The Engineers or Supervisors engaged or appointed to operate or undertake maintenance of transmission and distribution systems shall hold degree or diploma in appropriate trade of Engineering from a recognised institute or university.

(2) The Engineers and Supervisors engaged or appointed to operate or. undertake maintenance of transmission and distribution systems shall have successfully undergone the type of training specified in guidelines as per sub- regulation (4), within two years from the date of engagement or appointment.

(3) The Technicians to assist Engineers or Supervisors shall possess a certificate in

662

appropriate trade, preferably with a two years course from an Industrial Training Institute recognised by the Central Government or State Government and should have successfully undergone the type of training as specified in guidelines as per sub-regulation (4), within two years from the date of engagement or appointment:

Provided that the existing employees, as on the date of notification of these regulations, who are extending technical assistance to Engineers or Supervisors and do not have requisite qualification as mentioned in this regulation, shall have to undergo the training either from Power Sector Skill Council or from training institute recognised by the Authority for carrying out trade specific course as per the guidelines issued by the Authroity and get certificate as mentioned above within two years from the date of notification of these regulations.

(4) The Authority shall issue guidelines for the training for operation and maintenance of transmission, distribution systems within six months of the notification of these regulations:

Provided that the duration and content of the training course shall be as specified in the guidelines.

(5) Owner of every transmission or distribution system shall arrange for training of their personnel engaged or appointed to operate and undertake maintenance of transmission and distribution system, in his own institute or any other institute recognised by the Authority or State Government as per the guidelines and shall maintain records of the assessment of these personnel issued by the training institute in the format prescribed in guidelines and such records shall be made available to the Electrical Inspector, as and when required.

9. **Training and Certification of personnel engaged for operation and maintenance at Load Despatch Centres.** – (1) The personnel engaged for operation and maintenance at the control room shall hold degree or diploma in Electrical Engineering or in related trade of Engineering from a recognised institute or university.

(2) The Authority shall issue guidelines for the training and certification of personnel engaged for operation and maintenance at control room within six months of the notification of these regulations:

Provided that the roles and responsibilities of the certification agency, duration and content of the basic and advance certification and training course shall be as specified in the guidelines.

(3) The certification agency shall be a training institute recognised by the Authority:

Provided that the Load Despatch Centre shall arrange for training and certification of load despatcher from the certification agency recognised by the Authority as per guidelines issued under sub-regulation (2) of this regulation within six months of their engagement:

Provided further that no personnel shall be engaged as load despatcher without certification:

Provided also that existing employee engaged in Load Despatch Centre shall be trained as per guidelines specified under sub-regulation (2) of this regulation within two years from the date of coming in force of these regulations.

(4) The training institute shall maintain records of the assessment of load despatcher in electronic form in the format prescribed in guidelines specified under sub-regulation (2) of this regulation and such records shall be made available to the Secretary, Central Electricity Authority on annual basis.

(5) The personnel other than the load despatcher engaged in the Load Despatch Centre shall undergo requisite training in their related work in the Load Despatch Centre within

अनुसूची-IV

(661)

Effective Date of Transfer on the following principles:-

i) All the personnel working with the Transmission function and activities of the Board shall be deemed to be stand transferred as from the Effective Date of Transfer to Jharkhand Urja Sancharan Nigam Ltd:

ii) All the personnel working with the Generation function and activities of the Board including at or associated with the activities of PTPS, shall be deemed to be transferred as from the Effective Date of Transfer to Jharkhand Urja Utpadan Nigam Ltd. All the personnel working presently with PTPS Undertaking and shall continue to work as being seconded from Jharkhand Urja Utpadan Nigam Ltd to PTPS Undertaking till further orders to be issued by the State Government;

iii) All the personnel working with the Distribution function and activities of the Board shall be deemed to be transferred from the Effective Date of Transfer to Jharkhand Bijli Vitran Nigam Ltd.

6.3 The detailed scheme and terms and conditions for such transfer of group of employees in Transmission, Generation, Distribution and common services is given in Schedule-'G'.

6.4 On such transfer and subject to the provisions of the Act and other provisions of this Scheme, the personnel shall form a part of the services of the Transmission, Generation and Distribution companies, as the case may be, but their rank, scale of pay and inter-se seniority as existing in the Board on the effective date shall be maintained in the holding company and the retirement benefits and other facilities shall be intact or shall be more favorable than the one existing in the Board on the effective date.

6.5 Notwithstanding the above provisions on the transfer of personnel in the manner mentioned above, the personnel shall discharge the duties and functions as they are currently doing and as may be assigned to them from time to time at their current place of working under the administrative control of their present management, who shall have the power to exercise all administrative and disciplinary control over such personnel.

6.6 The transfer of personnel shall further be subject to the following conditions, namely -

i) That the personnel shall be governed by the Rules and Regulations framed by the Board and existing on the effective date.

ii) The terms and conditions of the services applicable to personnel on the Effective Date of Transfer shall be intact or more favorable than those



2103

applicable to them immediately before the said effective date. Accordingly the salary, allowances and other pecuniary benefits including terminal benefits applicable on the effective date shall be protected and shall not in anyway changed;

iii) All such personnel shall have continuity of service in all respects;

iv) All benefits of service accrued before the effective date of Transfer shall be fully recognized and taken into account for all purposes including the payment of terminal benefits;

v) To any orders that may be passed by the Courts in the proceedings pending on the effective date of Transfer in regard to seniority or other matters concerning the service conditions of the Personnel;

vi) Subject to this Scheme, the personnel shall cease to be in the service of the Board and shall not assert or claim any benefit of service not covered in the scheme. The outstanding claims of employees shall not be extinguished because of Transfer Scheme.

6.7 Subject to the Act and this Scheme , till the final transfer and absorption in terms of clause 6.11 herein, the personnel shall be under the overall control of the Holding Company maintaining their common seniority.The Holding Company shall be entitled to frame regulations governing the terms and conditions of personnel transferred to the Transferee companies under this Scheme and till such time the new human resource policy and organization structure are notified for the Transferee companies, the existing (as suggested for modification) service rules/regulations (including inter-se seniority) as existing inthe Board shall apply mutatis-mutandis.

6.8 Subject to para 6.7, in respect of employees referred in clause 6.2 (i) to (iii) above, all statutory and other schemes and employment related matters including the provident fund, gratuity fund, pension, leave encashment and any other Superannuation fund or any other special fund created or existing for the benefit of the personnel, the Transferee company shall stand substituted for the Board for all purposes and all the rights, powers and obligations of the Board in relation to any and all such matters shall become those of the Transferee company and the services of the personnel shall be treated as having been continuous for the purpose of the application of this sub- clause.

6.9 The Holding Company shall, in consultation with the Jharkhand Urja Utpadan Nigam Limited, Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited and Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited, finalize the transfer to and permanent absorption of the Personnel in the Transferee companiesas from the effective

अनुसूची-V

(659)

# बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड

(निबंधित कार्यालय : प्रथम तल, विद्युत् भवन, बेली रोड, पटना)

Website :- www.bsphcl.bih.nic.in

DEPARTMENT OF HR & ADMINISTRATION

अधिसूचना संख्या— 621 /पटना दिनांक— 20.02./2019

H/II-Misc.Creation-8021/2016

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों में कार्यरत सचिवालय सेवा संवर्ग के कर्मियों के लिए संवर्ग नियमावली का गठन का मामला संकल्प संख्या—984 दिनांक—16.08.2016 के कंडिका—(ग) के आलोक में विचाराधीन था। उक्त संवर्ग नियमावली के गठन हेतु अनुषंगी कम्पनियों से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक् समीक्षा की गई तथा सचिवालय सेवा संवर्ग नियमावली, 2019 को संलेख के रूप में निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दिनांक—08.02.2019 को सम्पन्न निदेशक मंडल की 68वीं बैठक में संकल्प संख्या 68—04 के द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों में कार्यरत सचिवालय सेवा संवर्ग के कर्मियों के लिए सचिवालय सेवा संवर्ग नियमावली, 2019 को अनुमोदित किया गया।

तदनुसार, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसके अनुषंगी कम्पनियों के सचिवालय सेवा संवर्ग के कर्मियों के लिए सचिवालय सेवा संवर्ग नियमावली, 2019 अधिसूचित किया जाता है।

आदेश से,

20/2/19

(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)

ज्ञापांक 622 /पटना दिनांक 20.02./2019

प्रतिलिपिः— अनुलग्नक सहित अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक के (विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान आप्त सचिव)/निदेशक (मा०सं०) के प्रधान आप्त सचिव, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु०—तथैव।

20/2/19

(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)

ज्ञापांक 622 /पटना दिनांक 20.02/2019

प्रतिलिपिः— अनुलग्नक सहित सभी निदेशक/सभी महाप्रबन्धक (मा०सं०/प्रशा०)/सभी महाप्रबन्धक—सह—मुख्य अभियंता/सभी मुख्य अभियंता/सभी महाप्रबन्धक (राजस्व)/सभी महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)/परियोजना प्रबंधक/सभी उप महाप्रबन्धक—सह—विद्युत अधीक्षण अभियंता/सभी उप महाप्रबन्धक/सभी उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी (मा०सं०/प्रशा०)/विधि परामर्शी/सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक)/सभी उप विधि परामर्शी/सभी वरीय प्रबंधक/सभी अवर सचिव/सभी सहायक विद्युत अभियंता/सभी लेखा पदाधिकारी/कम्पनी सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना एवं इसके सभी अनुषंगी कम्पनियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

अनु०—तथैव।

20/2/19

(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)

658

दिनांक 20.02/2019

ज्ञापांक ..622 /पटना

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित आवासीय अभियंता, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड अतिथिशाला, नई दिल्ली/कोलकाता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०–तथैव।

(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)

दिनांक 20.02/2019

ज्ञापांक 622 /पटना

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित उप महाप्रबंधक (आई०टी०)/डाटा बेस एडमिनिस्टेटर, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. इस आदेश को कम्पनी के बेवसाईट पर अपलोड किया जाय।

अनु०–तथैव।

(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड
(निबंधित कार्यालय : प्रथम तल, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)
Website :- www.bsphcl.bih.nic.in
DEPARTMENT OF HR & ADMINISTRATION

# सचिवालय सेवा संवर्ग नियमावली–2019

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 131 एवं 133 तथा अन्य लागू उपबंधों के अंतर्गत बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग की अधिसूचना संख्या–17 दिनांक–30.10.2012 के तहत् बिहार विद्युत सुधार अन्तरण स्कीम, 2012 की कंडिका–6.8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के संकल्प संख्या–984 दिनांक–16.08.2016 के कंडिका–(ग) में वर्णित प्रावधान के आलोक में सचिवालय सेवा संवर्ग से संबंधित संगठनात्मक संरचना हेतु पूर्व में निर्गत सभी आदेशों, विनियमों को संशोधित करते हुए निम्नलिखित सचिवालय सेवा संवर्ग नियमावली–2019 विनियमित किया जाता है :–

1. संक्षित नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :–

(क) यह नियमावली बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड सचिवालय सेवा संवर्ग नियमावली, 2019 कहलायेगी।

(ख) यह नियमावली बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एवं इसके सभी अनुषंगी कंपनियों की सभी सीमाओं, जिनमें सभी विद्युत आपूर्ति क्षेत्र एवं संचरण परिक्षेत्र (जोन), ताप एवं जल विद्युत शक्ति केन्द्र एवं परियोजनाएं शामिल हैं, जहां तक इसका संबंध हो, पर लागू होगी।

(ग) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं : जबतक कि कोई बात, विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो –

(i) विद्युत आपूर्ति क्षेत्र से अभिप्रेत है – साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड/नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के तहत गठित आपूर्ति क्षेत्र।

(ii) संचरण जोन से तात्पर्य है – बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के सभी संचरण जोन।

(iii) कंपनी से अभिप्रेत है – बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड एवं इसके अनुषंगी कंपनी यथा– बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड/ नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड /बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड।

(iv) संवर्ग से अभिप्रेत है – बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड एवं इसके अनुषंगी कंपनी का सचिवालय सेवा संवर्ग

(v) अध्यक्ष से अभिप्रेत है– बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष।

(vi) अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक से अभिप्रेत है– बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक ।

(vii) प्रबंध निदेशक से अभिप्रेत है – बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक।

(viii) निदेशक मंडल से अभिप्रेत है– बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल।

(ix) निदेशक (मानव संसाधन) से अभिप्रेत है – बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के निदेशक (मानव संसाधन)

(x) नियंत्री कंपनी से अभिप्रेत है – बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड।

Shashikant Kumar
Section Officer

(656)

(xi) अनुषंगी कंपनी से अभिप्रेत है – बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड।

(xii) उत्पादन कंपनी से अभिप्रेत है – बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड।

(xiii) संचरण कंपनी से अभिप्रेत है – बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड।

(xiv) वितरण कंपनी से अभिप्रेत है – साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

(xv) राज्य सरकार से अभिप्रेत है – बिहार सरकार।

3. प्राधिकृत स्थायी बल :– इस नियमावली के प्रवृत होने की तारीख को पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड सम्प्रति बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसके सभी अनुषंगी कंपनी के पत्रक (रौल) पर मौजूद सचिवालय सेवा संवर्ग के सभी पदाधिकारी/कर्मी इस संवर्ग के सदस्य होंगे। इस सेवा संवर्ग में नियुक्त/प्रोन्नत होने वाले निम्नांकित पदाधिकारी/कर्मचारी इसमें शामिल किये जायेंगे। :–

(i) सभी सहायक, सभी प्रशाखा पदाधिकारी, सभी अवर सचिव, सभी उपसचिव एवं सभी उप महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)।

(ii) सभी पदाधिकारी/कर्मी, जो बाद में चलकर सचिवालय सेवा संवर्ग में विभिन्न पदों पर कार्यरत होंगे।

(iii) आरंभतः नियुक्त तथा परिवीक्षा पर रखे गए सचिवालय सेवा संवर्ग के सभी पदाधिकारी/कर्मी।

4. सेवा के विभिन्न पद, निर्धारित वेतन संरचना एवं नियुक्ति प्राधिकार :–

(i) सचिवालय सेवा के विभिन्न पद सोपान, वेतन संरचना तथा नियुक्ति प्राधिकार निम्नानुसार होगा :–

| क्र0सं0 | पदनाम | वेतनमान | नियुक्ति प्राधिकार | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|
| i. | सहायक | वेतन स्तर–5 | निदेशक (मानव संसाधन) | प्रवेश स्तरीय पद |
| ii. | प्रशाखा पदाधिकारी | वेतन स्तर–7 (चार वर्षों के पश्चात लेवल–8) | अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक | प्रोन्नति का पद |
| iii. | अवर सचिव | वेतन स्तर–9 | अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक | प्रोन्नति का पद |
| iv. | उप सचिव | वेतन स्तर–10 | अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक | प्रोन्नति का पद |
| v. | उप महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0) | वेतन स्तर–11 | अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक | प्रोन्नति का पद |

(ii) उप–नियम–4(i) में अंकित वेतनमान भविष्य में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा पुनरीक्षण/संशोधन के आलोक में स्वतः पुनरीक्षित/संशोधित समझा जायेगा।

5. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों में किये गये प्रशाखाओं के पुनर्संरचना के आधार पर स्वीकृत पद निम्नवत होंगे–

| कंपनी | प्रशाखाओं की संख्या | सहायकों का स्वीकृत पद | प्रशाखा पदाधिकारी का स्वीकृत पद | अवर सचिव का स्वीकृत पद | उप सचिव का स्वीकृत पद | उप महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0) का स्वीकृत पद |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSPHCL | 10 | 30 | 10 | 05 | 02 | 00 |
| BSPGCL | 02 | 06 | 02 | 01 | 00 | 00 |
| BSPTCL | 08 | 24 | 08 | 04 | 02 | 01 |
| SBPDCL | 20+1** | 60+3** | 20+1** | 10+1** | 05 | 02 |
| NBPDCL | 20 | 60 | 20 | 10 | 05 | 02 |
| Total | 61 | 183+7* =190 | 61 | 31 | 14 | 05 |

* 7 Posts of Assistant Leave Reserve.
** For PESU Area

Shashikant Kumar
Section Officer
BSPHCL Patna

6. संवर्ग नियंत्री प्राधिकार के शक्तियों का प्रत्यायोजन –

(i) संवर्ग के नियंत्री पदाधिकारी अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक होंगे।

(ii) संवर्ग नियंत्री प्राधिकार, अधिसूचना द्वारा अपनी कुछ शक्तियों को अनुषंगी कंपनियों के प्रबंध निदेशक तथा अन्य पदाधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(iii) सेवा के किसी भी ग्रेड के सदस्य उस कंपनी के/कार्यालय के परिचालनात्मक नियंत्रण में होंगे, जिसमें वे पदस्थापित होंगे एवं उनके सेवोत्तर लाभों, समय–समय पर प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुरूप भविष्य निधि से स्थायी/अस्थायी अग्रिम, सभी अवकाशों, एल0टी0सी0, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, परिवहन भत्ता, उपार्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, मातृत्व अवकाश आदि की स्वीकृति एवं उसका भुगतान संबंधित कंपनी/कार्यालय के सक्षम प्राधिकार द्वारा ही किया जायेगा।

(iv) सेवा के किसी ग्रेड के सदस्य द्वारा किसी अन्य पद पर नियुक्ति हेतु किसी आयोग/कार्यालय/संस्थान को समर्पित किये जाने वाले आवेदन–पत्र का अग्रसारण उनके परिचालानात्मक नियंत्री कंपनी के सक्षम प्राधिकार के आदेश से किया जा सकेगा। परंतु दूसरी सेवा में नियुक्ति हेतु चयनित होने के उपरांत इस सेवा से विरमित करने के लिए संवर्ग नियंत्री प्राधिकार की स्वीकृति आवश्यक होगी।

7. सचिवालय सेवा संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति –

सहायक का पद इस संवर्ग का प्रवेश स्तरीय पद होगा। सहायक के कुल स्वीकृत पदों का 10 (दस) प्रतिशत पद कंपनी/बोर्ड में कार्यरत ऐसे कर्मचारी, जो चतुर्थ अथवा तृतीय वर्ग में सहायक से निम्नतर पद/वेतनमान में कार्यरत हों एवं जो यू0जी0सी0/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक परीक्षोतीर्ण हों एवं पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड सम्प्रति बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों में कम–से–कम 03 वर्षों की सेवा पूरी कर लिया हो, से एक सीमित लिखित/Online प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर तैयार मेधा सूची में वरीयता क्रम से आतंरिक नियुक्ति से भरे जायेंगे जिसमें न्यूनतम निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त उनके कार्य आचरण को भी ध्यान में रखा जायेगा। परीक्षा की पद्धति का निर्धारण नियंत्री प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। शेष 90 (नब्बे) प्रतिशत रिक्तियाँ सीधी नियुक्ति के आधार पर कंपनी द्वारा निम्नलिखित कंडिका–8 एवं 9 में निर्धारित प्रक्रिया व प्रावधान के अनुसार भरी जायेगी। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के पाठ्यक्रम का निर्धारण तथा परीक्षा का आयोजन बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा संपन्न किया जायेगा। किसी भर्ती वर्ष में उपर्युक्त आंतरिक नियुक्ति से भर्ती किए जाने वाले पदों की संख्या के बराबर व्यक्तियों की संख्या उपलब्ध नहीं रहने पर उसे अगले वर्ष के लिए अग्रणीत किया जायेगा। यह 03 (तीन) वर्ष तक अग्रणीत किया जायेगा और उसके बाद इसे सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध समझा जायेगा। नियुक्तियाँ बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड द्वारा की जायेगी।

8. भर्ती के लिए योग्यता एवं पात्रता की शर्त :–

(i) सहायक के पद पर सीधी भर्ती हेतु पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यू0जी0सी0/केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक परीक्षोतीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(ii) भारतीय नागरिक हो।

(iii) व्यक्ति सच्चरित्र हो।

(iv) उम्र सीमा– बिहार सरकार द्वारा निर्धारित सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित उम्र सीमा के अनुरूप होगी।

(v) नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान बिहार सरकार के नियम के अनुरूप होगा।

(vi) नियुक्ति में डोमिसाइल (Domicile) का प्रावधान बिहार सरकार के प्रावधान के अनुरूप होगा।

20/02/17

Shashikant Kumar
Section Officer
B.S.P.H.C.L. Patna

654

नोट :– प्रशाखाओं के कार्य आवंटन में आवश्यकतानुसार संशोधन/परिवर्त्तन संबंधित कंपनी के महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०) के आदेश से किया जा सकेगा।

(क) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड एवं इसके अनुषंगी कम्पनियों में वर्त्तमान में प्रशाखाओं की पुनर्सरचना के आधार पर सचिवालय संवर्ग के पदों का मानदंड (Yard stick) निम्नवत् निर्धारित किया जाता है–

| क्र० सं० | संवर्ग के पद | कार्यालय एवं पदों के आवंटन की विवरणी | कम्पनीवार पदों की संख्या | कुल स्वीकृत पद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| i. | सहायक | बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि० एवं इसके अनुषंगी कंपनियों में प्रशाखाओं के पुनर्सरचना के उपरांत प्रत्येक प्रशाखा में 03 पद। | BSPHCL – 32 (10x3+2*)<br>BSPGCL – 06 (2x3)<br>BSPTCL – 25 (8x3+1*)<br>SBPDCL – 62 (20x3+2*)<br>PESU – 03<br>NBPDCL – 62 (20x3+2*)<br>Total -190<br>* Leave Reserve | कुल पद = 190 |
| ii. | प्रशाखा पदाधिकारी | बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि० एवं इसके अनुषंगी कंपनियों में प्रशाखाओं के पुनर्सरचना के उपरांत प्रत्येक प्रशाखा में एक (01) पद। | BSPHCL - 10<br>BSPGCL - 02<br>BSPTCL - 08<br>SBPDCL- 20<br>PESU - 01<br>NBPDCL- 20<br>Total - 61 | कुल पद = 61 |
| iii. | अवर सचिव | बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि० एवं इसके अनुषंगी कंपनियों में प्रशाखाओं के पुनर्सरचना के उपरांत प्रत्येक 2 प्रशाखाओं के लिए 1 अवर सचिव का पद। | BSPHCL - 05<br>BSPGCL - 01<br>BSPTCL - 04<br>SBPDCL- 10<br>PESU - 01<br>NBPDCL- 10<br>Total- 31 | कुल पद = 31 |
| iv. | उप सचिव | बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि० एवं इसके अनुषंगी कंपनियों (BSPGCL को छोड़कर) में प्रशाखाओं के पुनर्सरचना के उपरांत प्रत्येक 4 प्रशाखाओं के लिए 1 उप सचिव का पद। | BSPHCL - 02<br>BSPTCL - 02<br>NBPDCL- 05<br>SBPDCL- 05<br>Total- 14 | कुल पद =14 |
| v. | उप महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०) | प्रशाखाओं के पुनर्सरचना के उपरांत BSPTCL मुख्यालय में 01 (एक) पद तथा BSPGCL एवं BSPHCL में वर्त्तमान कार्यो के आकलन के आधार पर BSPGCLएवं BSPHCL में पूर्व से स्वीकृत एक पद को स्थानांतरित कर SBPDCL एवं NBPDCL मुख्यालय में कुल 02–02 पद SBPDCL एवं NBPDCL मुख्यालय में सृजित किया जाता है। | BSPTCL - 01<br>SBPDCL- 02<br>NBPDCL- 02<br>Total- 05 | कुल पद–05 |

(ख) कंपनीवार प्रशाखाओं की संख्या, प्रशाखावार सहायकों की संख्या का पुनर्निर्धारण नियंत्रण प्राधिकार द्वारा आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।

(ग) पदों की अनुमान्यता का पुनरीक्षण, विस्तार एवं वृद्धि नियंत्री प्राधिकार द्वारा आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।

20/02/19

Shashikant Kumar
Section Officer
B.S.P.H.C.L. Patna

20/2

(vii) नियुक्ति (प्रतियोगिता) परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक/उत्तीर्णांक का निर्धारण बिहार सरकार के संबंधित प्रावधान के अनुसार होगा।

9. सीधी भर्ती की रीति :–

(i) बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष की पहली अप्रैल को विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में आकलित रिक्तियों की संख्या के आधार पर नियुक्ति के लिए रिक्तियों की गणना की जाएगी। इसमें नियुक्ति के वित्तीय वर्ष में होने वाली संभावित रिक्तियों को भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित किया जा सकेगा।

(ii) नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, विभिन्न कोटि के उम्मीदवारों के लिए उम्र और अन्य अर्हताओं का उल्लेख करते हुए महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में एवं कंपनी के वेवसाईट पर प्रकाशन के जरिए इस संवर्ग की रिक्तियों को विज्ञापित कर एक निर्धारित तारीख तक आवेदन आमंत्रित करेगी।

(iii) न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र की गणना नियुक्ति वर्ष के अप्रैल माह की प्रथम तिथि के आधार पर की जायेगी।

(iv) भर्ती के लिए तैयार की गई नामिका/मेधासूची नियुक्ति प्राधिकार के अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी। विशेष परिस्थिति में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नामिका (पैनल) के प्रभावी रहने की अवधि अतिरिक्त 6 माह तक विस्तारित किया जा सकेगा।

(v) परन्तु भर्ती के मामले में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड राज्य सरकार की नीति से मार्गदर्शित होगी।

10. परिवीक्षा अवधि :–

इस संवर्ग में सीधी नियुक्ति/आंतरिक नियुक्ति होने पर इस सेवा का प्रत्येक सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेगा, जिसके उपरांत उसे सम्पुष्ट किया जायेगा, यदि उसका सेवा–अभिलेख एवं आचरण संतोषप्रद रहा हो। इस संवर्ग में नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवा जिसकी सेवा परिवीक्षा अवधि के दौरान संतोषप्रद नहीं पाया गया है, की सेवा की परिवीक्षा अवधि नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा विस्तारित की जा सकेगी, जो अधिकतम अतिरिक्त एक वर्ष के लिए होगी। उपरोक्त परिवीक्षा के अवधि के दौरान अगर सेवा अभिलेख संतोषप्रद नहीं पाया गया है तो किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगीं। सीधी नियुक्ति पर परिवीक्षा अवधि में एक वर्ष तक कंपनी निर्धारित दर पर एकमुश्त वेतन (Consolidated Pay) एवं अन्य देय सुविधाएं प्राप्त होगी। एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद रूप पूर्ण करने पर नियमित वेतनमान अनुमान्य होगा।

11. प्रोन्नति प्रक्रम :–

(i) सहायक से प्रशाखा पदाधिकारी
(ii) प्रशाखा पदाधिकारी से अवर सचिव
(iii) अवर सचिव से उप सचिव
(iv) उप सचिव से उप महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशासन)

(क) प्रशाखा पदाधिकारी का पद सहायक से वरीयता एवं योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

(ख) अवर सचिव का पद प्रशाखा पदाधिकारी से वरीयता एवं योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

(ग) उप सचिव का पद अवर सचिव से वरीयता एवं योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

(घ) उप महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा0) का पद उप सचिव से वरीयता एवं योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

Shashikant Kumar
Section Officer
BSPHCL Patna

20/02/19

2012

प्रोन्नति की कार्रवाई बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा समय–समय पर प्रचलित नियमानुसार की जायेगी।

12. विभिन्न पदों पर प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि निम्न प्रकार होगी :–
बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना द्वारा विभिन्न पदों पर प्रोन्नति हेतु संकल्प संख्या–59 दिनांक–01.09.2016 सह–पठित संकल्प संख्या–09 दिनांक–15.03.2017 के द्वारा निर्धारित कालावधि अनुसार सचिवालय सेवा संवर्ग के कर्मियों की प्रोन्नति हेतु कालावधि निम्नवत् होगी–

| क्र0सं0 | पदनाम | पदनाम (जिसमें प्रोन्नति दिया जाता है) | कालावधि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| i. | सहायक | प्रशाखा पदाधिकारी | 05 वर्ष |
| ii. | प्रशाखा पदाधिकारी | अवर सचिव | 07 वर्ष |
| iii. | अवर सचिव | उप सचिव | 05 वर्ष |
| iv. | उप सचिव | उप महाप्रबंधक (मानव संशाधन/प्रशासन) | 05 वर्ष |

उपर्युक्त कालावधि में आवश्यकतानुसार समय–समय पर बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड संशोधन/परिवर्तन कर सकेगी।

13. विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना :– सचिवालय सेवा संवर्ग के विभिन्न पदों पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के कार्यालय आदेश संख्या–209 दिनांक–01.02.2019 में निहित प्रावधानों के अनुरूप होगी।

14. परस्पर वरीयता :–
(i) इस सेवा के सदस्यों की परस्पर वरीयता का निर्धारण पद विशेष पर लगातार स्थानापन्न सेवा के सिद्धांत पर किया जायेगा।
(ii) अगर वाह्य नियुक्ति तथा आंतरिक नियुक्ति एक ही वर्ष में होती है तो आंतरिक नियुक्ति के तहत नियुक्त कर्मी वरीय होंगें।
(iii) नियुक्ति होने पर इस सेवा के प्रत्येक सदस्य को एक आवंटन वर्ष दिया जायेगा और उस वर्ष के सभी नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर वरीयता इस प्रकार होगी–
(क) उस वर्ष के प्रोन्नत/नियुक्त व्यक्ति की प्रोन्नति/नियुक्ति नामिका (पैनल) में उनकी योग्यता की वरीयता क्रम से।
परन्तु इस संवर्ग के सदस्यों को जो इस नियमावली के प्रारंभ के पूर्व नियुक्त किए गए हैं, को एक आवंटन वर्ष दिया जाएगा, जो वह वर्ष होगा, जिसमें उनकी नियुक्ति की गई।
(iv) यदि कोई बाह्य संवर्ग का पदाधिकारी, जो कंपनी में प्रतिनियोजन पर अथवा किसी दूसरे संवर्ग का हो, इस संवर्ग में आमेलित किया जाता है, तो इस संवर्ग में इसकी परस्पर वरीयता उस पद पर जिसमें यह आमेलित किया जाता है उसकी लगातार स्थानापन्न सेवा के सिद्धांत पर निर्धारित की जाएगी बशर्ते कि उसका आमेलन कंपनी के हित में होगा।

15. कार्यक्षेत्र–
बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0 एवं इसके अनुषंगी कम्पनियों के मुख्यालय स्तर पर सभी प्रशासनिक कार्य मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग द्वारा संपादित किये जायेंगे एवं सचिवालय सेवा संवर्ग उक्त विभाग के क्षेत्राधीन होगा एवं इस संवर्ग के सदस्यों का कार्य होगा–
(i) कम्पनी के सभी संवर्ग के पदाधिकारियों का सेवा संबंधित सभी मामले, यथा–नियुक्ति, स्थापना, अवकाश (leave), प्रोन्नति एवं ए०सी०पी०, वरीयता, स्थानान्तरण, पदस्थापन, अनुशासनिक कार्रवाई, सेवानिवृति लाभ, चिकित्सा संबंधी मामले का निष्पादन।

Shashikant Kumar
Section Officer
B.S.P.H.C.L., Patna

(ii) कम्पनी के सभी संवर्ग (मुख्यालय, केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय संवर्ग) के कर्मचारियों का सेवा संबंधित सभी मामले, यथा–नियुक्ति, स्थापना, अवकाश (leave), प्रोन्नति एवं ए०सी०पी०, वरीयता, स्थानान्तरण, पदस्थापन, अनुशासनिक कार्रवाई, सेवानिवृत्ति लाभ, चिकित्सा संबंधी मामले का निष्पादन।

(iii) कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों/बिहार राज्य विद्युत प्रमाणित स्थायी आदेश के प्रावधानों/सेवा नियमावली के सेवा शर्त्तों को लागू कराना एवं इससे संबंधित विवाद का निपटारा।

(iv) खेलकूद, अस्पताल, अनुरक्षण, क्रय एवं भंडार आदि संबंधित सभी प्रशासनिक कार्य।

(v) वेतन संरचना से संबंधित कार्य।

(vi) विभिन्न नियुक्ति एवं प्रशिक्षण से संबंधित कार्य।

(vii) कम्पनी के मानव संसाधन/प्रशासन से संबंधित विषयों पर नीति निर्धारण संबंधित कार्य।

(viii) स्थायी आदेश एवं प्रमाणित स्थायी आदेश के प्रावधानों का समुचित अनुपालन।

16. अनुशासनिक प्राधिकार –

(क) लघु शास्तियाँ – सहायक को लघु शास्ति प्रदान करने की शक्ति संबंधित कंपनी के महाप्रबंधक (मानव संसाधन/प्रशासन) में निहित होगी तथा अपीलीय प्राधिकार बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के निदेशक (मा0सं0) एवं अनुषंगी कम्पनियों के प्रबंध निदेशक होंगे। प्रशाखा पदाधिकारी, अवर सचिव, उप सचिव तथा उप महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0) को लघु शास्ति प्रदान करने की शक्ति निदेशक (मा0सं0), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0/संबंधित अनुषंगी कंपनियों के प्रबंध निदेशक में निहित होगी तथा अपीलीय प्राधिकार अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक होंगे।

(ख) वृहत् शास्तियाँ – सहायक को बृहद शास्ति प्रदान करने की शक्ति बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंम्पनी लिमिटेड में निदेशक (मा0सं0) एवं अनुषंगी कंपनियों में संबंधित प्रबंध निदेशक में निहित होगी। अपीलीय प्राधिकार अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक होगें तथा पदाधिकारियों को वृहत् शास्ति प्रदान करने की शक्ति अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक एवं संबंधित कम्पनियों में प्रबंध निदेशक में निहित होगी तथा अपीलीय प्राधिकार बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के निदेशक मण्डल होंगे।

17. वैसे प्रावधान जो इस नियमावली में अंकित नहीं है, का मार्गदर्शन पूर्ववर्त्ती बोर्ड/कंपनी के सुसंगत नियमों के अनुसार होगा।

18. (क) इस नियमावली के प्रभाव में आने के पूर्व सचिवालय सेवा से संबद्ध पूर्व में विद्यमान नियमावली के अधीन पूर्ववर्ती बोर्ड/कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई वैध होगी एवं उक्त किसी कार्रवाई को इस नियमावली के प्रवृत होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

(ख) इस नियमावली के निर्वचन के बारे में कोई विवाद अथवा इस नियमावली का कोई उपबंध अस्पष्ट होने पर बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक/निदेशक मण्डल का निर्णय अंतिम होगा।

19. इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत सभी आदेश तदनुसार संशोधित समझे जायेगें।

***********

ब्रह्मदत्त कुमार आर्य
सहायक

Shashikant Kumar
Section Officer
B.S.P.H.C.L. Patna

Rajiva Ranjan Sinha
General Manager (HR/Admn)
BSPHCL, PATNA

अनुसूची V

(650)

# कार्मिक सेवा संवर्ग नियमावली, 2015

कार्मिक सेवा संवर्ग से संबंधित सभी संगठनात्मक ढांचे हेतु निर्गत आदेशों, विनियमों को संशोधित करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 131 एवं 133 तथा अन्य लागू उपबंधों एवं सहपठित राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग की अधिसूचना संख्या 17 दिनांक 30.10.2012 के तहत् बिहार राज्य विद्युत सुधार अन्तरण स्कीम, 2012 की कंडिका 6.8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एतद् द्वारा कार्मिक सेवा संवर्ग नियमावली,2015 विनियमित करती है :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ –
   (क) यह नियमावली बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड कार्मिक सेवा संवर्ग नियमावली 2015 कहलायेगी।
   (ख) यह नियमावली बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एवं उसके सभी अनुषंगी कंपनियों की सभी सीमाओं, जिनमें सभी विद्युत आपूर्ति क्षेत्र एवं संचरण परिक्षेत्र (जोन), साथ एवं सभी विद्युत उत्पादन केन्द्र एवं परियोजनाएं शामिल हैं, जहां तक इसका संबंध हो, पर लागू होगी।
   (ग) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तारीख से प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषाएँ – जबतक कि कोई बात, विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो
   (i) विद्युत आपूर्ति क्षेत्र से अभिप्रेत है – बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एवं उसके अनुषंगी कंपनी के तहत गठित आपूर्ति क्षेत्र।
   (ii) संचरण जोन से तात्पर्य है – बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के सभी संचरण जोन।
   (iii) कंपनी से अभिप्रेत है – बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एवं उसके अनुषंगी कंपनी यथा बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड/नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड /बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड
   (iv) संवर्ग से अभिप्रेत है – बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एवं कार्मिक सेवा संवर्ग
   (v) संवर्ग पदाधिकारी से अभिप्रेत है – बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एवं उसके अनुषंगी कंपनी के कार्मिक सेवा के सदस्य।
   (vi) अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक से अभिप्रेत है – बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक।
   (vii) अध्यक्ष से अभिप्रेत है – बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष।
   (viii) निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) से अभिप्रेत है – बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)
   (ix) प्रबंध निदेशक से अभिप्रेत है – बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक
   (x) नियंत्री कंपनी से अभिप्रेत है – बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड।
   (xi) सहायक कंपनी से अभिप्रेत है – बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड।
   (xii) उत्पादन कंपनी से अभिप्रेत है – बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड।
   (xiii) संचरण कंपनी से अभिप्रेत है – बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड।

649

(xiv) वितरण कम्पनी से अभिप्रेत है – साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

(xv) राज्य सरकार से अभिप्रेत है – बिहार सरकार।

3. <u>प्राधिकृत स्थायी बल</u> :– निम्नलिखित इसमें शामिल किये जायेंगे। इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तारीख को पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं सम्प्रति बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एवं इसके सभी अनुषंगी कंपनी के पत्रक (रौल) पर मौजूद कार्मिक सेवा संवर्ग के सभी पदाधिकारी/कर्मी इस संवर्ग के सदस्य होंगे :–

(1) ~~सभी सहायक कार्मिक पदाधिकारी, कार्मिक पदाधिकारी, वरीय प्रबंधक (कार्मिक) एवं उप महाप्रबंधक~~ (कार्मिक)

(2) सभी पदाधिकारी/कर्मी जो बाद मे चलकर कार्मिक सेवा संवर्ग मे विभिन्न पदों पर कार्यरत होंगे।

(3) आरंभतः नियुक्त तथा परिवीक्षा पर रखे गए कार्मिक सेवा संवर्ग के सभी पदाधिकारी/कर्मी।

4 <u>सेवा के विभिन्न ग्रेड एवं पद</u> :–

(i) नियमावली के उपनियम – 6 के आलोक मे सेवा के विभिन्न ग्रेड के पद, उनका वर्गीकरण तथा नियुक्ति प्राधिकार निम्नानुसार होगा :–

| क्र० सं० | पदनाम | वेतन (अपुनरीक्षित / पुनरीक्षित) | नियुक्ति प्राधिकार | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सहायक कार्मिक पदाधिकारी | पे–बैण्ड–2 (9300–34800/–) ग्रेड–पे –4700/ | अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक | प्रवेश स्तर का पद |
| 2 | कार्मिक पदाधिकारी | पे–बैण्ड–3 (15600–39100/–) ग्रेड–पे –5500/– | अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक | प्रोन्नति का पद |
| 3 | वरीय प्रबंधक (कार्मिक) | पे–बैण्ड–3 (15600–39100/–) ग्रेड–पे –6650/– | अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक | प्रोन्नति का पद |
| 4 | उप महाप्रबंधक (कार्मिक) | पे–बैण्ड–4 (37400–67000/–) ग्रेड–पे –8700/– | अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक | प्रोन्नति का पद |

(ii) उप–नियम– 4(i) मे अंकित वेतनमान बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा पुनरीक्षण/संशोधन के आलोक मे स्वतः पुनरीक्षित/संशोधित समझा जायेगा।

5. <u>पदों की अनुमान्यता</u> :–

| क्र० सं० | संवर्ग के पद | पदस्थापन कार्यालय की सूची | कुल पद की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | सहायक कार्मिक पदाधिकारी | सभी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, सभी संचरण प्रमंडल, बी०टी०पी०एस०, बेगूसराय मे एक–एक पद | 82 |
| 2. | कार्मिक पदाधिकारी, | सभी विद्युत आपूर्ति अंचल, सभी संचरण अंचल, बी०टी०पी०एस०, बेगूसराय में एक–एक पद | 24 |
| 3. | वरीय प्रबंधक (कार्मिक) | सभी संचरण जोन, सभी विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, बी०टी०पी०एस० बेगूसराय, सभी 05 (पाँच) कंपनी के मुख्यालय कार्यालय मे | 16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | एक–एक पद | |
| 4. | उप महाप्रबंधक (कार्मिक) | सभी 05 (पांच) कंपनी के मुख्यालय कार्यालय में एक–एक पद | 05 |

6. <u>संवर्ग नियंत्री प्राधिकार के शक्तियों का प्रत्यायोजन</u> – (i) संवर्ग के नियंत्री पदाधिकारी अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक होंगे।

(ii) संवर्ग नियंत्री प्राधिकार, अधिसूचना द्वारा अपनी कुछ / एक से अधिक शक्तियों को अनुषंगी कंपनियों के प्रबंध निदेशक तथा अन्य पदाधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(iii) सेवा के किसी भी ग्रेड के सदस्य उस कंपनी के / कार्यालय के परिचालनात्मक नियंत्रण में होंगे, जिसमें वे पदस्थापित होंगे एवं उनके सेवांतर लाभों, समय–समय पर प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुरूप भविष्य निधि से स्थायी/अस्थायी अग्रिम, सभी अवकाशों, एल0टी0सी0, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, परिवहन भत्ता आदि की स्वीकृति एवं भुगतान उस कंपनी/कार्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

(iv) सेवा के किसी ग्रेड के सदस्य द्वारा किसी अन्य पद पर नियुक्ति हेतु संबंधित आयोग / कार्यालय को समर्पित आवेदन–पत्र का अग्रसारण, उनके परिचालनात्मक नियंत्री कंपनी के प्रबंध निदेशकों के आदेश से किया जा सकेगा। परन्तु दूसरी सेवा में नियुक्ति हेतु चयनित होने के उपरांत इस सेवा से विरमित करने के लिए संवर्ग नियंत्री प्राधिकार ही सक्षम होगा।

7. <u>कार्मिक संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति</u> – सहायक कार्मिक पदाधिकारी का पद इस संवर्ग का निम्नतम प्रवेश पद होगा। सहायक कार्मिक पदाधिकारी के कुल स्वीकृत पदों के 05 (पांच) प्रतिशत पद कंपनी / बोर्ड में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो यू0जी0सी0 सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से स्नातकोत्तर (श्रम एवं समाज कल्याण या एम0बी0ए0 (कार्मिक प्रबंधन या मानव संसाधन) या Two years Post Graduate Diploma in Personnel Management and Industrial Relation परीक्षोत्तीर्ण हो एवं बोर्ड / बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में कम से कम 5 वर्षों की सेवा पूरी कर लिया हो, को एक सीमित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर तैयार मेधा सूची में वरीयता क्रम से आंतरिक नियुक्ति से भरे जायेंगे जिसमें न्यूनतम निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त उनके कार्य आचरण को भी ध्यान में रखा जायेगा। शेष 95 (पंचानबे) प्रतिशत रिक्तियां सीधी नियुक्ति के आधार पर कंपनी द्वारा कंडिका 6 एवं 7 में निर्धारित प्रक्रिया व प्रावधान के अनुसार भरी जायेगी। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के पाठ्यक्रम का निर्धारण तथा परीक्षा का आयोजन बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा संपन्न किया जायेगा। किसी भर्ती वर्ष में उपर्युक्त नियुक्ति से भर्ती किए जाने वाले पदों के संख्या के बराबर व्यक्तियों की संख्या उपलब्ध नहीं रहने पर उसे अगले वर्ष के लिए अग्रणीत किया जायेगा। यदि 03 (तीन) वर्ष तक अग्रणीत किया जायेगा और उसके बाद इसे सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध समझा जायेगा।

8. <u>भर्ती के लिए योग्यता एवं पात्रता की शर्त :–</u>

(i) सहायक कार्मिक पदाधिकारी के पद पर सीधी भर्ती हेतु पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यू0जी0सी0/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातकोत्तर (श्रम एवं समाज कल्याण) या एम0बी0ए0 (कार्मिक प्रबंधन या मानव संसाधन) या द्विवर्षीय पी0 जी0 डिप्लोमा इन Personnel Management and Industrial Relation/Human Resource Management परीक्षोत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(ii) भारतीय नागरिक हो।

(iii) व्यक्ति सच्चरित्र हो।

(iv) उम्र सीमा– राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित उम्रसीमा के अनुरूप होगी।

(v) नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान बिहार सरकार के नियम के अनुरूप होगा।

9. <u>सीधी भर्ती की रीति</u> :-

(i) बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड/अनुषंगी कंपनी द्वारा हर वर्ष की पहली अप्रैल को रिक्तियों की संख्या के आधार पर निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, विभिन्न कोटि के उम्मीदवारों के लिए उम्र और अन्य अर्हताओ का उल्लेख करते हुए महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में प्रकाशन के जरिए इस संवर्ग की रिक्तियों को विज्ञापित कर एक निर्धारित तारीख तक आवेदन आमंत्रित ~~करेगी। न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र की गणना नियुक्ति वर्ष के अप्रैल माह की प्रथम तिथि के आधार~~ पर की जायेगी।

(ii) आवेदन की प्राप्ति और उम्मीदवारो के पात्रता की जाच करने के बाद लिखित परीक्षा मे शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को पत्र निर्गत किया जाएगा। लिखित परीक्षा मे सफल होने वाले अभ्यर्थियो मे से मेधा कम मे कुल रिक्तियो के ढाई गुणा तक ही अभ्यर्थियो को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।

(iii) साक्षात्कार के लिए बुलाये गए उम्मीदवारों की अंतर्वीक्षा एक चयन समिति द्वारा की जायेगी, जिसका गठन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा किया जायेगा।

परन्तु भर्ती के मामले मे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड राज्य सरकार की नीति से मार्गदर्शित होगी।

(iv) भर्ती के लिए तैयार की गई नामिका/मेधासूची नियुक्ति पदाधिकारी के अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी। विशेष परिस्थिति मे नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा नामिका (पैनल) के प्रभावी रहने की अवधि 6 माह तक विस्तारित किया जा सकेगा।

10. परिवीक्षा अवधि चाहे सीधे अथवा सपरिवर्तन अथवा प्रोन्नति द्वारा इस संवर्ग मे भर्ती होने पर इस सेवा का प्रत्येक सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्षो की अवधि पर रहेगा। संपुष्टि के लिए निर्धारित विभागीय परीक्षा/सेवाकालीन प्रशिक्षण मे उत्तीर्णता के पश्चात् तथा परिवीक्षा अवधि मे उनकी सेवा संतोषजनक रहने की स्थिति मे उन्हें इस सेवा मे संपुष्ट किया जायेगा। इस संवर्ग मे नियुक्त किसी व्यक्ति, जिसका सेवा-अभिलेख परिवीक्षा अवधि के दौरान संतोषप्रद नही पाया गया है, की सेवा परिवीक्षा अवधि नियुक्ति प्राधिकार द्वारा विस्तारित की जा सकेगी, जो अधिकतम एक वर्ष की होगी। पूर्व से जो पदाधिकारी इस सेवा मे संपुष्ट है, उन्हें इस नियमावली मे उपबंधित संपुष्टि परीक्षा मे उत्तीर्ण होना आवश्यक नही होगा। बिना सेवा संपुष्टि के इस सेवा के किसी पदाधिकारी को प्रोन्नति का लाभ प्रदान नही किया जायेगा। यदि किसी कारणवश नियुक्ति की तिथि से तीन वर्षो की अवधि के भीतर परीक्षा अयोजित नही होती है तो सेवा अभिलेख के आधार पर संपुष्टि प्रदान की जा सकेगी।

11. <u>प्रोन्नति कम</u> :-

(1) सहायक कार्मिक पदाधिकारी से कार्मिक पदाधिकारी।

(2) कार्मिक पदाधिकारी से वरीय प्रबंधक (कार्मिक)

(3) वरीय प्रबंधक (कार्मिक) से उप महाप्रबंधक (कार्मिक)

(क) कार्मिक पदाधिकारी का पद सहायक कार्मिक पदाधिकारी से वरीयता एवं योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक मे प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

(ख) वरीय प्रबंधक (कार्मिक) का पद कार्मिक पदाधिकारी से वरीयता एवं योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक मे प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। उप कार्मिक निदेशक का पद कंपनी संरचना मे वरीय प्रबंधक (कार्मिक) के पद पर कंपनी के गठन की तिथि से परिवर्तित समझा जायेगा।

(ग) उप महाप्रबंधक (कार्मिक) के पद कंपनी के कार्मिक संवर्ग के वरीय प्रबंधक (कार्मिक) से वरीयता एवं योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक मे प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। कार्मिक निदेशक का पद कंपनी संरचणा मे उप महाप्रबंधक (कार्मिक) के पद पर कंपनी के गठन की तिथि से परिवर्तित समझा जायेगा।

12. विभिन्न पदों पर प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि निम्नप्रकार होगी :-

(i) सहायक कार्मिक पदाधिकारी से कार्मिक पदाधिकारी - 08 वर्ष

(ii) कार्मिक पदाधिकारी से वरीय प्रबंधक (कार्मिक) - 08 वर्ष

(iii) वरीय प्रबंधक (कार्मिक) से उप महाप्रबंधक (कार्मिक)- 07 वर्ष

उपर्युक्त प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 1 वर्ष की छूट होगी। उपर्युक्त कालावधि में समय-समय पर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड संशोधन/परिवर्तन कर सकेगी।

13. विभिन्न पदों पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना निम्नवत् होगी :-

(क) सहायक कार्मिक पदाधिकारी से कार्मिक पदाधिकारी

(i) महाप्रबंधक (मा०सं०/प्र०) बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड/अनुषंगी कंपनी - अध्यक्ष

(ii) उप महाप्रबंधक (मा०सं०/प्र०) बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड - सदस्य सचिव

(iii) सभी अनुषंगी कंपनियों के उप महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०) - सदस्य

(iv) अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधि पदाधिकारी (जो कार्यपालक अभियंता स्तर से ऊपर स्तर के पदाधिकारी हों) - सदस्य

(ख) कार्मिक पदाधिकारी से वरीय प्रबंधक (कार्मिक)

(i) महाप्रबंधक (मा०सं०/प्र०) बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड/अनुषंगी कंपनी - अध्यक्ष

(ii) उप महाप्रबंधक (मा०सं०/प्र०), बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड - सदस्य सचिव

(iii) सभी अनुषंगी कंपनियों के उप महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०) - सदस्य

(iv) अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधि पदाधिकारी (जो कार्यपालक अभियन्ता स्तर या उपर स्तर के पदाधिकारी हों) - सदस्य

(ग) वरीय प्रबंधक (कार्मिक) से उप महाप्रबंधक (कार्मिक)

(i) निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) - अध्यक्ष

(ii) महाप्रबंधक (मा०सं०/प्र०) बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड - सदस्य

(iii) उप महाप्रबंधक (मा०सं०/प्र०) बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड - सदस्य सचिव

(iv) सभी अनुषंगी कंपनियों के महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक (मा०सं०/प्र०) - सदस्य

(v) अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधि पदाधिकारी (जो कार्यपालक अभियन्ता स्तर या उपर स्तर के पदाधिकारी हों) - सदस्य

14. परस्पर वरीयता :-

(i) इस सेवा के सदस्यों की परस्पर वरीयता का निर्धारण पद विशेष पर लगातार स्थानापन्न सेवा के सिद्धांत पर किया जायेगा।

(ii) अगर सीधी नियुक्ति तथा प्रोन्नति प्राप्त व्यक्तियों की भर्ती एक ही वर्ष में होती है तो प्रोन्नत व्यक्ति वरीय होंगे।

(iii) भर्ती होने पर इस सेवा के प्रत्येक सदस्य को एक आवंटन वर्ष दिया जायेगा और उस वर्ष में सभी नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर वरीयता इस प्रकार होगी।

(क) उस वर्ष के प्रोन्नत/नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति/नियुक्ति नामिका (पैनल) में उनकी योग्यता की वरीयता क्रम से।

परन्तु इस संवर्ग के सदस्यों को जो इस नियमावली के प्रारंभ के पूर्व नियुक्त किए गए हैं, को एक आवंटन वर्ष दिया जाएगा, जो वह वर्ष होगा, जिसमें उनकी नियुक्ति की गई।

(iv) यदि कोई संवर्ग बाह्य पदाधिकारी कंपनी में प्रतिनियोजन पर अथवा किसी दूसरे संवर्ग का तो इस संवर्ग में आमेलित किया जाता है, तो इस संवर्ग में इसकी परस्पर वरीयता उस पद पर जिसमें वह आमेलित किया जाता है उसकी लगातार स्थानापन्न सेवा के सिद्धांत पर निर्धारित की जाएगी बशर्ते कि उसका आमेलन कंपनी के हित में होगा।

(645)

15. कार्यक्षेत्र–

(i) कम्पनी के पदाधिकारियों का सेवा संबंधित सभी मामले यथा – नियुक्ति, स्थापना, अवकाश (Leave), प्रोन्नति, अनुशासनिक मामले, सेवानिवृति लाभ आदि मामलो का निष्पादन

(ii) कम्पनी के वर्ग –III एवं वर्ग – IV संवर्ग के कर्मियों (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय संवर्ग) का सेवा संबंधित सभी मामले यथा – नियुक्ति, स्थापना, अवकाश (Leave), प्रोन्नति, वरीयता, स्थानान्तरण, पदस्थापन, अनुशासनिक कार्रवाई, सेवा निवृति, सेवा निवृति लाभ आदि मामलों का निष्पादन।

(iii) औद्योगिक विवाद सहित विभिन्न श्रम कानूनों की व्याख्या करना एवं श्रम कानूनों के प्रावधानों/कंपनी अधिनियम के प्रावधानों/बिहार राज्य विद्युत प्रमाणित स्थायी आदेश के प्रावधानों सेवा शर्तों को लागू कराना एवं इससे संबंधित विवाद ।

(iv) औद्योगिक सम्बंध /औद्योगिक विवाद (हड़ताल आदि)।

(v) सभी प्रकार के कल्याणकारी कार्य (खेल–कूद , स्कूल, अस्पताल, आवास, कैंटिन, आदि)।

(vi) दुर्घटना एवं क्षतिपूर्ति ।

(vii) वेतन संरचना से संबंधित कार्य।

(viii) प्रशिक्षण।

(ix) कंपनी के कार्मिक/मानव संसाधन से संबंधित नितिगत प्रस्तावों की जाँच ।

(x) स्थायी आदेश एवं प्रमाणित स्थायी आदेश के प्रावधानों का समुचित अनुपालन ।

(xi) श्रम न्यायाधिकरण के समक्ष पक्षकार की भूमिका मे प्रस्तुत होना ।
(इस संदर्भ मे विभिन्न कोटि के पदाधिकारियो के लिए कार्य एवं दायित्वो से संबंधित समय समय पर पूर्ववर्ती विद्युत बोर्ड से निर्गत आदेश प्रभावी रहेंगें यदि उसमें संशोधन नही किया गया हो)।

16 अनुशासनिक पदाधिकारी –

(i) सहायक कार्मिक पदाधिकारी, कार्मिक पदाधिकारी, को लघु दण्ड प्रदान करने की शक्ति संबंधित कम्पनी के महाप्रबंधक (मा०सं०/प्र०) मे निहित होगी एवं इसके अपीलीय प्राधिकार प्रबंध निदेशक/निदेशक (मा०सं०/प्र०) होंगे। वृहत दण्ड प्रदान करने की शक्ति संबंधित कम्पनी के प्रबंध निदेशक/निदेशक प्रशासन (मा०सं०/प्र०) मे निहित होगी एवं इसके अपीलीय प्राधिकार अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक होगे।

(ii) वरीय प्रबंधक (कार्मिक) तथा उप महाप्रबंधक (कार्मिक) को लघु दण्ड प्रदान करने की शक्ति संबंधित अनुषंगी कंपनियों के प्रबंध निदेशक/ निदेशक (मा०सं०/प्र०) में निहित होगी तथा अपीलीय प्राधिकार अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक होंगे। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा इसके सभी अनुषंगी कंपनियों मे पदस्थापित कार्मिक संवर्ग के वरीय प्रबन्धक तथा उप महाप्रबंधक को वृहद दण्ड प्रदान करने की शक्ति अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक मे निहित होगी तथा अपीलीय प्राधिकार बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का निदेशक मण्डल होगा।

17 वैसे प्रावधान जो इस नियमावली मे अंकित नही है, का मार्गदर्शन बोर्ड/कंपनी के सुसंगत नियम के अनुसार होगा।

18 (क) इस नियमावली के प्रारंभ के पूर्व कार्मिक सेवा से संबद्ध पूर्व विद्यमान नियमावली के अधीन पूर्ववर्ती बोर्ड/कंपनी द्वारा की गई किसी कार्रवाई को इस नियमावली के प्रवृत होने के आधार पर चुनौती नही दी जाएगी।

(ख) इस नियमावली के निर्वचन के बारे में कोई विवाद होने पर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के निदेशक मण्डल का निर्णय अंतिम होगा।

अनुसूची V

(644)

# बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड

(निबंधित कार्यालय : विद्युत् भवन, बेली रोड, पटना)

संकल्प संख्या II-II/ विविध–एकीकरण - 8037/13 – 1385 / पटना. दिनांक 07.12. / 2016

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के संकल्प संख्या 984 दिनांक 16.08.2016 द्वारा सचिवालय संवर्ग के विभिन्न पदो के एकीकरण/अपग्रेडेशन करते हुए पद एवं प्रोन्नति सोपान निर्धारित किया गया है। उक्त संकल्प के क्रमांक-(II) मे आशुलिपिक संवर्ग के लिए प्रावधान किया गया है। इस आदेश के अनुपालन के क्रम मे पाया गया कि इसमे कतिपय संशोधन की आवश्यकता है। अतएव दिनांक- 01.12.2016 को सम्पन्न निदेशक मंडल की 52 वी बैठक मे संकल्प संख्या-52-05 द्वारा लिये गए निर्णय के आलोक मे आशुलिपिक संवर्ग के लिए निम्नलिखित प्रावधान किया जाता है :-

i. संकल्प संख्या-984 दिनांक-16.08.016 द्वारा आशुलिपिक-II एवं आशुलिपिक-I के पदो के आमेलन के उपरांत प्रवेश स्तरीय पद आशुलिपिक (PB- II 9300-34800/- GP 4200/-) को यथावत रखते हुए कुल 95 पद को स्वीकृत किया जाता है।

ii. उक्त पदों के संविलयन के पश्चात अगला प्रोन्नति के पद के रूप मे कम्पनी मे निजी सहायक (PB II 9300-34800/- GP 4600/-) का कुल 35 पद सृजित किया जाता है।

iii. पूर्व से वरीय निजी सहायक के 17 पद स्वीकृत है जिसके विरूद्ध 06 वरीय निजी सहायक कार्यरत है। चूँकि वरीय निजी सहायक का पद नयी व्यवस्था मे समाप्त हो गया है, अतएव वर्तमान में कार्यरत सभी 06 वरीय निजी सहायक के पद सहित आप्त सचिव के पद मे विलय करते हुए तथा आप्त सचिव के पूर्व स्वीकृत 10 पदो को सम्मिलित करते हुए आप्त सचिव (PB III 15600-39100/- GP 5400/-) के कुल 16 पद स्वीकृत किया जाता है। । वरीय निजी सहायक के शेष 11 पद को विलोपित किया जाता है।

iv. कम्पनी मे प्रधान आप्त सचिव (अवर सचिव का परिवर्तित पद) (PB III 15600-39100/- GP 6650/-) के 05 पद पूर्व मे स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त प्रधान आप्त सचिव के 02 अतिरिक्त पद स्वीकृत किया जाता है। प्रधान आप्त सचिव के कुल सात पद क्रमश: अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, निदेशक (मा0सं0/प्रशा0), निदेशक (वित्त) तथा प्रत्येक अनुषंगी कंपनियों मे प्रबंध निदेशक के अधीन कार्य के लिए चिन्हित रहेगा।

उपर्युक्त के आलोक मे आशुलिपिक संवर्ग के विभिन्न पदो को बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 एवं इसके अनुषंगी कंपनियों मे निम्नवत् रूप से चिन्हित किया जाता है -

| क्र0 सं0 | पदनाम | कुल स्वीकृत पद | आशुलिपिक संवर्ग के पदो का कंपनीवार वितरण | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NBPDCL | SBPDCL | BSPTCL | BSPGCL | BSPHCL |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1 | आशुलिपिक (PB II 9300-34800/- GP 4200/-) | 95 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| 2 | निजी सहायक (PB II 9300-34800/- GP 4600/-) | 35 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| 3 | आप्त सचिव (PB III 15600-39100/- GP 5400/-) | 16 | 03 | 03 | 03 | 03 | 04 |
| 4 | प्रधान आप्त सचिव (PB III 15600-39100/- GP 6650/-) | 07 | 01 | 01 | 01 | 01 | 03 |

1643

2. संकल्प संख्या-984 दिनांक-16.08.2016 के क्रमांक-II में आशुलिपिक संवर्ग के प्रसंग में वर्णित प्रावधान

इस हद तक संशोधित समझा जाय।

3. उपर्युक्त प्रावधान संकल्प संख्या-984 दिनांक-16.08.2016 के निर्गत की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

07/12/2016

(सुनील कुमार सिंह)
उप महाप्रबंधक (कार्मिक)

ज्ञापांक:– 1386 / दिनांक:– 07.12.16 /

प्रतिलिपि:- सभी महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/सभी उप महाप्रबंधक (मा0सं0/ प्रशा0 )/सभी महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/सभी उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ उप महाप्रबंधक (आई0टी)/सभी वरीय प्रबंधक (कार्मिक)/ सभी वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/सभी लेखा पदाधिकारी/विधि परामर्शी/कम्पनी सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशासी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी संबंधित कर्मियों बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड एवं इसके अनुषंगी कंपनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप महाप्रबंधक (आई0टी), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड से अनुरोध है कि आदेश व कम्पनी के वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाए।

07/12/2016

(सुनील कुमार सिंह)
उप महाप्रबंधक (कार्मिक)

ज्ञापांक:–................................/ दिनांक:–........................................./

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/अवर सचिव/निदेशक (प्रशासन) के आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक BSPGCL के विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक BSPTCL के विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक SBPDCL के विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक NBPDCL के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

07/12/2016

(सुनील कुमार सिंह)
उप महाप्रबंधक (कार्मिक)

अनुसूची–V

642

# Bihar State Power (Holding) Company Limited

(निबंधित कार्यालय विद्युत भवन, प्रथम तल, बेली रोड, पटना)
(Regd. Office: Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna)
TINVAT No. 10011255025 CIN: U40102BR2012 SGC018495
Website- WWW.bsphcl.bih.nic.in
(Department of HR/ Administration)

कार्यालय आदेश संख्या– / 2150
HR Misc-Committee (Cadre Promotion)-80/2015 (Part-V)

दिनांक– 28.11.2018

निदेशक मण्डल के 65वीं बैठक मे संकल्प संख्या 65–03 दिनांक–25.10.2018 द्वारा पारित निर्णय के आलोक में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसके अनुषंगी कम्पनी में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के पदो का आमेलन एवं पदनाम का पुनर्नामाकरण एवं प्रोन्नति आयाम के संबंध मे निम्न प्रकार कार्रवाई की स्वीकृति दी जाती है :–

(A) आपूर्ति एवं वितरण संवर्ग

(i) पूर्व सृजित तकनीकी कोटि (Techinician Grade) के पदों को निम्नवत् पुनर्नामित करते हुए वेतनमान निर्धारित किया जाता है :–

| क्र० सं० | वर्तमान में नामित पदनाम | प्रस्तावित पुर्ननामित पदनाम | वेतनमान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | – | प्रधान अग्रजन | पे लेवल–8 |
| 2 | अग्रजन–1 | अग्रजन कोटि– I | पे लेवल–6 |
| 3 | तकनीकी कोटि– I | तकनीकी कोटि– I | पे लेवल–5 |
| 4 | तकनीकी कोटि– II | | |
| 5 | तकनीकी कोटि– III | तकनीकी कोटि– II | पे लेवल–4 |
| 6 | तकनीकी कोटि– IV | तकनीकी कोटि– III | पे लेवल–3 |

(ii) पुर्ननामित तकनीकी कोटि– III के पद को पुर्ननामित तकनीकी कोटि– II के नीचे जोड़ते हुए प्रोन्नति आयाम निर्धारित किया जाता है।

(iii) बट्न–पट्ट–चालक ग्रेड–2 अथवा अन्य तकनीकि संवर्ग के पद पर नियुक्त किसी भी ट्रेड से ITI उत्तीर्ण अथवा Diploma in Electrical Engineering शैक्षणिक योग्यताधारी कामगारों के साथ–साथ कंपनी के द्वारा अल्पकालिक त्रैमासिक आई0टी0आई0 योग्यताधारी कामगारों को तकनीकि कोटि–2 (लेवल–4) तथा उपर के पदों पर (अग्रजन, पे–लेवल/6) प्रोन्नति देने का प्रावधान किया जाता है।

(iv) Electrical Supervisor Certificate of Competency या Diploma in Electrical Engineering योग्यताधारी अग्रजन – I (पे लेवल/6) को प्रधान अग्रजन (पे लेवल–8) के पद पर प्रोन्नति देने का प्रावधान किया जाता है।

(v) चतुर्थ श्रेणी के पदों यथा– अदक्ष श्रमिक, चौकीदार, झाडुकश, संदेशवाहक, आदेशपाल, दफ्तरी, इत्यादि का नये सिरे से पुनर्नामित करते हुए परिचर (Attendant) (पे लेवल/1) तथा दक्ष श्रमिक को वरीय परिचर (Sr. Attendant) (पे लेवल–2) के रूप में नए पदनाम से नामित किया जाता है।

(vi) वरीय परिचर (Sr. Attendant) पे–लेवल–2 का पद परिचर (Attendant) पे–लेवल–1 से प्रोन्नति का पद निर्धारित किया जाता है।

(vii) तक0 कोटि–3 (पे लेवल–3) का पद वरीय परिचर (Sr. Attendant) से प्रोन्नति का पद निर्धारित किया जाता है।

(viii) नवनामित तकनीकी कोटि–3 के सृजित होने वाले पदों में से 35 प्रतिशत पदों को प्रोन्नति

का तथा शेष 65 प्रतिशत पदों को सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित किया जाता है।

(ix) आपूर्ति एवं वितरण संवर्ग के पदो के उपरोक्त विलय एवं पुनर्नामित होने के पश्चात् संबंधित वितरण कंपनी के द्वारा आवश्यकतानुसार अधीनस्थ कार्यालयों के लिए पदों का नया मानक (Yard Stick) निर्धारित कर तद्नुरुप पद सृजित किया जाता है।

(13) संचरण संगठन

(i) पूर्व सृजित तकनीकी कोटि के अन्य पदों को निम्नवत् पुनर्नामित करते हुए वेतनमान निर्धारित किया जाता है:–

| क्र0सं0 | मान में नामित पदनाम | प्रस्तावित पुर्ननामित पदनाम | वेतनमान |
|---|---|---|---|
| 1 | तकनीकी कोटि– I | तकनीकी कोटि– I | पे लेवल–5 |
| 2 | तकनीकी कोटि– II | तकनीकी कोटि– II | पे लेवल–4 |
| 3 | तकनीकी कोटि– III | | |
| 4 | तकनीकी कोटि– IV | तकनीकी कोटि– III | पे लेवल–3 |

(ii) पुनर्नामित तकनीकी कोटि– III के पद को पुनर्नामित तकनीकी कोटि– II के नीचे जोड़ते हुए प्रोन्नति आयाम निर्धारित किया जाता है।

(iii) पूर्वसृजित अनुरक्षण, परिचालन तथा दूरसंचार संवर्ग के पदों को निम्नरुपेण एकीकृत करते हुए पुनर्नामित किया जाता है:–

| Sl. No. | Name of post | Pay Scale | Sanctioned Strength | Existing strength | Merger of post |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Controller | PB-III, GP- 5500.00 | 116 | 09 | Hd. Forman (Level -8) |
| | Forman Gr.-I | PB-II, GP- 4,400.00 | 12 | 7 | Forman (Level-6) |
| 2. | Asstt. Controller | PB-II, GP- 4,400.00 | 116 | 101 | |
| 3. | Head Electrician | PB-II, GP- 4,200.00 | 9 | 1 | Tech. Gr.-I (Level-5) |
| | Operator | PB-II, GP- 4,200.00 | 520 | 13 | |
| | Tech. Gr.-I/ Tel. Tech./ Tel. Supervisor | PB-II, GP- 4,200.00 | 17 | 10 | |
| | Head line man | PB-II, GP- 3,500.00 | 1 | 0 | |
| | Head Fitter | PB-II, GP- 3,500.00 | 8 | 1 | |
| | Tech. Gr.-II | PB-I, GP- 3,500.00 | 31 | 0 | |
| 4. | Electrician | PB-I, GP- 3,500.00 | 89 | 0 | Tech. Gr.-II (Level-4) |
| | Fitter Gr.-I | PB-I, GP- 3,200.00 | 78 | 3 | |
| | Line Man | PB-I, GP- 3,200.00 | 6 | 0 | |
| | Asstt. Operator | PB-I, GP- 3,200.00 | 628 | 576 | |
| 5. | Fitter Gr.-II | PB-I, GP- 2,900.00 | 10 | 4 | Tech. Gr.-III (Level-3) |
| | Tech. Gr.-IV | PB-I, GP- 2,900.00 | 0 | 29 | |
| 6. | Skilled Khalasi | PB-I, GP- 2,100.00 | 205 | 96 | Sr. Attendant (Level-2) |
| 7. | Unskilled Khalasi | PB-I, GP- 1,800.00 | 172 | 22 | Attendant (Level-1) |
| | Messanger | PB-I, GP- 1,800.00 | 219 | 43 | |
| | Chaukidar | PB-I, GP- 1,800.00 | 0 | 27 | |
| | Sweeper | PB-I, GP- 1,800.00 | 0 | 5 | |
| | Shift Guard | PB-I, GP- 1,800.00 | 192 | 58 | |

(iv) चतुर्थ श्रेणी के पदों यथा– अदक्ष श्रमिक, चौकीदार, झाडुकश, संदेशवाहक, आदेशपाल, दफ्तरी, इत्यादि का नये सिरे से पुनर्नामित करते हुए परिचर (Attendant) (पे लेवल–1) तथा दक्ष श्रमिक को वरीय परिचर (Sr. Attendant) (पे लेवल–2) के रुप में नए पदनाम से नामित किया

640

जाता है।

(v) वरीय परिचर (Sr. Attendant) पे–लेवल/2 का पद परिचर (Attendant) पे–लेवल/1 से प्रोन्नति का पद निर्धारित किया जाता है।

(vi) तकनीकी कोटि–3 (पे लेवल/3) का पद वरीय परिचर (Sr. Attendant) से प्रोन्नति का पद निर्धारित किया जाता है।

(vii) तकनीकि संवर्ग (परिचालन सहित) के पद पर नियुक्त किसी भी ट्रेड से ITI उत्तीर्ण अथवा Diploma in Electrical Engineering योग्यताधारी कामगारो के साथ–साथ कंपनी के द्वारा अल्पकालिक त्रैमासिक आई0टी0आई0 योग्यताधारी कामगारो को तकनीकि कोटि–2 (लेवल–4) तथा उपर के पदों पर (अग्रजन, पे लेवल–6) प्रोन्नति देने का प्रावधान किया जाता है।

(viii) Electrical Supervisor Certificate of Competency या Diploma in Electrical Engineering योग्यताधारी अग्रजन (पे लेवल–6) को प्रधान अग्रजन (पे लेवल–8) के पद पर प्रोन्नति देने का प्रावधान किया जाता है।

(ix) नवनामित तकनीकी कोटि–3 के सृजित होने वाले पदों में से 25 प्रतिशत पदों को प्रोन्नति का तथा शेष 75 प्रतिशत पदों को सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित किया जाता है।

(x) नवनामित तकनीकी कोटि–2 के सृजित होने वाले पदों में से 35 प्रतिशत पदों को प्रोन्नति का तथा शेष 65 प्रतिशत पदों को सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित किया जाता है।

(xi) कार्यालय आदेश संख्या–662 दिनांक–16.06.2016 को निम्नलिखित रुप से संशोधन किया जाता है :–

(क) कंपनी के द्वारा अल्पकालिक त्रैमासिक आई0 टी0 आई0 एवं एक वर्ष के कार्य अनुभव योग्यताधारी सहायक परिचालकों (प्रस्तावित तक0 कोटि–2) को परिचालक (प्रस्तावित तकनीकि कोटि–1) एवं परिचालक (प्रस्तावित तक0 कोटि–1) से सहायक नियंत्रक (प्रस्तावित अग्रजन) के पद पर प्रोन्नति दी जाती है।

(ख) सहायक नियंत्रक (प्रस्तावित पदनाम अग्रजन (Foreman) से नियंत्रक प्रस्तावित पदनाम प्रधान अग्रजन (Head Foreman) के पद पर प्रोन्नति के लिए Electrician Trade के अलावे भी यदि किसी कर्मी के पास अन्य Trade यथा Electronics / Wireman /Fitter/ Mechanical etc में ITI योग्यता या कंपनी के द्वारा अल्पकालिक त्रैमासिक आई0टी0आई0 एवं एक वर्ष के कार्य अनुभव की योग्यता तथा बिहार के किसी भी जिला समाहरणालय से Electrical Supervisor Certificate of Competency प्रमाण–पत्र अनुमान्य होगा।

(xii) संचरण संगठन के उपरोक्त प्रस्तावित पदों के उपरोक्त विलय एवं पुनर्नामित करने के उपरान्त के निदेशक मंडल के द्वारा अनुमोदन के पश्चात् संबंधित वितरण कंपनी के द्वारा आवश्यकतानुसार अधीनस्थ कार्यालयों के लिए पदों का मानक (Yard Stick) तथा तदनुरुप पद सृजित किया जाएगा।

C विभिन्न पदों के आमेलन के उपरान्त पारस्परिक वरीयता निर्धारण के सिद्धांतः

(i) नियुक्ति/प्रोन्नति वर्ष अलग–अलग होने की स्थिति में कर्मियों की परस्पर वरीयता नियुक्ति वर्ष के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(ii) नियुक्ति/प्रोन्नति वर्ष समान होने की स्थिति में कर्मियो की परस्पर वरीयता नियुक्ति/प्रोन्नति तिथि के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(iii) आमेलन की स्थिति में कर्मियों की नियुक्ति तिथि एक रहने पर संबधित कर्मियों की परस्पर वरीयता आमेलन के पूर्व के पद पर उनकी नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंक–पत्र में प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(iv) नियुक्ति तिथि तथा आमेलन के पूर्व के पद पर उनकी नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंक–पत्र में प्राप्तांक समान रहने की स्थिति में कर्मियों की परस्पर वरीयता जन्म तिथि के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(v) उपर्युक्त सभी प्रावधान समान रहने की स्थिति में आमेलित कर्मियों की आपसी वरीयता अंग्रेजी नाम के Alphabet के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(vi) एक ही वर्ष में नियुक्त तथा प्रोन्नत कर्मियों के मामले में प्रोन्नत कर्मी वरीय किए जायेंगे।

639

D. विभिन्न पदों के आमेलन के उपरान्त कुल पदों की संख्या:— विभिन्न पदों के आमेलन के उपरान्त नवसृजित पद की कुल संख्या पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में आमेलित किए जानेवाले विभिन्न पदों के स्वीकृत पदों के योग के बराबर किया जाता है।

E. कंपनी के नियोजन सूचना संख्या–8/2018 के तहत विभिन्न तकनीकि पदों पर नियुक्ति हेतु निर्गत विज्ञापन में अंकित पदों को, उपरोक्त प्रस्तावित तकनीकि पदों के पुनर्गठन के उपरान्त नये पद संरचना के अनुसार पदनामित किया जाएगा।

F. पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के स्थायी आदेश संख्या–808 दिनांक–23.09.1998 में निहित प्रावधान को उक्त हद तक संशोधित किया जाता है। अन्य प्रावधान यथावत लागू रहेगा।

ह0/–
(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)

ज्ञापांक ____________ दिनांक ____________

प्रतिलिपि : अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक (प्रशासन) के प्रधान आप्त सचिव, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड/नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड/बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड/बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)

ज्ञापांक ____________ दिनांक ____________

प्रतिलिपि : सभी महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/सभी महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता/ सभी मुख्य अभियंता/सभी महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा/ राजस्व)/ सभी उपमहाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/ सभी उपमहाप्रबंधक (कार्मिक)/ सभी उपमहाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा/ राजस्व) / उपमहाप्रबंधक (आई0टी0), उपमहाप्रबंधक (जनसम्पर्क)/सभी उपमहाप्रबंधक –सह– विद्युत अधीक्षण अभियंता/विधि परामर्शी /सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता/सभी उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी वरीय प्रबंधक /सभी उपविधि परामर्शी /सभी विद्युत कार्य पालक अभियंता/कम्पनी सचिव/सभी सहायक विद्युत अभियंता/सभी विधि पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी /सभी कार्मिक पदाधिकारी /सभी कनीय विद्युत अभियंता/सभी संबंधित कर्मीगण, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसके सभी अनुषंगी कम्पनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[signature] 28/11/18
(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)

ज्ञापांक 1786 दिनांक 28.11.2018

प्रतिलिपि : उप महाप्रबंधक (आई०टी०), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

[signature] 28/11/18
(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)

अनुसूची-V

638

## संकल्प

[illegible] संख्या [illegible] 986 [illegible] दिनांक [illegible]

[illegible] (Restructure) [illegible]

[illegible]

[illegible] निर्धारित किया जाता है:—

| कार्यालयों के नाम | [illegible] की संख्या | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] मुख्यालय | 5 | 2 | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| मुख्य अभियंता | 20 | — | — | — | 20 | — |
| [illegible] | 5 | — | — | — | [illegible] | [illegible] |
| CMD & MD Cell | 5 | — | — | — | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] Cell | 19 | — | — | — | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] Cell | 6 | — | — | — | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 7 | 01 | 07 (1 x 07) | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 7 | 07 (1 x 07) | 07 (1 x 07) | 03 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 26 | — | 26 (1 x 26) | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 88 | — | — | 88 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 10 | — | — | 10 (1 x 10) | 10 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | — | — | 16 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | — | — | 12 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | — | — | — | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 121 | — | — | — | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | — | — | — | — | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

637

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 1[illegible] | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | — | 02 (1 x 02) | 02 (1 x 02) | 02 (1 x 02) | |
| [illegible] | [illegible] | — | — | 02 (1 x 02) | 02 (1 x 02) | |
| [illegible] | [illegible] | 01 (1 x 01) | 01 (1 x 01) | 02 (1 x 02) | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | — | — | — | — | |
| [illegible] | [illegible] | — | — | — | — | |
| [illegible] | [illegible] | — | — | — | — | |
| [illegible] | [illegible] | — | — | — | — | [illegible] (1 x [illegible]) |
| Total | | 07 | 39 | 161 | 492 | 1214 |

(ii) इस प्रकार लिपिकीय संवर्ग के कार्यालय अधीक्षक के पूर्व स्वीकृत पद 104 के अतिरिक्त 57 पद एवं सहायक लिपिक के पूर्व स्वीकृत पद 12[illegible] के अतिरिक्त 05 पद सृजित किया जाता है।

(iii) लिपिकीय संवर्ग के विभिन्न पदों में वर्तमान स्वीकृत पद एवं सृजित किए जाने वाले पदों का विवरण निम्नवत् है:

| | कोष प्रबंधक (मंडल) | प्रभारी पदाधिकारी | कार्यालय अधीक्षक | प्रधान लिपिक | सहायक लिपिक |
|---|---|---|---|---|---|
| पूर्व स्वीकृत पद | 0 | 35 (SO के 20 पद एवं ADO के 15 पद को एकीकृत के पैमाने) | 104 | [illegible] | 12[illegible] |
| स्वीकृत अतिरिक्त पद | 07 | 04 | 57 | 6 | [illegible] |
| कुल पद | 07 | 39 | 161 | 492 | 1214 |

(iv) प्रकार्य मानदण्ड (Yard Stick) के अनुसार लिपिकीय संवर्ग के विभिन्न पदों की संख्या निम्नवत् होगी:

| कोष प्रबंधक (मंडल) | प्रभारी पदाधिकारी | कार्यालय अधीक्षक | प्रधान लिपिक | सहायक लिपिक |
|---|---|---|---|---|
| PB-III, Rs. 15600-39100/-, GP-6600/- | PB-III, Rs. 15600-39100/-, GP 5400/- | PB-II, Rs. 9300-34800/-, GP-4600/- | PB-II, Rs. 9300-34800/-, GP-4200/- | PB-I, Rs. 5200-20200/-, GP-2800/- |
| 07 | 39 | 161 | 492 | 1214 |

4. लिपिकीय संवर्गों के पदों के पुनर्गठन एवं पदों के सृजन के फलस्वरूप प्रोन्नति अवधारणा निम्नवत् होगी:

| क्र. सं. | पद का नाम एवं वेतनमान | पद का नाम एवं वेतनमान जिसमें प्रोन्नति दी जानी है। |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | सहायक लिपिक PB-I, Rs. 5200-20200/-, GP 2800/- | प्रधान लिपिक PB-II, Rs. 9300-34800/-, GP 4200/- |
| 2 | प्रधान लिपिक PB-II, Rs. 9300-34800/-, GP 4200/- | कार्यालय अधीक्षक PB-II, Rs. 9300-34800/-, GP 4600/- |
| 3 | कार्यालय अधीक्षक PB-II, Rs. 9300-34800/-, GP 4600/- | प्रभारी पदाधिकारी PB-III, Rs. 15600-39100/-, GP 5400/- |
| 4 | प्रभारी पदाधिकारी PB-III, Rs. 15600-39100/-, GP 5400/- | कोष प्रबंधक (मंडल) PB-III, Rs. 15600-39100/-, GP 6600/- |

[illegible]

5. [illegible]

(Signatures)

([illegible])

अनुसूची-VI
636
(233)

# झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड

अभियंत्रण भवन, एच० ई० सी०, धुर्वा, राँची–04
(कार्मिक विभाग)

कार्यालय आदेश संख्या 1196 ............ दिनांक 07.07.2012
VI/का०/विविध–5037/10

विषयः झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड अधीन कार्यरत विभिन्न संवर्ग के कर्मियों को झारखण्ड राज्य सरकार के कर्मियों के समकक्ष प्रोन्नति हेतु कालावधि का निर्धारण।

झारखण्ड राज्य सरकार के द्वारा अपने संकल्प संख्या 398 दिनांक 16.01.2012 द्वारा राज्य सरकार के कर्मियों के लिए उच्चतर पद पर नियमित प्रोन्नति दिये जाने हेतु ग्रेड वेतन आधारित कालावधि लागू किया गया है।

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, राँची के संलेख मद संख्या– 972/2012–13 के आलोक में बोर्ड के संकल्प संख्या–955 द्वारा झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के विभिन्न संवर्ग के कर्मियों के लिए ग्रेड–पे आधारित कालावधि एवं शर्तो का निर्धारण किया गया है।

अतः बोर्ड के निर्णय के आलोक में झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड में प्रोन्नति निमित ग्रेड–पे आधारित कालावधि का निम्न रूपेण निर्धारण किया जाता है :–

| क्रमांक | ग्रेड वेतन (जिससे प्रोन्नति दी जानी है) | ग्रेड वेतन (जिसमें प्रोन्नति दी जानी है) | प्रोन्नति के लिए न्युनतम अर्हक सेवा की अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2100 | 2400 | 05 |
| 2 | 2400 | 2700 | 05 |
| 3 | 2700 | 3000 | 05 |
| 4 | 2700 | 3300 | 06 |
| | 2700 | 4200 | 10 |
| | 3000 | 3300 | 04 |
| | 3000 | 4200 | 06 |
| | 3300 | 4200 | 05 |
| | 4200 | 4300 | 02 |
| | 4200 | 4450 | 03 |
| | 4300 | 4450 | 02 |
| 5 | 4200 | 4600 | 05 |
| | 4300 | 4600 | 04 |
| | 4450 | 5300 | 06 |
| | 4300 | 5500/5600 | 08 |
| 6 | 4500 | 5500/5600 | 08 |
| 7 | 5100 | 5300 | 02 |
| 8 | 4600 | 5100 | 02 |
| | 4600 | 5300 | 03 |
| | 4600 | 5500 | 04 |
| 9 | 5300 | 6600 | 06 |
| 10 | 5500 | 5700 | 02 |
| 11 | 5500 | 6600 | 05 |
| | 5600 | 6600 | 05 |
| | 5900 | 6600 | 04 |
| 12 | 6600 | 7750 | 05 |

क्र० पृ० ..

635

| क्रमांक | ग्रेड वेतन (जिससे प्रोन्नति दी जानी है) | ग्रेड वेतन (जिसमें प्रोन्नति दी जानी है) | प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की अवधि |
|---|---|---|---|
| 13 | 6600 | 8700 | 10 |
| 14 | 7750 | 8700 | 05 |
| 15 | 8700 | 8900 | 02 |
| 16 | 8700 | 9000 | 02 |
| 17 | 8900 | 9000 | 02 |
| 18 | 9000 | 10000 | 02 |

साथ ही यह भी निर्णय लिया जाता है कि उक्त निर्धारित न्यूनतम कालावधि पूरी नहीं हो सकने की स्थिति में जहां रिक्ति उपलब्ध हो तथा कालावधि पूर्ण नहीं होने के कारण प्रोन्नति देना सम्भव नहीं हो पाता हों, वहां धारित पद एवं उससे एक स्तर नीचे के पद के लिए निर्धारित कालावधि को जोड़कर दोनों पदों की कुल कालावधि यदि पूरी हो जाती है, तो वैसी परिस्थिति में धारित पद से उच्चतर पद के लिए निर्धारित कालावधि में 50 प्रतिशत तक की छूट अनुमान्य की जायेगी। परन्तु यह छूट उन मामलों में देय नहीं होगी जहां प्रोन्नति में विलम्ब के लिए सम्बन्धित कर्मचारी/ पदाधिकारी दोषी हों अथवा प्रोन्नति नहीं मिलने का मुख्य कारण विभागीय कार्यवाही या फौजदारी मुकदमों का लंबित रहना हों।

यह व्यवस्था आदेश निर्गत होने की तिथि से लागू होगी।

झा०रा०वि० बोर्ड के आदेश से,

ह०/-
(भी० के० सिन्हा)
सचिव

ज्ञापांक................/ राँची दिनांक................

प्रतिलिपि : विद्युत अधीक्षण अभियंता, अध्यक्ष प्रकोष्ठ/ सदस्य (वित्त) के निजी सहायक/ सदस्य (वितरण एवं संचरण) के तकनीकी सचिव/ आरक्षी महानिरीक्षक (निगरानी एवं सुरक्षा) के निजी सहायक/ सचिव के निजी सहायक, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, राँची को सूचनार्थ

ह०/-
(भी० के० सिन्हा)
सचिव

ज्ञापांक ..3322..../ राँची दिनांक..07.07.2012

प्रतिलिपि अभियंता प्रमुख/ महाप्रबंधक, पतरातू थाप्प शक्ति प्रतिष्ठान, पतरातू/ सभी महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र/संचरण प्रक्षेत्र/ सभी मुख्य अभियंता/ मुख्य अभियंता (असैनिक)/ आवासीय अभियंता, सम्पर्क कार्यालय, दिल्ली/ वरीय विधि परामर्शी- सह-अपर सचिव/ सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल/ संचरण अंचल/ परियोजना प्रबंधक, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना/ सभी वित्त नियंत्रक/ निदेशक जन सम्पर्क/ सभी लेखा निदेशक/ कार्मिक निदेशक/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी अवर सचिव/ सभी उप लेखा निदेशक/ उप लेखा निदेशक (सचिवालय)/ सभी उप कार्मिक निदेशक/ सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सभी सहायक विद्युत अभियंता/ सभी लेखा पदाधिकारी/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सभी श्रम कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(भी० के० सिन्हा)
सचिव

अतिरिक्त प्रति - सूचना पट।

# झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

CIN U40108 JH2013 SGC 001603

निगम कार्यालय :अभियंत्रण भवन, एच०ई०सी०, धुर्वा, राँची–4

(कार्मिक विभाग)

अधिसूचना संख्या ........625........ दिनांक ....30-05-2022....

संचिका संख्या–II/JUVNL/विविध–771/18

निदेशक मंडल, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अनुमोदन के आलोक में निगम की अधिसूचना संख्या 1848 दिनांक 10.07.2017 के द्वारा सातवां पुनरीक्षित वेतनमान झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं अनुषंगी कम्पनियों के कर्मियों को पुराने पदनाम में पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त हो रहा है। ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या 2917 दिनांक 20.11.2015 के द्वारा अधिसूचित The Jharkhand State Electicity Reforms Revised Transfer Scheme 2015 के आलोक में झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के समय से पूर्व से सृजित पदनाम झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं अनुषंगी कम्पनियों की कम्पनी संरचना के अनुरूप नहीं होने के कारण झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं अनुषंगी कम्पनियों हेतु Orgnization Structure बनाने हेतु M/s Deloitte को अधिकृत किया गया। M/s Deloitte के द्वारा समर्पित Designation mapping, organization structure, Man power planning संबंधी प्रतिवेदन निदेशक मंडल, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के समक्ष संलेख मद संख्या 34–10–03 के द्वारा प्रस्तुत किया गया और इस पर प्राप्त अनुमोदन के आलोक में झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की अधिसूचना संख्या 1723 दिनांक 07.08.2018 के द्वारा झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं अनुषंगी कम्पनियों हेतु Designation mapping, organization structure, Man power planning संबंधी आदेश निर्गत किया गया परन्तु उक्त आदेश में नवसृजित पदनाम का वेतनमान अधिसूचित नहीं हो पाया क्योंकि M/s Deloitte के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में नवसृजित पदनाम का वेतनमान उल्लेखित नहीं था।

इस कारण वर्णित मामले में समस्त नवसृजित पदनाम का वेतनमान अधिसूचित करने हेतु संलेख प्रस्ताव निदेशक मंडल, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की 40वीं बैठक में संलेख मद संख्या 40–07–04 के द्वारा प्रस्तुत किया गया इस संलेख प्रस्ताव पर निदेशक मंडल के द्वारा निम्नवत निर्णय लिया गया–

"After deliberation the Board of Directo unanimously approved the above proposal/ Agenda subjec consent from finance department, GoJ."

निदेशक मंडल, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का पत्रांक 466 दिनांक 16.10.2019, 496 दिनांक 13.12.2019, 11 दिनांक 06.01.2020, 113 दिनांक 26.02.2020, ऊर्जा विभाग का पत्रांक 614 दिनांक 18.03.2020 के आलोक में निगम का पत्रांक 369 दिनांक 06.07.2020, 559 दिनांक 14.10.2020 एवं 612 दिनांक 09.11.2020 एवं 691 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार को उक्त वेतनमान पर वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार से सहमति प्राप्त करके अवगत कराने हेतु पत्र भेजा गया परन्तु नव सृजित पदों का वेतनमान पर ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार के माध्यम से वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार से सहमति अब तक प्राप्त नहीं हो पाने के कारण नवसृजित पदनाम का वेतनमान अधिसूचित नहीं हो पा रहा था। इस कारण कर्मियों का स्थापना संबंधी कार्य, प्रोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण एवं सेवानिवृति लाभों की स्वीकृति में कठिनाई हो रही थी। अतः निगम की अधिसूचना संख्या 1723 ज्ञापांक 1724 दिनांक 07.08.2018 के द्वारा निर्गत आदेश में समस्त नवसृजित पदनाम का वेतनमान संबंधी आदेश दिनांक 07.08.2018 के प्रभाव से निर्गत किये जाने के संदर्भ में संलेख प्रस्ताव संलेख मद संख्या 52–09 के द्वारा निदेशक मंडल, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की 52वीं बैठक में दिनांक 04.05.2022 को निदेशक मंडल के समक्ष निर्णय हेतु उपस्थापित किया गया। इस संलेख प्रस्ताव पर "सम्यक् विचारोपरान्त निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से संलेख/ एजेंडा में वर्णित प्रस्ताव को इस शर्त पर अनुमोदन प्रदान किया कि उक्त खर्च का वहन निगम अपने निधि के द्वारा करेगी एवं ऊर्जा विभाग को निर्णय की सूचना उपलब्ध करायेगी।"

संलेख मद संख्या 52–09 पर निदेशक मंडल, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की 52वीं बैठक में दिनांक 04.05.2022 को लिये गये सर्वसम्मति से निर्णय के आलोक में झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की अधिसूचना संख्या 1723 ज्ञापांक 1724 दिनांक 07.08.2018 के द्वारा निर्गत आदेश में उल्लेखित नव सृजित पदनाम का वेतनमान दिनांक 07.08.2018 के प्रभाव से निम्नवत अधिसूचित किया जाता है एवं उक्त खर्च का वहन निगम अपने निधि के द्वारा करेगी :–

632 (375)

| Sl. No. | As in Cadre Structure | | | | New Designation for all Cadre | Corresponding Grade Pay | Pay Matrix in Revised Scale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | General | Civil | Admin/ Legal | Accounts | | | |
| 1 | Enigneer-in-Chief | | | | Executive Director (ED) | 10,000.00 | 22 |
| 2 | CE | CE | Secretary | Financial Controller-I | General Manager (GM) | 9,000.00 | 21 |
| 3 | | ACE | | Financial Controller-II | | | |
| 4 | SE | SE | Director (Personnel) | Director (Accounts) | Deputy General Manger (DGM) | 8,700.00 | 19 |
| | | | Joint Secretary | | | | |
| 5 | EE | EE | Deputy Director (Personnel)/ Under Secretary/ Deputy Director (Law) | Deputy Director (Accounts) | Senior Manger (SM) | 6,600.00 | 17 |
| 6 | AE | AE | Personnel Officer | Accounts Officer | Manager | 5,600.00 | 14 |
| | | | Administrative Officer/ Law Officer | | | | |
| 7 | JE | | Section Officer/ Labour Welfare Officer | | Junior Manager (JM) | 4,600.00 | 10 |
| | | JE | Office Suerintendent | Accountant | | | |
| 8 | All Non Executive Technical Posts | | Head Clerk | | Head Clerk (Admin) | 4,200.00 | 6 |
| 9 | | | Accounts Assitant | | Head Clerk (Accounts) | | |
| 10 | | | Electrician | | Electrician | 3,000.00 | 4 |
| 11 | | | Office Assistant (OA) | | Office Assistant (OA) | | |
| 12 | | | Jr. Accounts Clerk/ Bill Clerk | | Accounts Assistant (AA) | | |
| 13 | | | All Technical Staff | | Technical Assistant (TA) | | |
| | | | | | Supporting Staff-I | 2,700.00 | 3 |
| 14 | Group IV Posts | | | | Supporting Staff-II | 2,400.00 | 2 |
| 15 | | | | | Supporting Staff-III | 2,100.00 | 1 |
| 16 | | | | | | | |

30.5.2022

(सुनील दत्त खाखा)

महाप्रबन्धक (कार्मिक–सह–सामान्य प्रशासन)

631

ज्ञापांक 626 दिनांक 30-05

प्रतिलिपि सरकार के अवर सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड स निगम का पत्रांक 466 दिनांक 16.10.2019 एवं उनके पत्रांक 614 दिनांक 18.03.2020, निगम का पत्रांक 369 दिनांक 06.07.2020, 559 दिनांक 14.10.2020, 612 दिनांक 09.11.2020 एवं 691 दिनांक 30.12.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रसारित।

ई–मेल

(सुनील दत्त खाखा)
महाप्रबन्धक (कार्मिक–सह–सामान्य प्रशासन)

ज्ञापांक 626 दिनांक 30-05-2022

प्रतिलिपिः विशेष पदाधिकारी, अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक प्रकोष्ठ/ प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के तकनीकी सचिव/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के तकनीकी सचिव/ प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निजी सहायक/ निदेशक (वित्त), झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड/निदेशक (प्रोजेक्ट), झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड/ सभी कार्यकारी निदेशक/ सभी महाप्रबंधक/ सभी महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा)/ पुलिस महानिदेशक (निगरानी एवं सुरक्षा) के निजी सहायक/ महाप्रबन्धक (कार्मिक सह सामान्य प्रशासन) के निजी सहायक/सभी महा प्रबंधक (मा0स0)/वरीय विधि परामर्शी सह अपर सचिव/ सभी उप महाप्रबंधक /सभी उप महाप्रबंधक (मा0स0)/ सभी उप महा प्रबंधक (वित्त एव लेखा)/ सभी वरीय प्रबंधक/(विधि)/विधि पदाधिकारी /सभी प्रबन्धक/ सभी कम्पनी सचिव/सभी कनीय प्रबन्धक, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं उसके अनुषंगी कम्पनी, निगम मुख्यालय, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुनील दत्त खाखा)
महाप्रबन्धक (कार्मिक–सह–सामान्य प्रशासन)

ज्ञापांक 626 दिनांक 30-05-2022

प्रतिलिपि सभी महाप्रबन्धक, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र/ संचरण प्रक्षेत्र/ उप महाप्रबन्धक, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना, सिकिदिरी/ प्रशासक (शेष परिसम्पति), पतरातू वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान, पतरातू/ सभी उप महाप्रबन्धक, विद्युत आपूर्ति अंचल/ संचरण अंचल/ सभी वरीय प्रबन्धक, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल/ संचरण प्रमंडल/ सभी उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ सभी वरीय प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)/सभी प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), आपूर्ति अंचल/संचरण अंचल/ सभी प्रबन्धक/ सभी कनीय प्रबन्धक, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं अनुषंगी कम्पनियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ई–मेल

(सुनील दत्त खाखा)
महाप्रबन्धक (कार्मिक–सह–सामान्य प्रशासन)

अनुसूची - VIII
630

| Office Category | Department Name | List of Designation |
|---|---|---|
| | | SM Revenue Accounts<br>SM Tax<br>SM Audit<br>SM Terminal Benefits & Trust<br>SM Salary & Benefits<br>SM HQ & Power Purchase<br>Manager Projects Finance<br>Manager Financial Management<br>Manager Works<br>Manager Projects<br>Manager Accounts<br>Manager Revenue Accounts<br>Manager Tax<br>Manager Audit<br>Manager Terminal Benefits & Trust<br>Manager Salary & Benefits<br>Manager HQ & Power Purchase<br>JM Projects Finance<br>JM Financial Management<br>JM Works<br>JM Projects<br>JM Accounts<br>JM Revenue Accounts<br>JM Tax<br>JM Audit<br>JM Terminal Benefits & Trust<br>JM Salary & Benefits<br>JM HQ & Power Purchase |
| Corporate (HQ) | Internal Audit | GM Internal Audit<br>DGM Internal Audit<br>SM Stores Audit<br>SM Technical Audit<br>SM Expenditure Audit<br>SM Revenue Audit<br>Manager Internal Audit |
| Corporate (HQ) | HR | GM HR<br>DGM Learning & Development<br>DGM Human Resource Management<br>SM Learning & Development<br>SM Human Resource Management – Executive<br>SM Human Resource Management – Non-Executive<br>Manager Learning & Development<br>Manager Human Resource Management – Executive<br>Manager Human Resource Management – Non-Executive<br>JM Learning & Development<br>JM Human Resource Management – Executive<br>JM Human Resource Management – Non-Executive |
| Corporate (HQ) | Admin/Law | GM (Admin/Law)<br>DGM Admin<br>DGM Safety & Security<br>SM Admin<br>SM Public Relations |

| Office Category | Department Name | List of Designation |
|---|---|---|
| | | SM Safety<br>SM Security<br>Manager GAD<br>Manager IR & Welfare<br>Manager Estate+LAO+Guesthouse<br>Manager RTI+Vidhaika<br>Manager Media Relation<br>Manager Safety<br>Manager Security<br>JM GAD<br>JM IR & Welfare<br>JM Estate+LAO+Guesthouse<br>JM RTI+Vidhaika<br>JM Media Relation<br>JM Safety<br>JM Security |
| Corporate (HQ) | IT | GM IT<br>DGM IT Projects<br>DGM OT Operations<br>DGM IT Operations-I<br>DGM IT Operations-II<br>SM Projects I<br>SM Projects II<br>SM Projects III<br>SM OT Operations<br>SM Cyber Security<br>SM Application<br>SM Circle H/W & S/W<br>SM Technical<br>Manager Projects I<br>Manager Projects II<br>Manager Projects III<br>Manager OT Operations<br>Manager Cyber Security<br>Manager Application<br>Manager Circle H/W & S/W<br>Manager Technical |
| Sub Division & Below | | Manager (Sub Division)<br>JM Commercial<br>JM O&M (Section office) |
| Division Office | | SM (Division)<br>Manager High Tension Monitoring<br>Manager Commercial<br>Manager Projects<br>JM HTM<br>JM Technical<br>JM Commercial<br>JM Projects<br>JM Accounts<br>JM IT |
| Circle Office | | DGM (Circle)<br>SM (Operation Management Cell)<br>SM (C&R)<br>SM Accounts<br>SM Projects<br>SM TRW & Stores |

अनुसूची - IX

(628)

| Office Category | Department Name | List of Designation |
|---|---|---|
| Corporate (HQ) | HR/Admin/Law | GM HR/Admin/Law<br>DGM HR<br>DGM Admin<br>DGM Law<br>SM Training & IR/Welfare<br>SM HRM-Executive<br>SM HRM-Non Executive<br>SM Admin/Safety/Security<br>SM Law<br>Manager Training & IR/Welfare<br>Manager HRM-Executive<br>Manager HRM-Non Executive<br>Manager Admin/Safety/Security<br>Manager Law<br>JM Training & IR/Welfare<br>JM HRM-Executive<br>JM HRM-Non Executive<br>JM Admin/Safety/Security |
| Corporate (HQ) | Finance & Accounts | GM IT<br>DGM IT<br>SM IT<br>Manager IT |
| SRHP | | DGM<br>SM<br>Manager<br>JM |

# Jharkhand Urja Vikas Nigam Limited

## Appendix III
## Cadre Wise Manpower Segregation

| SL No | Designation | Engineering Cadre | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Corporate Level Manpower | Liaison Office (Delhi) | Total |
| 1 | ED | 0 | | 0 |
| 2 | GM | 0 | | 0 |
| 3 | DGM | 1* | | 1 |
| 4 | SM | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Manager | 1 | | [illegible] |
| 6 | JM | 0 | | 0 |
| 7 | Electrician | | | 0 |
| 8 | Technical Assistant | | | 0 |
| | Total | 3 | 1 | 4 |

The details of posts for each designation are mentioned below

i) Deputy General Manager
- DGM CMD Office - 1 Post * This Post of DGM may be either from Engineering Cadre or F&A Cadre depending on requirement.

ii) Senior Manager
- SM CMD Office – 1 Post
- SM Liaison Office (Delhi) – 1 Post

iii) Manager
- Total 2 Manager post from technical cadre has been considered as per latest structure of corporate office

| SL No | Designation | Finance & Accounts Cadre | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Corporate Level Manpower | Liaison Office (Delhi) | Total |
| 1 | ED | 1 | | 1 |
| 2 | GM | 1 | | 1 |
| 3 | DGM | 2 | | 2 |
| 4 | SM | 5 | | 5 |
| 5 | Manager | 8 | 1 | 9 |
| 6 | JM | 8 | | 8 |
| 7 | Head Clerk (Accounts) | 17 | | 17 |
| 8 | Accounts Assistant | 20 | 1 | 21 |
| | Total | 62 | 2 | 64 |